महानगर नई दिल्ली शनिवार 27 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

भीड़ हिंसा पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीटकर मारने की घटनाओं पर अंकुश के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने 'एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट' नामक संगठन की याचिका पर गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। इस ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुकूल चंद्र प्रधान ने कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनुकूल चंद्र प्रधान ने कहा, भीड़ द्वारा लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

सरकारें इस समस्या से निबटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा जुलाई 2018 में दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

सरकारें इस समस्या से निबटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा जुलाई 2018 में दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

ट्रस्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई, 2018 को सरकारों को तीन तरह के उपाय- एहतियाती, उपचारात्मक और दंडात्मक- करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन पर अमल नहीं किया गया है।

शीर्ष अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर ये निर्देश दिए थे। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ की हिंसा में शामिल होने वाले लोगों में कानून के प्रति भय का भाव पैदा करने के लिए विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने संसद से भी भीड़ हिंसा और गोरक्षकों द्वारा कानून हाथ में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति से सख्ती से निबटने के लिए उचित कानून बनाने पर विचार करने का आग्रह किया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली येदियुरप्पा ने

राजभवन में आयोजित समारोह में भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा (बाएं) को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते राज्यपाल वजूभाई वाला (दाएं)।

29 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे

किसानों-बुनकरों को तोहफा

बंगलुरु, 26 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को चार हजार रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। इस योजना **बाकी पेज 8 पर**

भाजपा स्थिर सरकार देगी : नड्डा

कर्नाटक में सरकार को गिराने के लिए दल-बदल को बढ़ावा देने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वहां सरकार आंतरिक कारणों से गिरी और भाजपा राज्य में स्थिर सरकार देगी। (विस्तृत खबर पेज 8 पर)

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

बंगलुरु, 26 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल वजूभाई वाला ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में 76 साल के येदियुरप्पा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में येदियुरप्पा ने अकेले ही शपथ ली है। येदियुरप्पा ने कहा 29 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखने की बात कही है। राज्य में येदियुरप्पा नीत भाजपा सरकार ऐसे समय बनी है जब तीन दिन पहले कांग्रेस-जद(सेकु) गठबंधन सरकार गिर गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा विधानसभा में पेश विश्वास मत प्रस्ताव 105 के मुकाबले 99 मतों से गिर गया था।

शुक्रवार की सुबह आनन-फानन में हुए घटनाक्रम में, येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार का दावा पेश किया और उनसे उन्हें शुक्रवार को ही पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का अनुरोध किया। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। येदियुरप्पा ने कहा कि हम 29 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले, येदियुरप्पा ने कहा **बाकी पेज 8 पर**

आदर्शनगर में पीट-पीट कर नाबालिग की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

आदर्शनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 16 साल के एक नाबालिग को कुछ लोगों ने चोर समझकर पीट-पीट कर मार डाला। वारदात की जानकारी शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे पुलिस को मिली थी। नाबालिग पर आरोप है कि वह एक घर में घुसा था। मकान मालिक की नजर उस पर पड़ गई। मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल नाबालिग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि इस मामले में मकान मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, 16 साल के नाबालिग को सुबह साढ़े आठ बजे आदर्श नगर के लाल बाग में एक घर में मकान मालिक ने पकड़ लिया। आसपास के लोग भी वहां जुट गए और सबने **बाकी पेज 8 पर**

चोरी का संदेह था

एक मकान में नाबालिग को पकड़ा गया, मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर पीटा

बच्चा चोर होने के शक में तीन लोगों की ग्रामीणों ने की पिटाई - खबर पेज 11 पर

विवादित बयान पर संसद में हंगामा

आजम खान को माफी मांगने के लिए कहा जाएगा : प्रह्लाद जोशी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सांसद रमा देवी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला सपा सदस्य आजम खान से सदन में माफी मांगने के लिए कहेंगे। लोकसभाध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में यह तय हुआ कि खान को माफी मांगनी चाहिए या फिर वह कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

जोशी ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा आजम खान से रमा देवी के प्रति उनकी टिप्पणी के लिए सदन में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। अगर वह (आजम) ऐसा नहीं करते हैं तब अध्यक्ष को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा सहित सभी दलों ने गुरुवार को पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में सपा सांसद आजम खान की टिप्पणी की शुक्रवार को पार्टी लाइन से हटकर कड़ी भर्त्सना करते हुए इसे 'कुटिल, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक' बताया तथा अध्यक्ष से इस मामले में 'कठोरतम' कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले पर शून्यकाल में निचले सदन में विभिन्न दलों की महिला सांसदों समेत कई दलों के नेताओं ने करीब एक घंटे तक सपा सदस्य की टिप्पणी पर अपना कड़ा विरोध जताया। महिला **बाकी पेज 8 पर**

विवादास्पद बयान देकर फंसे आजम खान

यह बयान पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा

आजम खान माफी मांगें या किया जाए निलंबित

ईडी ने कुर्क की 68 करोड़ की संपत्ति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

मानेसर जमीन घोटाला

हरियाणा के मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम में 18.5 एकड़ जमीन समेत 68 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में शुक्रवार को पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई अब छह अगस्त को होगी। इस बीच, ईडी ने गुरुवार को देर रात तक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 10 घंटे पूछताछ की। शुक्रवार को भी कई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार सुबह पंचकूला की विशेष सीबीआइ अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। उनके साथ अन्य आरोपी भी थे। लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हुई। वहां से हुड्डा दोपहर बाद चंडीगढ़ स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। वहां कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। हुड्डा ईडी की जांच में लगातार शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को पूछताछ के बाद हुड्डा ने कहा कि वह ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब **बाकी पेज 8 पर**

राज्यसभा सत्र भी सात अगस्त तक बढ़ा

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सदन को सूचित किया कि संसद के बजट सत्र की अवधि सात अगस्त तक बढ़ा दी गई है ताकि आवश्यक सरकारी विधायी कामकाज संपन्न हो सके।

पूर्व में सत्र की अवधि 26 जुलाई अर्थात शुक्रवार तक ही थी। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने कहा कि सदन की बैठक सात अगस्त तक बढ़ा दी गई है। नायडू ने कहा कि सत्र की इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा।

सत्र की बढ़ी हुई अवधि के लिए सरकार के एजेंडे की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को रोकने के लिए 'मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019', कंपनी (संशोधन) विधेयक 2019, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 सहित अन्य विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। 'मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019' को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सुझाव दिया कि सत्र की बढ़ाई गई अवधि में प्रश्नकाल नहीं होगा इसलिए शून्यकाल का समय बढ़ाया जाना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को ही निचले सदन में सत्र को सात अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

भारत, पाकिस्तान बातचीत से सुलझाएं कश्मीर मुद्दा : चीन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत अन्य मसलों के समाधान के लिए शांतिपूर्वक वार्ता का सुझाव चीन ने दिया है। साथ ही चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में सुधार लाने में भूमिका निभाने के लिए अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन किया। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर समेत तमाम मसले भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामले हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी पेशकश को लेकर भी हम स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। शुक्रवार को भारत ने दोहराया, हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप **बाकी पेज 8 पर**

भारत का जवाब

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर समेत तमाम मसले भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामले हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी पेशकश को लेकर भी हम स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। शुक्रवार को भारत ने दोहराया, हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है।

शहीदों की याद में

20वें करगिल विजय दिवस पर कश्मीर के द्रास में शहीद सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करते सेनाध्यक्ष विपिन रावत।

राष्ट्रपति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री ने कीं जवानों के साथ तस्वीरें साझा खबर पेज 12

रविवारी

28 जुलाई, 2019

किशोर और अपराध

पिछले कुछ सालों में किशोर अपराधों की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर चिंता स्वाभाविक है। किशोर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं दीपक कुमार त्यागी।

• **कहानी**/ शोभा सिंह • **प्रसंग**/ पंकज पराशर • **योग दर्शन**/ डॉ. वरुण वीर • **शख्सियत**/ जेआरडी टाटा • **दाना-पानी**/ मानस मनोहर • **सेहत**/ रविवारी डेस्क

जरूरी है रसोई की सफाई
• वंदना सिंह

• **कविता**/ प्रभुदयाल श्रीवास्तव • **कहानी**/ तारा निगम

23 जुलाई को 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र | **पलटवार** | जवाबी पत्र में राजनीतिक पक्षपात करने का पुरजोर विरोध

49 के जवाब में आया 61 हस्तियों का पत्र

मुंबई, 26 जुलाई (भाषा)।

देश में अल्पसंख्यकों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने और घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर 49 हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के जवाब में देश की 61 हस्तियों ने चुनिंदा बातों पर आक्रोश जताने और झूठी कहानियां गढ़ने का विरोध किया।

भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, फिल्मकार मधुर भंडारकर, विवेक अग्निहोत्री, शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह समेत जानी-मानी 61 हस्तियों ने एक बयान में कहा है कि 23 जुलाई को कुछ स्वयंभू संरक्षकों और विवेकपूर्ण लोगों ने चुनिंदा बातों पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया और मकसद दिखाया।

बयान में कहा गया है, 'उसका (23 जुलाई को लिखे पत्र का) मकसद भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करना और भारतीयता का मूल समझे जाने वाले सकारात्मक राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद की नींव पर शासन करने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयास को नकारात्मक रूप से पेश करना है।' उसने कहा कि उसमें कुछ चुनिंदा बातों पर आक्रोश व्यक्त किया गया है जो, 'एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमारी सामूहिक कार्यप्रणाली के लोकतांत्रिक स्वभाव एवं मानदंडों को बदनाम करने के इरादे से एक झूठे किस्से का प्रचार करने का प्रयास था।'

गौरतलब है कि 23 जुलाई को फिल्मकार मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित 49 हस्तियों ने पत्र लिखकर धर्म के आधार पर घृणा अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इसमें 'जय श्री राम' का नारा लगाने को लेकर हो रही घटनाओं का भी जिक्र किया गया था।

61 लोगों के हस्ताक्षर **बाकी पेज 8 पर**

पत्र लिखने वाली हस्तियों में भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, फिल्मकार मधुर भंडारकर, विवेक अग्निहोत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह शामिल।

हस्तियों ने कहा कि 23 जुलाई को कुछ स्वयंभू संरक्षकों और विवेकपूर्ण लोगों ने चुनिंदा बातों पर चिंता जताई।

49 शख्सियतों के समर्थन में उतरे बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष - खबर पेज 8 पर

प्रसून जोशी कंगना रनौत सोनल मानसिंह

23 जुलाई को फिल्मकार मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों ने पत्र लिखकर धर्म के आधार पर घृणा अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

This is to inform that after marriage I have changed my name from Manisha Khattar to Sneha Gurnani. In future I shall be known as Sneha Gurnani, W/o Tarun Gurnani, R/o 5, Rana Pratap Marg, Opp. National Inter College, Lucknow. 0060068334-2

I, **Shantanu Chaudhary S/o Deepak** Kumar Chowdhury, R/o V-904, Amrapali Silicon City, Sector-76,Noida, have changed my name from Shantanu Chaudhary to Shantanu Chowdhury for all future purpose. 0040504876-1

I, **Catherine & Catherine William Samuel w/o William Samuel R/o 5/16, Ashoka Road, Shipra** suncity, Indirapuram, Ghaziabad-201014 are one & the same person Henceforth, I shall be known as by the name Catherine Samuel for all purposes. 0040504876-2

I, hitherto known as Shivesh Gupta Son of Sh. Hari Shankar Goel R/o. 571, Gali Lodhan, Kucha Pati Ram, Bazar Sita Ram, Delhi-110006 have changed my name and shall hereafter be known as Shivesh Goel. 0040504913-8

I, Yashashvi Singh Choudary S/o Harendra Choudary, R/o Flat.No.702, Tower-9,Supreme Towers,Sector-99, Noida, Gautam Budh Nagar, U.P.-201301,have changed my name to Yash Choudhary for all future purposes. 0040504903-2

I, Versha, Versha Chaturvedi & Versha Sharma W/o Som Datt Sharma R/o House No 16A/109, HIG Flats, 2nd Floor, Vasundhra, Ghaziabad (U.P.)-201012. I, inform Versha, Versha Chaturvedi & Versha Sharma are one and same person. 0040504922-1

I, Veena Kumari W/o Achal Sharma R/o House No 16A/109, HIG Flats, 2nd Floor, Vasundhra, Ghaziabad (U.P.)-201012. I have changed my name to Veena Sharma. 0040504910-1

I, Surjeet Kour W/o Manjeet Singh R/o FA/26, First Floor, Mansarover Garden, Delhi-110015 have changed my name to Supreet Kaur. 0040504913-5

I, Sukhdeep Singh S/o Ranbir Singh Sahni R/o E-9, Model Town Part-II, Delhi-110009 have changed my name to Sukhdeep Singh Sahni. 0040504865-1

I, Preeti Bala D/o Nand Lal R/o-H.No.B-114, Gali No-5, Jaitpur-Extn. Badarpur, New Delhi-110044,have changed my name from PREETI BALA to PRITI BALA.,for all future purposes.I PRITI BALA AND PREETI BALA same and one person. 0040504955-1

I, Sudhkar Barik S/o Sh. Duryodhan Barik, R/o F-103/A, Khanpur Ext., Khanpur, Delhi-110062, inform that my minor son name has wrongly mentioned in birth Certificate & School record (Sidhanta Barik). His actual name is Siddhant Barik. Both names belongs to same person 0040504984-1

I, Sudhkar Barik S/o Sh. Duryodhan Barik, R/o F-103/A, Khanpur Ext., Khanpur, Delhi-110062, inform that my minor daughter name has wrongly mentioned in birth Certificate & School record (Srandhanjali Barik). Her actual name is Shraddhanjali Barik. Both names belongs to same person 0040504991-1

I, Seema Kumari D/o Sukh Dev Raj Handa R/o A-134-A Sector-26, Noida Gautambudh Nagar, U.P.have changed my name to Rachna Madhok after-marriage for all purposes. 0040504899-1

I, Saranya Arun W/O No-15779282f Hav Arun R Nair R/O Parayil(H), Po-S N Puram, Teh & Distt-Kottayam, Kerala-686502 Have Changed My Name From Saranya Arun To Saranya Devi C A For All Future Purposes. 0040504899-4

I, Santosh Kumar Saxena S/o Sh. Lalta Prasad Saxena R/o A-33, Gali No-4, Jagat Puri Ext, Delhi-110093, have changed my name from PREETI BALA to ... my Daughter`s name from Vanshita Saxena to Ishika Saxena for all future purposes. 0040504935-1

I, S.K Sharma S/o M.P Sharma R/o F1U-149 Ground-Floor Pitampura Delhi-110034 changed my name to Sanjay Sharma. 0040504886-1

I, Roma Dewan D/o Satish Kumar Dewan W/o Ashish Kumar R/o A-401, G.C. Centrum, Ahinsakhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014 have changed my name to Roma Ghai after-marriage. 0040504913-6

I, Suvidha D/o Late Lala Ram R/o Extn.30/119. Trilok Puri, Delhi-110091 have changed my name to Sona. My D.O.B is-29/01/1993. 0040504899-10

I Sunder Singh S/o Shri.Dula Chand R/o-H.No.130, Village-Fatehpur Beri, New Delhi-110074,have Changed my son's name Ravnit to Ravneet Tanwar.,for all Future Purposes. 0040504940-5

व्यक्तिगत

I, Rakesh Kumar S/o Jagdish Chandra R/o-65 Gali.No.2, West Arjun-Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Rakesh Kumar Gupta for all purposes 0040504886-9

I, Rajiv S/o Harish Kathuria R/o B-5/105, Sector-3, Rohini, Delhi have changed my name to Rajeev Kathuria for all purposes. 0040504886-5

I, Raghu Tandon S/o Sh.S.K. Tandon R/o 244, Bank Enclave, Laxmi Nagar, Shakar Pur, Delhi-110092, have changed the name of my minor daughter from Radhika Tandon to Advika Tandon for all purposes. 0040504847-1

I, Preetee Dubey D/O Manmohan Dubey R/O RT-522,Shipra Suncity, Indrapuram, Ghaziabad, U.P-201014 have changed my name to Preeti Dubey vide affidavit dated 1.5.2019 at Ghaziabad. 0050152095-1

I, Prabhjout Kaur D/o S.Amarjeet Singh R/o:C-19A, Fateh-Nagar Tilak-Nagar, New Delhi-18.Have Changed My Name to Prabhjot Kaur for all Purposes. 0040504899-2

I, Nikhil Dass S/o Narotam Dass R/o A-1225,GD Colony, Mayur Vihar Phase-3, Delhi, wrongly name written in passport & Bank as Nikhel Dass my correct name known as Nikhil Dass for all future purposes 0040504894-1

I, Neeraj Kumar S/o Late J.N.Chugh R/o-Flat No.17-C,Block-B Vivek Vihar, Phase-2 Delhi-110095,have changed my name to Neeraj Chugh for all purposes 0040504913-9

I, Narendra Pal Joshi S/o Late Shri Mahesh Das joshi R/o 2568, Gali Sharwan Teliwara, Sadar Bazar, Delhi-110006 have changed my name to Narinder Pal Joshi for all purpose.May name is wrongly mentioned in may daughter Nikhla joshi 10th class certificat " Narendra Pal Joshi" instead of Narinder Pal Joshi boath are the same person. 0040504879-1

I, Muskaan D/o Ajay Malik R/o-H-3/57, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Muskaan Malik. 0040504886-6

I, Mohni Kaul W/o Basker Nath Kaul R/o N-18, Rajiv Nagar Extn. Begumpur, Delhi-110086, have changed my name to Mohini Kaul for all purposes. 0040504886-4

I, Mohd. Ahtasham S/o Abdul Nasir R/o-2142, Ahata-Mir Bukhari, Turkman Gate, Delhi-110006. have changed my name to Abram Khan. 0040504913-2

I, Mohammad Sakil,S/o Ismile Ansari R/o-E-215, E-Block T-Huts, Shahbad-Dairy, Delhi-110042,have changed my name and my wife name and my son's name,from Mohammad Sakil, Jasida Khatun, Mohammad Aarif to Sagir Ansari, Rashida Begum, Arif Ansari.,for all Future Purposes. 0040504955-2

I, Minal Meena D/o Naresh Kumar R/o 31/1 Pant Nagar, Jangpura Extn. ND-14 have changed my name to Minal for all purposes. 0040504913-7

I, Meenakshi Jagga D/o Om Prakash W/o Sachin Arora R/o-49-A Ram-Nagar,Krishna-Nagar Delhi-110051.have changed my name to Minakshi Arora for all purposes 0040504886-10

I, Kum Seeta Soori W/o Lalit Uppal R/o S-1/14 Phase-I Budh Vihar Delhi-110086 have changed my name to Doli Uppal. 0040504886-3

I, Kamal, S/o Ramkaran Kasana, R/o H.No.26, Village-Milk Gujran, DLF, Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad, UP-201102 have changed my name to Kamal Kasana for all purposes 0040504863-1

I, Jyoti D/o Shri.Kuldeep Singh Negi R/o-RZH-786 Street No.13, Raj-Nagar-II Palam-Colony, New Delhi-110077,have changed my name from Jyoti to Jyoti Negi for all future purposes. 0040504886-8

I, Juliana Mathew w/o Rajesh Chander Bhardwaj r/o 8/2, East Patel Nagar, Delhi-110008, have changed my name to Rekha Bhardwaj. 0040504856-1

I, Jayshree Deepak Vaidya w/o Shri Deepak Nilkanth Vaidya R/o 603, Gaur Heights, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name from Jayshree Deepak Vaidya to Jayshree Vaidya for all future purposes. 0040504862-1

I, JAMALAUDDIN S/o Basir Khan R/o C-96/1, Gali No.5, Shastri Park, Delhi-110053 have changed my name to JAMALUDDIN for all purposes. 0040504846-1

I Satnam Singh Bhakad S/o Jarnail Singh R/o-WZ-53-B Plot No-102 Vishnu Garden New-Delhi. have changed my name to Satnam Singh. 0040504913-1

I Sajjad Haider S/o Late Nazir Haider R/o V-552, Gali No-18-A, Block-V, Vijay Park, Delhi-110053 inform the my D.O.B. is written as 20/04/1968 in my Passport. That the correct of my D.O.B. is 09/12/1974. 0040504899-8

I Muthabathula Pramila Rani W/O Muthabathula Jacob Dason R/O 213/6, Munirka-Village, Munirka,Delhi-110067. Changed My Name to Muthabathula Pramila Rani. 0040504940-3

I, Ishan S/o Dharmender Mohan Dogra R/o Flat No-73, JDM Apartments, Sec-5, Plot Number-11, Dwarka, ND-75, have changed my name to Ishaan Dogra. 0040504888-1

I, Harish Chander s/o Bela Ram Narang r/o J-206, DLF Capital Greens, 15, Shivaji Marg, Moti Nagar, Delhi-110015, have changed my name to HARISH NARANG. 0040504855-2

I, Deven Kumar S/O Som Nath R/O-878/18 Ghani Pura Rohtak, Haryana-124001 Have Changed My Name To Deven Kathuria. 0040504940-6

I, Davinder Singh S/o Chander Singh R/o-FlatNo.154, Pocket-B, Mayur Vihar Phase-2, Delhi-110091. have changed my name to Devender Singh Yadav. 0040504913-3

I, Chandra Prakash S/o Shiv Kumar R/o-RZG1/41B, Mandir Marg, Mahavir Enclave, Delhi-110045 have changed my name to Chander Parkash. 0040504903-1

I, Bharat Bhushan Sardana S/o Som Dutt Sardana R/o H.No.175, HBC, Sector-7 Extn., Gurugram that my name is wrongly written as Bharat Sardana in my minor son Manav Sardana aged 16-yrs. 10th-Class marksheet. But my correct name is Bharat Bhushan Sardana. 0040504913-4

I, Aviral S/O Mukesh Kumar R/o 1022, Sector-5, Vasundhara, Gzb., Up-201012, Change My Name To Aviral Ahlawat. 0040504899-3

I, Archana D/O : Hari Chand Gupta, R/o : 100, SFS Hauzkhas Apartments, Hauz Khas, New Delhi-110016have changed my name to Archana Gupta 0070666791-1

I, Anoop Kumar S/O Shri Ramesh Chandra R/O-C-1, C-Block, 3rd-Floor, Balaji-Comlex, Mandawali, (UNCHE-Par), Delhi-110092.Have Changed My Minor Son Name From Tanay Kumar Verma To Tanay Verma. 0040504899-5

I, Anil kumar S/o Hira Lal Gautam R/o-RZG-832 Rajnagar Part-2, Palam Colony Delhi,have Changed my name to Anil kumar Gautam 0040504854-1

I, Anabela Lopez W/O Linus Mario Lopez R/O-B17/4,N. E.A.Poorvi Marg Rajinder-Nagar Delhi-110060.Have Changed My Name To Anabela Maria Magdalena Mascarenhas. 0040504940-1

I, Alma C.Suman W/o Subhash Chander Suman (S.C.Suman) R/o TU-1 Vishakha Enclave Pitampura Delhi-34, changed my name to Alma Suman. 0040504886-2

I, Alia Saeed W/o Mohd. Mujahid Ahmed R/o.16-B, Pocket-B, Sidharth-Extension, New Delhi-110014.hereby clarify that my mother's name was incorrectly written as Muzhat Begum in my Passport. Her correct name is Nuzhat Begum. 0040504899-9

I, Ajay Kumar Tiwari S/o Mathura Prasad R/o 338, Sanfort, Gyan Khand-1, Indirapuram, Shipra Sun City, Ghaziabad, UP, have changed my Name Ajay Kumar Tiwari to Ajay Kumar for all future purposes. 0040504858-1

I, Abhishek S/O, Shiv Shankar R/o D-52/A, Vishwas Park, Raja Puri Road Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Abhishek Kashyap for all purposes. 0040504897-1

I sapna Jain D/O Late Shri Lakhraj H.No-4304, Gali-Barna Basti-Nandram, Sadar-Bajar, Delhi-110006 Have Changed my Name to Neha Yadav. 0040504940-4

I M. Jacob Dason S/O M.Krupadanam R/O-213/6, Munirka-Village, Munirka, Delhi-110067 Have Changed my Name to Muthabathula Jacob Dason. 0040504940-2

I Kismatba Aniruddhsinh Hada Spouse Of Army No.15203330A Rank L/NK,Hada Aniruddhsinh Bhavansinh vill post & TA Himatnagar (GUJ) Have Changed My Name From Jodhadha Kishmat Kimari To Kismatba Aniruddhsinh Hada Vide-Afidavit Date-11/7/2019 Before-Executive Magistrte-Himatnagar. 0040504899-6

I, Bhagat Ram Arora S/o Kashi Ram R/o-B-305, Prateek Laurel Apartments, Sector-120, Noida have changed my name to Bhagat Ram. 0040504886-7

I Army No.15203330A Rank L/NK,Hada Aniruddhsinh Bhavansinh vill post & TA Himatnagar (GUJ) I am Convinceed That My Son's Name From Rajvardhansinh To Rajvardhansinh Aniruddhsinh Hada Vide Afidavit Date 23/7/2019 Before Executive Magistrte Gandhinagar. 0040504899-7

CLASSIFIED

Change of Name

I, Purnima Patel D/O Laxmidas Karshanbhai Dalsania R/o 8, Abhoy Sarkar Lane, 3rd Floor, Kolkata - 700020 have changed my name to Poonam D Patel for all future purposes vide affidavit No. 24/2019 dated 04.07.2019.

50152110

व्यापार संबंधित

UTH culture made easy shopping with-us easy return & refund cod available follow our business page @ uth_culture_official. 0040504852-2

खोया+पाया

I, Mohit Gupta, 1A, Pkt-C, Ph-3, Ashok Vihar, Delhi-52, lost my CBSE 10th marksheet & pass certificate(Roll No 6137504) & 12th marksheet(Roll No 9132946). Please contact at: 9873736955. 0050152142-1

I, Poorni Devi W/o Ganga Jal Sharma R/o I-7/72 Sector -16, Rohini have lost my original relinquishment Deed dated 09.08.2019 of I-7/72 Sector -16 Rohini, Finder Please inform above said address 0040504931-1

I, Simran D/o Sunil Kumar R/o D-1/628 Gali No.13, Ashok Nagar, Delhi-110093 Lost my X-Pass Marksheet Year-2018 RollNo.8620075 CBSE, Delhi. 0040504940-11

It is notified for the information that my original/ Qualifying Certificate of main-Secondary Exam Year-2008 Roll No.5306973 issued by CBSE has been actually lost-Harmeet Kaur D/o Harbhajan Singh R/o-54A/1 Teliwara, Shahdara Delhi-110032#9599692771. 0040504913-10

It is notified for the information that our original-Shares certificates Of Eicher-Motors, Folio no.50302, Certificate no.45789, Dist.No.4595361 To 4595460, Share-Holders, Kuldip Kumar Anand & Kamla Rani Anand Delhi,if anybody found-please contact-91-8130253031. 0040504940-12

Lost my original qualifying 10th Class Marksheet (Passing year 2007, Roll No.6340296) and 12th-Class Marksheet & Certificate (Passing year 2009, Roll No.:6633116) if find please Contact, Dharmendra, A-310, Part-2, Street No.-6, Sonia Vihar, Delhi-110094. Mob.9266559634. 0040504940-10

Lost: Kotak Identity cards issued by Incredible Management Services Private Limited to Gaurav Gupta (10230), Virender (10278), Mohd. Haris (10993), Arif Ahsan (11265), Ranjan Rajak (RA0136), Lalit Pandey (10084). Armstrong Tikku, SF, 29, Shivaji Marg, Delhi-110015. 0040504860-1

I, Kailash Chandra Joshi S/o Late N D Joshi R/o E1203, Nirala Eden Park, Indirapuram, Ahinsha Khand2, Ghaziabad, UP, have lost my office bag contains my all educational certificates, Wallet, Credit Card, Debit Card and other Documents on 27th June 2019. Finder Contact: 9899976392 0040504885-1

शिक्षा संबंधित

Tutors available/welcome all over Delhi for classes I to XII all subjects contact Ravi Tutorials 8368590419 or WhatsApp 7042847199 0040504857-1

रिक्त स्थान

सेक्टर 42 चंडीगढ़ में अनुभवी, फुलटाइम कुक व घरेलू हेल्पर की जरूरत। सुबह 8 - शाम 8. वेतन अनुभवानुसार। 9876111671

50151902

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल महेन्द्र कुमार एवं सोनल तातेड निवासी म.न.-ए-89, फस्ट फ्लोर, विवेक विहार, फेस-II, दिल्ली-95, ने अपने पुत्र कुनाल तातेड के अभद्र व्यवहार व कुसंगत के कारण इससे पारिवारिक सम्बन्ध समाप्त करके उसे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने अच्छे-बुरे कार्यों/व्यवहार का वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरा मुवक्किल सपरिवार नहीं।

पवन चौधरी-एडवोकेट
EN. D-2235/2004

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलान श्री गिरीश कुमार गुप्ता पुत्र स्व श्री ए पी गुप्ता, एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुकेशी गुप्ता, निवासीगण फ्लैट नं.-GA-0208, एसोटेक बिंडसर कोर्ट, सैक्टर-78 नौएडा, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश, ने अपने पुत्र रजत गुप्ता को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर संबंधविच्छेद कर लिये हैं, भविष्य में उसके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किलान व उनके परिवार जिसमें उनकी पुत्री, दामाद, भाई, बहन, माँ इत्यादि का कोई सरोकार नही होगा।

हस्ता./-
रेनु अग्रवाल, (अधिवक्ता)
D/25/2009

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SHREE KISHAN KHATRI S/O LATE TOLA RAM KHATRI residing at AK-21 Third Floor Shalimar Bagh Delhi-110088 declare that name of mine and my wife has been wrongly written as SHRI KISHAN WADHWA and MANJU WADHWA in school records of my minor son's PIYUSH KHATRI age 14 years. The actual name of mine and my wife is SHREE KISHAN KHATRI and MANJU KHATRI respectively which may be amended accordingly

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Priyanka D/o Nagender Prasad Mishra R/o 95B Rajendra Park Nangloi Delhi-110041 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Priyanka Mishra and Nagender Mishra in my CTET Degree and Marksheet. The actual name of mine and my father is Priyanka and Nagender Prasad Mishra respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Public at large are hereby informed that my client namely Shri Pardeep Kumar S/o Late Shri Mulakh Raj Sadana R/o H.No. 573, Arjun Street, Pandav Road, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032 has debarred & disowned his son Sandeep Sadana from all his moveable & immoveable properties & has also severed all social & ethical relationship with him & as such my client shall not be responsible for any acts, deeds & things committed by him. If anybody deals with him in any manner he would be doing so at his / her own risks, cost, consequences & responsibilities.

J.L. Singh (Advocate)
Ch.No. 139, Saket Court, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clientess Smt. Saroj Devi w/o Late Raghunath Parsad, R/o 6443/3, Gali Subzi Wali, Nabi Karim, Pahar Ganj, New Delhi-110055 **disowned her son Subhash Chand Patwa his wife Reena and their children,** from her all movable immovable properties as they are abusing and quarreling with my clientess and other family members and my clientess has broken all relations from them and my clientess have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner. Further more I have already gifted him a portion as per his wish.

Sd/-
(G.L. GOSWAMI)
(ADVOCATE)
3530, QUTAB ROAD,
DELHI-06

PUBLIC NOTICE

It is informed to public at large that my clients: Sh. Jasbir Singh S/o Lt. Sh. Birbal Singh and his wife Smt. Asha Rani Dogra both R/o B-6, 355, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have disowned their son namely Sh. Ajay Dogra, daughter-in-law namely Smt. Shelly Dogra and grandson namely Mst. Viraaj Dogra from their lives owing to bad behavior and intolerable conduct, particularly by Sh. Ajay Dogra and Smt. Shelly Dogra, towards them. My clients debar aforesaid persons from all of their properties and estate, movable or immovable situated within or outside the territory of Delhi, and severe all their relations with said persons as they are not loyal and under the control of my clients. My clients and their family shall not be responsible for any act, deed and thing whatsoever, done by aforesaid persons or by their agent(s), assignee(s) & legal representative(s) on their behalf w.e.f. today.

ABHIMANYU CHAUHAN (Advocate)
(M) 9810622241

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Sh. Anand Kishore and his wife Smt. Anita Soni both R/o T-158, UGF, Vishwas Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, have severed all their relationships with their son Sanjay Soni and his wife Pramila and grandson Govind debar fron all their properties moveable and immovable (i) H. No. T-158, UGF, Vishwas Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, 50 sq. yds. (ii) H. No. C-982, J.J. Colony, Hastsal, Uttam Nagar, Delhi, 25 sq. yds. And one shop U-13 (admeasuring 75x15 sq.ft.), Bindapur Matiala Road, Delhi, whatsoever and wheresoever situated and also severed all their relations, social and economical, with them for their misbehaviour and adamant attitude. Anybody dealing with them shall be at his/her/their own risks and my client shall not be responsible for the same.

Sd/-
SANJAY MALIK (Advocate)
Ch.No. 664, W. Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

ON BEHALF OF MAXHEIGHTS TOWNSHIP & PROJECTS PVT. LTD. having its registered office at SD-65, Tower Apartment, Main Pitampura Road, New Delhi.

The general public is hereby informed that on basis of documents submitted by Sh. Rajat Nayyar S/o Lt. Sh. Shashi Nayyar R/o H. No. 453, Sector-4, R.K. Puram, Delhi-110022, the developer M/s Maxheights Township & Projects Pvt. Ltd. is transferring the said Unit No. D-031 Maxheights Metroview Apartment, Sector-35, Jatheri Sonepat Haryana in favour of legal heirs left behind by Lt. Smt. Shashi Nayyar.

1. Mr. Rajat Nayyar (Son)
2. Mr. Rohit Nayyar (Son)
3. Mrs. Ruchi Nayyar (Daughter)

If any person has any objection/ claim on the said property they may file his/her claim/objection within 10 days to the Company, failing which no such objection/ claim will be entertained after the expiry of said period.

Kshitij Sharda (Advocate)
285, Lawyer Chambers, Block-II,
Delhi High Court Complex New Delhi-03

PUBLIC NOTICE

I, Sanjay Kumar Chatterjee S/o Sh. Yatishwer Chatterjee R/o E-601, Antriksh Apartment, Dwarka Sector – 4, Plot No.26, N.S.I.T Dwarka, South West Delhi, Delhi – 110078, declares that:

My correct name is Sanjay Kumar Chatterjee but wrongly mentioned as Sanjay Kumar in my Passport No. H2556781.

Also that the correct name of my father is Sh. Yatishwer Chatterjee but wrongly mentioned as Yatishever Chatterjee and my mother name is Smt. Rewati but wrongly mentioned as Smt. Rewati Devi in my passport.

I, hereby, declare that myself Sanjay Kumar Chatterjee and Sanjay Kumar and my father Yatishwer Chatterjee and Yatishever Chatterjee and my mother Smt. Rewati and Smt. Rewati Devi are one and the same person.

This is my true and correct statement.

Deponent
Sanjay Kumar Chatterjee

PUBLIC NOTICE

To be known to all that We, Satya Narayanan S/o Sh. Ramakrishnan and Uma Ramachandran W/o Mr. Satya Narayanan both R/o F-124, Second + Third Duplex, Sarita Vihar, New Delhi-110076 owner of DDA Flat No. F-124, Second + Third Duplex, Sarita Vihar, New Delhi, vide DDA File No. F-128 (16)91/SFS/SV/III, has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free in DDA. The original document I.e Allocation Letter, Possession Letter, Site Possession Slip and NOC Electricity and Water etc., of the above said flat have been lost. An NCR to this effect has been lodged in Police Station.

Any person (s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original document, June write/contact with above named person at above address / phone No. 9958539993 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) H or Director (H)-1, D Block 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

उद्घोषणा-पत्र

मेरे मुवक्किल निर्मला शुक्ला पत्नी श्री धर्मव्रत शुक्ला व धर्मव्रत शुक्ला पुत्र स्व0 लाल कृष्ण शुक्ला निवासीगण एम0जी0-92ए, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ, पूर्ण स्वस्थ मन-मस्तिष्क से बिना किसी जोर-दबाव नाजायज के समस्त जनसाधारण को सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अंकिता शुक्ला उर्फ आयशा अदनान खान पत्नी अदनान अख्तर खान ने उनको अत्यन्त परेशान व मानसिक रूप से पीड़ित कर दिया है। उसने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उनके विरूद्ध रिट याचिका संख्या-18382 (एन/बी) 2019 दायर कर उन पर झूठे आरोप लगाए। उसी रिट याचिका से हमारे मुवक्किल को ज्ञात हुआ कि उसने अपने सगे माता-पिता के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश सी0जे0एम0 कस्टम लखनऊ के न्यायालय में झूठा परिवाद दायर कर रखा है जो परिवाद सं0-1801/2019 थाना-अलीगंज, लखनऊ के रूप में पंजीकृत हुआ है। अपनी पुत्री उपरोक्त के इस प्रकार के झूठे आरोपों से मेरे मुवक्किल अत्यन्त दुःखी व अपमानित महसूस कर रहे हैं।

अतः मेरे मुवक्किल अत्यन्त दृढ़तापूर्वक यह उद्घोषित करते हैं कि वे अपनी पुत्री अंकिता शुक्ला उर्फ आयशा अदनान खान पत्नी अदनान अख्तर खान को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से कतई बेदखल करते हैं। मेरे मुवक्किल का उससे अब कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

यह सम्पूर्ण कथन मेरे मुवक्किल ने बिना किसी जोर दबाव के, पूर्ण होशो-हवास में पूर्ण स्वस्थ मन-मस्तिष्क से तस्दीक किया है, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक 17-07-2019
स्थान: लखनऊ

हस्ता0/-
राजेश शर्मा (एडवोकेट)
चैम्बर: सी 6A, कल्याणपुर वेस्ट, (पी0ओ0) विकास नगर, लखनऊ, यू0पी0 पिन-226022, मो0 9453408326

एसएमएस अस्पताल में रोगी को बताना होगा अपना धर्म

जयपुर, 26 जुलाई (भाषा)। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में एक नई व्यवस्था की गई है, जिसमें पंजीकरण कराने वाले रोगी को अपने धर्म की जानकारी भी देनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जनसंख्या विशेष में रोगों का डाटाबेस तैयार करना है।

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीएस मीणा ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। धर्म, लिंग, आयु व इलाके जैसी इस जानकारी से चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान आदि के लिए डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलती है। इससे किसी जनसंख्या या इलाके विशेष में अगर कोई बीमारी ज्यादा है तो उसे चिह्नित करने में भी आसानी रहती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इसी मंशा से की गई है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विटामिन डी की कमी मुसलिम महिलाओं में अधिक पाई जाती है, जबकि पेनाइल केरसीनोमा हिंदुओं में अधिक पाया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए ऐसी जानकारी जुटाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उसके अस्पतालों में आने वाले रोगियों का पूरा ब्योरा पंजीकरण के समय भरा जाना चाहिए। एसएमएस अस्पताल में प्री ओपीडी फार्म की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें रोगी को सारी जानकारी देनी होगी। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था एसएमएस अस्पताल में लागू की गई है और संबद्ध अस्पतालों में भी यह शुरू किए जाने की संभावना है।

PUBLIC NOTICE

My CLIENT **SH. ISHWAR SACHDEVA S/O SH. SOMNATH SACHDEVA R/O H.NO: D-6/199/1, SECTOR-6, ROHINI, DELHI,** SEVERE ALL RELATONS & DEBAR HIS SON **PRASHANT SACHDEVA** FROM ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO HIS MISCONDUCT. MY CLIENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR HIS ANY ACTS IN FUTURE.

Sd/-
SUDEEP YADAV (ADVOCATE)
Enrollment NO. D/3759/2010
Mobile No.: 9650565959

PUBLIC NOTICE

I Surender singh malik and my wife sumesh malik r/o house no. 2 munirka kunj deenpur najafgarh New Delhi 110043 are disowning my son aniruddh malik and his wife garima malik along with grand son nivaan malik because of their wrong attitude and behaviour towards family.

We declare to everyone that hereafter if any one deals with them they are solely responsible. We have no liability towards them.

Advocate: Kishore Purohit
D-408, Karkardooma Court,
Delhi-110032.

Public Notice

मैं योगेश बाला सपुत्री स्व० श्री बनवारी लाल शर्मा पता-C-146 Delhi administration flat Sindhora kalan Delhi-110052 मैंने अपने पुत्र भरत शर्मा व उसकी पत्नी सुनीता शर्मा को उनके आये दिन दुर्व्यवहार के कारण उक्त दोनों को अपनी 20 जुलाई 2019 से अपने व अपने पारिवारिक सम्बध विच्छेद कर दोनों को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है! दोनों अपने समस्त कृत्य व लेन देन के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे! मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नही होगी!

PUBLIC NOTICE

Be it know to the general public at large on behalf of my client Mr. Shafiq Ahmed S/o Late Laiq Ahmad R/o 274-B, 2nd Floor, Al-Murtuza Apartment, Jamia Main Road, Okhla, New Delhi-110025 that my aforesaid client has disowned and debarred his son Mr. Mohammad Yusuf Shafiq from his all moveable & immoveable properties / assets including above owned house and severed all relations with him & his wife Ms. Farah Saeed, due to their misdeed, neglact, harassmant & unbecoming & injurious behaviour towards my client, his wife and children. If anybody deals with them will do so at his own risk and responsibility & my client shall not be responsible to any one for the acts of the above.

S.Qamar (Advocate)
Ch.No. 250, Saket Court, New Delhi-110017

मप्र में कांग्रेस ने खेल शुरू किया है, खत्म भाजपा करेगी : चौहान

गोरखपुर, 26 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने (कांग्रेस) खेल की शुरुआत की है, इसे खत्म हम करेंगे।

चौहान ने कहा कि उन्होंने खेल की शुरुआत की है और हम (भाजपा) इसे खत्म करेंगे। कांग्रेस सरकार बसपा और अन्य पार्टियों के समर्थन से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमसे कुछ सीटें ज्यादा पाई थीं, इसलिए भाजपा ने नैतिक आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने गंदी राजनीति करनी शुरू कर दी है और इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनका यह बयान मध्य प्रदेश में हुई सियासी उठापटक के दो दिन बाद आया है, जहां विपक्षी दल भाजपा के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने बुधवार को विधानसभा में पेश दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 के पक्ष में मतदान किया था।

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
Register yourself for
MP JUDICIARY/DELHI HIGHER JUDICIARY
MOCK Interview Programme
on 80066-0301 / 2130
28 JULY SUNDAY
MUKHERJEE NAGAR
JUDICIAL FOUNDATION WEEKEND 19 AUG • 28 JULY 880066-0301/2130
CLAT / DU.LLB. 26 JULY 880066-0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD
JUDICIAL 21 AUG. IAS (LAW) 20 AUG. CLAT 5 AUG.
UPSC LAW (OPTIONAL)
TEST SERIES : 4 AUG., 2.30 PM
880066-2140 / 011-49841810
B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301 www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

ऑक्सीजन छोड़ने वाला एकमात्र पशु है गाय : त्रिवेंद्र सिंह

देहरादून, 26 जुलाई (भाषा)।

उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यह कहते हुए एक नया विवाद छेड़ दिया है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ने वाला एकमात्र पशु है। उन्होंने यह भी कहा कि गाय की मालिश करके सांस संबंधी समस्या का उपचार किया जा सकता है।

वायरल हुए वीडियो में मुख्यमंत्री रावत एक समारोह में गाय के रोगनाशक गुणों के बारे में बताते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रावत कह रहे हैं कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है, जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है, इसलिए हमने गाय को माता का दर्जा दिया है, क्योंकि वह हमें प्राणवायु देती है। वह कहते दिख रहे हैं कि गाय की मालिश करने से सांस की तकलीफ दूर हो जाती है और गाय के संपर्क में लगातार रहने से टीबी जैसी बीमारी ठीक हो जाती है।

वीडियो में मुख्यमंत्री गाय के गोबर और गोमूत्र के औषधीय गुणों के बारे में भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन मंत्री रहते हुए उन्होंने इसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन भी कराया था।

रावत वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि गाय के गोबर और गोमूत्र में कितनी ताकत है और हमारे शरीर, त्वचा, हृदय और किडनी के लिए यह कितना फायदेमंद है, वैज्ञानिक आज इसे प्रमाणित कर रहे हैं। इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नैनीताल से नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने दावा किया था कि बागेश्वर में बहने वाली गरुड़गंगा के पानी को पत्थर से घिस कर अगर गर्भवती महिला को पिला दिया जाए तो प्रसव के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, चाण्डिल

ई0 निविदा रिफरेन्स नं0 – WRD/IGC/SCD/IFB (F2) -02/2019-20

ई0 प्रोक्युरमेन्ट सूचना

क0	सूची	विवरणी
1	कार्य का नाम	खरकई दोया मुख्य नहर के कि0मी0 10.140 पर C.R एवं कि0 मी0 17.220 पर C.R. Cum H.R. का निर्माण कार्य।
2	प्राक्कलित राशि	रू0 1,98,51,091=29 (रूपये एक करोड़ अनठानबे लाख एकावन हजार एकानबे रूपये एवं उनतीस पैसे) मात्र।
3	निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि	रूपये 10,000/– एवं रूपये 3,97,100/–
4	कार्य पूर्ण करने का समय	360 (तीन सौ साठ दिन)
5	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि तथा समय	03.08.2019 5:00 बजे अपराह्न
6	निविदा अभिलेख डाउनलोड करने की तिथि	03.08.2019 5:00 बजे अपराह्न से 23.08. 2019 5:00 बजे अपराह्न तक।
7	निविदा प्राप्त करने की तिथि तथा समय	03.08.2019 5:00 बजे अपराह्न से 23.08. 2019 5:00 बजे अपराह्न तक।
8	निविदा खोलने की तिथि	28.08.2019 पूर्वाह्न 11:00 बजे।
9	निविदा प्रकाशन करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	ई0 कुमार अरविन्द कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, चाण्डिल। मो0 नं0 9431166643 ई0 मेल – eescd.chandil@gmail.com
10	ई0 प्रोक्युरमेन्ट सेल का हेल्प लाईन नं0	0657 – 2363169

नोट :– सिर्फ ई0 निविदा स्वीकार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट http://jharkhandten ders.gov.in. देखें।

बूंद - बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता
सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, चाण्डिल

P.R.212877 Water Resource(19-20)-D

आजम सभी महिलाओं से मांगें माफी : मायावती

लखनऊ, 26 जुलाई (भाषा)।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा में उपाध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा सांसद आजम खां की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा है।

मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सपा सांसद आजम खां द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया।

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public at large that my client Vijay Kumar and his wife Smt. Suman both R/o. 2892/35, Shinghara Chowk, Qutub Road, Delhi GPO North, Delhi -110006 hereby declaring/ debarring/ disowning their son Manoj Kumar and his wife Smt. Preeti and their son Vansh and also grandson namely Parth S/o. Praveen Kumar from their life, properties and state, moveable or immoveable situated in Delhi or outside of Delhi and severed all their relations with her because they are not loyal and under the control of my clients. My clients and their family will not be responsible for any act, deed and thing done by the abovenamed person since today.

SANAVVAR ALI RAJPUT-ADVOCATE
K-28, Near Gate No.2,
Tis Hazari Courts, Delhi -54

युवती की चाकू मार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

- मजदूरी करता है हत्या का आरोपी
- घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी युवती
- पुलिस का कहना है कि युवक का युवती से था एकतरफा आकर्षण

हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भोगल में एक युवक ने सरेराह एक युवति की चाकू मार कर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी शुक्रवार शाम करीब छह बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस कारण वह भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी युवक मुनासिर (25) से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि युवती से आरोपी युवक को एकतरफा आकर्षण था।

भोगल के मुख्य मार्ग पर 19 साल की युवती अपने घर की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आए एक युवक ने उस पर चाकू से वार किया। रमेश नामक चश्मदीद ने बताया कि युवक ने युवती के पीट, पेट और गर्दन पर चाकू से वार किया था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जब युवती को बचाने की कोशिश की तो आरोपी उन पर भी हमला करने की धमकी देने लगा। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका ध्यान भटका कर उसके हाथ पर वाइपर और डंडे से हमला किया, जिसके बाद चाकू उसके हाथ से छूट गया। बाद में लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं, घायल युवती को वहां मौजूद कुछ महिलाएं ऑटो चालक की मदद से एम्स ट्रामा सेंटर लेकर गईं और भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी युवक मजदूरी का काम करता है। वहीं, युवती घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्त में लेकर आगे की पूछताछ और कार्रवाई कर रही है।

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance
Trusted Since 1906

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Registered & Head Office: 3, Middleton Street, Kolkata-700071
CIN : U10200WB1906GOI001713; IRDAI Reg. No. 58
Tele-fax : (033) 2283-1717;
E-mail : ncd.coordinator@nic.co.in
Website : https://nationalinsurance.nic.co.in

NOTICE

We would inform that a meeting of the Board of Directors of the Company is re-scheduled to be held on Monday, 29th July 2019 at 1.30 p.m. at the Head Office of the Company at 3, Middleton Street, Kolkata - 700 071 to inter-alia consider, approve and adopt the Annual Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2019.

By order of the Board
For National Insurance Company Limited

Place : Kolkata
Dated : 25.07.2019

Rina Madia
Company Secretary

AD UIN NO. 019/19-20

जल्द बनाएं जाएंगे 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली की अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने का काम अब तेजी से होगा। शुक्रवार को इस प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 18 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। यह मसविदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में रखा गया था। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कैलाश ने बताया कि कैबिनेट ने 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट व 22 व्यावसायिक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा।

कानून विभाग ने यह मसविदा कैबिनेट को भेजा था। इसमें कोर्ट संचालन के लिए 22 पदों की अनुमति मांगी थी। इसके अतिरिक्त इनके साथ अन्य 212 कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। इस फैसले से दिल्ली सरकार पर वार्षिक करीब 13 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस मामले में उच्च न्यायालय ने जनवरी, 2019 में इन खाली पदों को भरने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री ने केंद्र की वित्तीय सहायता पर उठाए सवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली सरकार को विकास योजना के तहत केंद्र सरकार से सालाना छह हजार करोड़ रुपए मिलने चाहिए, जबकि मिल रहे हैं 325 करोड़ रुपए। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वित्त आयोग सचिव एनके सिंह से मुलाकात की। वित्त आयोग ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि मुद्दे पर जल्द जांच होगी।

मुख्यमंत्री इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर चुके हैं और मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी करने के लिए एक विस्तृत मसविदा भी सौंप चुके हैं। सचिव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली वाले देश के विकास के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपए का आयकर जमा करते हैं। इतनी धनराशि के बाद भी केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता के तौर पर केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली को मिलने वाली वित्तीय मदद में इजाफा किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि 2000 में प्रावधान था कि देश के अन्य राज्यों की तरह ही दिल्ली को भी पैसा जारी किया जाएगा, जो नहीं हो रहा है।

पूर्व सैनिकों का किया अपमान : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि पूर्व सैनिकों को अस्पतालों की सुरक्षा के काम से हटाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे देश के सैनिकों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन सैनिकों को निकालने का आदेश जारी कर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इन कर्मचारियों की पुनः तैनाती की मांग करेंगे।

करगिल दिवस पर जवानों को किया याद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

करगिल दिवस के मौके पर शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने देश के जवानों को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मौके पर इंडिया गेट स्थित वार मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.5 डि.से.	32.5 डि.से.	30.4 डि.से.	29.9 डि.से.
न्यूनतम	26.2 डि.से.	26.2 डि.से.	25.4 डि.से.	26.3 डि.से.

दिल्ली में छिटपुट बारिश ने दी उमस से राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार को रुक-रुककर हुई बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को भारी बारिश तो नहीं देखने को मिली लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है। विभाग ने शनिवार को भी बारिश का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र गंगा तटीय बंगाल के ऊपर है व एक हवाई चक्रवात उत्तर प्रदेश के आसपास बना है जिसके प्रभाव से आने वाले चार-पांच दिनों में मध्य, दक्षिण भारत, गुजरात व राजस्थान में बारिश होगी। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र 31 को बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को पुरवाई उड़ा ले गई। फिर भी शुक्रवार को दिल्ली में सात मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के साथ ही तापमान दो डिग्री तक गिर गया।

चलती कार में आग लगने से कारोबारी की जलकर मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

महिंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के मुकरबा चौक पर गुरुवार देर रात एक स्पोर्ट युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) कार में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार चालक की मौत हो गई। ट्रांसपोर्टर का काम करने वाले कारोबारी की पहचान अलीपुर निवासी अजय गुप्ता (42) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, अजय गुप्ता विदेश जाने के लिए इंदिरा गांधी हवाईअड्डे जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार में आग लगी।

घटना की सूचना करीब दस बजकर 37 मिनट पर दिल्ली दमकल और स्थानीय पुलिस को दी गई। दो दमकलों ने आग पर 20 से 25 मिनट में काबू पाया। झुलसी हुई हालत में अजय गुप्ता को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर सभी दृष्टिकोण से छानबीन कर रही है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजंयता आर्य के मुताबिक, अजय गुप्ता अलीपुर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। विदेश जाने के लिए गुरुवार देर रात वे घर से अपनी कार में रवाना हुए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है।

घटनास्थल पर जली हुई कार।

- दो दमकल की गाड़ियों ने 25 मिनट में पाया आग पर काबू

दरवाजे हो गए थे बंद!

आग लगने के बाद कार के सभी दरवाजे बंद हो गए थे। अजय गुप्ता ने बचने के लिए काफी जद्दोजहद की लेकिन वह असफल रहे। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शॉट-सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन छानबीन पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आग कैसे लगी।

झगड़े के बाद दो बच्चों को पुल से नीचे फेंका

- मां ने सहजीवन में साथ रह रहे साथी पर झगड़े के बाद दोनों बच्चों को पुल से फेंक देने का लगाया आरोप
- बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीके अस्पताल से एम्स भेज दिया गया

फरीदाबाद, 26 जुलाई (जनसत्ता)।

सहजीवन में रह रहे एक जोड़े ने आपसी कहासुनी के बाद बेरहमी से दो मासूम बच्चों को वाइएमसीए फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों बच्चों को गंभीर हालत में बीके अस्पताल मे भर्ती करवाया। बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। यह हादसा गुरुवार रात डेढ़ बजे दिल्ली-मथुरा हाईवे पर हुआ। बच्चों की विधवा मां की शिकायत पर पुलिस ने थाना सेक्टर-8 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, ओल्ड फरीदाबाद झुग्गी निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी चार साल की बेटी और दो साल का बेटे के साथ पिछले एक साल से पंकज के साथ ऊंचा गांव में रहती है। कल ऊंचा गांव से पंकज के साथ बच्चों को साथ लेकर स्कूटी से ओल्ड फरीदाबाद आ रही थी। रात करीब एक बजे वाइएमसीए फ्लाईओवर पर पंकज ने किसी बात पर आपसी बहस होने पर महिला को दो थप्पड़ मारे और एक-एक करके दोनों बच्चों को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की से घायल बच्चों को अस्पताल ले गई। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी को पुलिस हिरासत मे लेकर हत्या के कारणों के बारे मे पूछताछ की जा रही हैं।

कनॉट प्लेस में मद्य निर्माणशाला को दिल्ली सरकार की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में पहली माइक्रोब्रयुरी (मद्य निर्माणशाला) खोलने की मंजूरी दे दी है और इसे शुरू भी कर दिया है। विदेश व देश के अन्य राज्यों में चल रही इस परियोजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार लंबे समय से काम कर रही है। कनॉट प्लेस के रेस्तरां मालिक को दिल्ली सरकार द्वारा यह लाइसेंस दिया गया है। मद्य निर्माणशाला का लाइसेंस पाने वाले प्रतीक चतुर्वेदी बताते हैं कि वे लंबे समय से इस लाइसेंस का इंतजार कर रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, अन्य जगहों पर भी इसके लिए आवेदन आ रहे हैं। करीब 25 से 30 लाइसेंस प्रक्रिया में हैं। दिल्ली में इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया राष्ट्रमंडल खेलों के समय से ही चल रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जून, 2015 में इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। पर्यावरण विभाग व उपराज्यपाल ने दिसंबर, 2018 में इसे मंजूरी दी। इसे खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों में भी प्रावधन किया गया और डीडीए ने इन प्रावधानों को लागू किया। प्रक्रिया के बाद दिल्ली को पहली माइक्रोब्रूअरी खोलने की मंजूरी मिली है।

राष्ट्रमंडल खेलों के समय से ही चल रही थी प्रक्रिया

'मेट्रो में चार निदेशकों की तैनाती करो या कारण बताओ'

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली मेट्रो में निदेशक के पद पर तैनाती के मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो प्रशासन को पत्र लिखा है। पत्र में मेट्रो प्रशासन से कहा गया है कि दिल्ली सरकार से भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप मेट्रो में नए चार निदेशकों की तैनाती की जाएगी। अन्यथा तैनाती न किए जाने का कारण दिल्ली सरकार को बताया जाए। ज्ञात हो कि हाल में मेट्रो में गैर नौकरशाहों के नाम भेजे जाने पर शहरी विकास मंत्री ने आपत्ति जताई थी।

शहरी विकास मंत्री ने कहा था कि इन नामों को वापस लिया जाए। दिल्ली सरकार ने 13 जुलाई, 2019 को दिल्ली मेट्रो में चार निदेशक तैनात किए जाने की सिफारिश भेजी थी। इन नामों में एनडी गुप्ता, जैशमिन शाह, राघव चड्डा और आतिशि का नाम था। दिल्ली सरकार की सिफारिश के बाद भी इन नामों को मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए अब इस मामले में दिल्ली मेट्रो को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ कहा गया है कि इन पदों की तैनाती के लिए मेट्रो सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करे। निदेशकों की तैनाती को परियोजनाओं संबंधित मामलों को जनता के हित में बताया गया है। अब यह मामला मेट्रो बोर्ड के पास है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन दिन का समय दिया है। उनका कहना है कि बाधक कारण की जानकारी दिल्ली सरकार को दी जाए।

केजरीवाल लिखित में मांगें माफी : तंवर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

तीन साल पहले मई, 2016 में हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के विधि व संपदा अधिकारी एमएम खान हत्याकांड मामले में नाम घसीटे जाने पर रोष जताते हुए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी नेता करण सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री से लिखित माफी मांगने और हर्जाना देने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माफी मांगने की आदत है। वे लिखित में माफी मांगें और इस बाबत हुए उनकी क्षतिपूर्ति का हर्जाना दें।

समुद्र के रास्ते लाते थे हेरोइन, दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नवी मुंबई से 130 किलो हेरोइन जब्त कर गिरोह के सरगना समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अफगानिस्तान का नागरिक शामिल है। बरामद हेरोइन की यह खेप भी गत दिनों पकड़ी गई 200 किलो हेरोइन की तरह ही अफगानिस्तान से ईरान के समुद्री रास्ते मुंबई लाई गई थी। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 500 करोड़ बताई जा रही है। स्पेशल सेल के उपायुक्त मनीषी चंद्रा के अनुसार गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कांधार निवासी अहमद शाह आलोकजई और तिफल नौखेज उर्फ तिफाले के रूप में हुई है।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

बिहार और असम में आई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में छात्रों ने अभियान चलाया और आपदा प्रबंधन पर चर्चा की। कॉलेज के छात्र पीयूष पांडेय की अगुआई में चले इस अभियान को बाकी कॉलेजों द्वारा लागू किया जाएगा। बकौल पीयूष पांडेय बिहार में सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 104 बताई जा रही है लेकिन गैर सरकरी संगठनों की दावा है कि यह संख्या 200 के पार है। देशबंधु कॉलेज के छात्रों ने तय किया है कि वे सीधे राज्य सरकार या प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता भेजेंगे। पीयूष पांडेय ने कहा, यह मदद की प्रवृत्ति को बढ़ाने का भी प्रयास है।

स्कूलों में आदर्श शौचालय बनाने की मांग

नई दिल्ली। संपूर्णा स्वयंसेवी संगठन की संस्थापिका अध्यक्ष शोभा विजेंद्र और उनकी टीम ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर अंजू कमलकांत से मुलाकात की। शोभा ने दिल्ली के स्कूलों के शौचालयों को आदर्श शौचालय की श्रेणी में लाने के लिए उचित कदम उठाने के सुझाव दिए। शोभा विजेंद्र तीन वर्षों से एक अभियान दिल्ली स्कूल आदर्श शौचालय मिशन चला रहीं हैं। **(जनसत्ता संवाददाता)**

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और आइसी सेंटर फार गवर्नेंस : स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर चर्चा, एनेक्स सभागार -2, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे तक।

हंसी थोड़ी, सस्पेंस ज्यादा

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

जजमेंटल है क्या

रेटिंग- ★★

निर्देशक- प्रकाश कोवेलामुदी

कलाकार- कंगना रनौत, राजकुमार राव, जिमी शेरगिल

पहले इस फिल्म का नाम 'मेंटल है क्या' था। लेकिन कुछ संस्थाओं की तरफ से 'मेंटल' शब्द को लेकर हुई आपत्ति के बाद नाम हो गया 'जजमेंटल है क्या'। फिल्म मध्यांतर के पहले तो कॉमेडी-सस्पेंस थ्रिलर की तरह है लेकिन उसके बाद सस्पेंस ही सस्पेंस है।

कंगना ने इसमें बॉबी नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है, जो सिरोसिस नाम की मानसिक बीमारी से ग्रसित है। बॉबी के साथ बचपन में एक हादसा हुआ था। उसके माता-पिता आपस में काफी झगड़ते थे। एक दिन जब बच्ची बॉबी ने अपनी मां को बचाने के लिए पिता को धक्का दिया तो दोनों छत से गिर कर मर गए। उसके बाद बॉबी काफी बदल गई। वो फिल्मों में एक डबिंग आर्टिस्ट बन गई। पर डबिंग के दौरान जिस फिल्मी सितारे की आवाज निकालती, वो उसके किरदार के भीतर भी चली जाती और खुद को वैसा समझने लगती। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका सारा समय उसके किचन के लिए सामान लाने में जाता है। इसी बीच, बॉबी डबिंग के दौरान अपने एक सहकर्मी को चाकू मार देती है। इस कारण उसे कुछ दिनों के लिए मानसिक अस्पताल में रहना पड़ा। जब वो वहां से लौटकर अपने अंकल के यहां आई तो एक विवाहित जोड़ा किरदार के रूप में आया- केशव (राजकुमार राव) और रीमा (अमायरा दस्तूर)। एक दिन रीमा की हत्या हो जाती है। अब सवाल है कि हत्यारा कौन है? बॉबी को शक है कि हत्या केशव ने की। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। केशव छूट जाता है। कुछ समय बाद बॉबी इंग्लैंड पहुंच जाती है। वहां उसे फिर से केशव मिलता है। रिश्ते की एक बहन के पति के रूप में। बॉबी को शक होता है कि केशव अब उसकी बहन की हत्या करेगा। क्या सच में ऐसा होगा या ये सब बॉबी के दिमाग में चलनेवाला फितूर है? फिल्म मानसिक रोगियों की दुनिया में प्रवेश करती है लेकिन यह संदेश भी देती है कि जरूरी नहीं कि मानसिक रोगी हमेशा गलत बात ही कहे। कंगना ने ऐसे चरित्र को बखूबी निभाया है, जो मानसिक स्तर पर सिर्फ अपने खयालों में जीती है लेकिन उसके भीतर हालात को भांपने की क्षमता है। राव बतौर केशव शुरू से ही थोड़े रहस्यमय लगते हैं। आत्मनियंत्रित भी। क्या केशव का कोई अतीत है, जो उस पर हमेशा हावी रहता है? आखिर में इसकी जानकारी मिलती है। फिल्म में जिमी शेरगिल भी हैं जो लंदन में नाटक के निर्देशक की भूमिका में है। रामायण की कथा भी फिल्म में बतौर नाटक की तरह है और बॉबी का ये डॉयलाग कि 'अब सीता रावण को ढूंढेगी' इस फिल्म की एक कुंजी बन जाती है। हालांकि रामायण पर आधारित नाटक वाला प्रसंग अनावश्यक रूप से फैल गया है और केशव के अतीत से जुड़ी कहानी बहुत छोटी रह गई है। इसलिए आखिर में निर्देशकीय पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है।

कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं

अर्जुन पटियाला

रेटिंग- ★★

निर्देशक- रोहित जुगराज

कलाकार- दिलजीत दोसांझ, कृति सेनन, वरुण शर्मा, रोनित रॉय

यह एक कॉमेडी फिल्म है और स्टैंडअप कॉमेडी स्टाइल में दर्शकों को हंसाती है। दिलजीत ने इसमें अर्जुन पटियाला नाम के पुलिस वाले का किरदार निभाया। नाम से शायद शक हो कि इसका पटियाला पैग से कोई रिश्ता हो। यह शक बेबुनियाद नहीं है क्योंकि अर्जुन पीने का बड़ा शौकीन है। खूप पीता है। वो एक प्रेमी किस्म का जीव भी है। पर साथ ही एक ऐसा पुलिस वाला है, जिसके पास अपराध की कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ नायाब किस्म के तरीके हैं।

पुलिस में उसका सहयोगी ओनिडा सिंह (वरुण शर्मा) है। वो भी मस्त बंदा है। वो भी प्रेमी किस्म का है लेकिन असफल प्रेमी। फिल्म में तीसरी बड़ी किरदार है रितु रंधवा (कीर्ति सेनन), जो क्राइम रिपोर्टर है। अर्जुन का दिल रितु रंधवा पर आ जाता है पर क्या उसका टांका उससे भिड़ सकेगा? पर निर्देशक कोई रोमांटिक कहानी तो दिखा नहीं रहा है इसलिए इस प्रेम प्रसंग में हंसी के फव्वारे अधिक छूटते हैं और रोमांस कम है। सीमा पाहवा ने इसमें महिला नेता और विधायक का किरदार निभाया है। वैसे एक कहानी के रूप में फिल्म आगे चलकर लचर हो जाती है, इसलिए वह सिर्फ हंसा कर रह जाती है, दिल को नहीं छूती। फिल्म में सनी लियोनी का एक आइटम नंबर भी है। बेशक ये पुराना फिल्मी फार्मूला है, जो अब उतना कारगर नहीं रहा।

काला जादू अधिनियम के तहत अकोला में आठ लोग गिरफ्तार

अकोला, 26 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के अकोला में छिपे हुए खजाने की तलाश में काला जादू करने के आरोप में एक समूह के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से दो निकटवर्ती मध्य प्रदेश राज्य के हैं।

आकोट ग्रामीण पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक ध्यानोबा फड़ ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस गुरुवार को दहिखेद गांव पहुंची और इन लोगों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे खेत में काला जादू कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि वे 'छिपा हुआ खजाना' ढूंढ़ने के लिए काला जादू कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के मानव बलिदान व अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी आचरण और काला जादू रोकथाम व उन्मूलन अधिनियम, 2013 के तहत आठों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फड़ ने बताया कि इनमें से दो मध्य प्रदेश के हैं और बाकी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान), फोन: 0141-2222232 फैक्स: 0141-2221961, CIN: L23201RJ1986PLC003704, ई-मेल: conpetco@gmail.com वेबसाईट: www.contol.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 5 अगस्त, 2019 सोमवार को प्रातः 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 30 जून, 2019 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा। पुनश्च: कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनेदेन हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2019 से 30 जून 2019 के परिणाम घोषित होने के 48 घंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.contol.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
हस्ता./-
मदन लाल खण्डेलवाल (मैनेजिंग डायरेक्टर)

स्थान: जयपुर
दिनांक: 26 जुलाई, 2019

सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : वाई-4-ए-सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028
CIN: L5I909DL1983PLC016724
Ph.: 9350150766
EmailId: supremecommercial@gmail.com

सूचना

सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया के विनियमन 29(1) साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन एवं अनुमोदन करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:00 बजे वाई-4-ए-सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028 में आयोजित की जायेगी।

पुनः सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसरण में कम्पनी के प्रतिभूतियों की लेन–देन व्यापार खिड़की 1 जुलाई 2019 एवं बोर्ड की बैठक की समाप्ति के 48 घण्टों जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन होना है, तक बंद रहेंगी।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता०/–
(मीनाक्षी बी० चौधरी)
कम्पनी सचिव

तिथि: 26.07.2019
स्थान: दिल्ली

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

द करूर वैश्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. ६, ३ रा तल, मेट्रो पिलर नं. ८०, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली–110005

संदर्भः अधोलिखित को भेजी गई मै. वेस्टएंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी की ऋण खाता में बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना; 1) मै. वेस्टएंड एजुकेशनल एंड बेलफेयर सोसायटी, पर प्रेजीडेन्ट श्री सीएम भाटिया, पर सचिव श्रीमती राज भाटिया, ई–75, रमेश नगर, दिल्ली–110015; 2) श्री चन्दर मोहन भाटिया, पुत्र श्री अरूर चन्द भाटिया; 3) श्री राज भाटिया, पुत्र श्री पूरण चन्द भाटिया, नं. 2 एवं 3 निवासीः डी–6, चौथा तल, बाली नगर, नई दिल्ली–110015; 4) श्रीमती राज रानी गुप्ता, पत्नी श्री सुमेर चन्द गुप्ता, निवासीः ए–172, मीरा बाग, नई दिल्ली–110087; तथा 5) मै. मदर्स प्राइड एजुकेशन पर्सोन्ना प्रा. लि. पंजी. कार्यालय–11/77, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110018

जैसा कि आपने प्रतिभूत केडीटर बैंक के लिये ऊपर वर्णित ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा खाता 14.07.2019 को एनपीए बन चुकी है। बैंक ने 22.7.2019 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 2,09,41,068.11 (रुपये दो करोड़ नौ लाख इकतालिस हजार अड़सठ तथा पैसे ग्यारह मात्र) * की बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने का निर्देश दिया था। सूचना की एक प्रति पॉकेट नं. 2, सेक्टर 17, द्वारका, नई दिल्ली में आपके स्कूल के परिसरों में भी चिपकाई गई है।

जैसा कि पंजी. डाक/कूरियर से आप सभी को भेजी गई सूचना अन्सर्ब्ड वापस लौट आई है। एतद्द्वारा आपको आमंत्रित किया जाता है कि बैंक में पधारें तथा अपने स्वयं के हित में सूचना की प्रति प्राप्त करें ताकि आप बकाया ऋणों, बैंक के पास चार्ज्ड प्रतिभूतियों आदि का सम्पूर्ण विवरण नोट कर सकें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक खाता सं.: 4117.738.49 में 7.7.2019 से एवं खाता सं. 4117.715.40 में 15.07.2019 से ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित रूप में बैंक के पास हाइपोथेकेट/गिरवी रखी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। ऋणधारक तथा गारन्टरों को ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (८) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

तिथिः 26.07.2019
स्थानः दिल्ली

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

पॉकेट नं. 2, सेक्टर 17, द्वारका, दिल्ली में इंस्टीच्यूशनल सम्पत्ति एवं निर्मित

LT Foods Ltd.

DAAWAT

Regd. Office: Unit - 134, 1st Floor, Rectangle – 1, Saket District Centre, New Delhi-110017
Corporate Office: MVL-I Park, 4th Floor, Sector-15, Gurugram-122001, Haryana.
T-0124-3055100, Fax 0124-3055199. Email Id: ir@ltgroup.in Website: www.ltgroup.in
CIN NO L74899DL1990PLC041790

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण एवं उद्घोषणा उत्तरदायित्व) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 08 अगस्त 2019 दिन के 4.00 बजे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय – तल 4, एमवीएल–I पार्क, सेक्टर–15, गुरुग्राम –122001 में होगी जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ltgroup.in और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् www. nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अनुसार 01 जुलाई 2019 से बंद कम्पनी की सेक्युरीटीज़ की खरीद–बिक्री शनिवार 10 अगस्त 2019 तक बंद रहेगी।

इसलिए सभी निदेशकों, पदनामित कार्मिकों, इंसाइडरों और उनके निकटतम रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है खरीद–बिक्री बंद रहने की इस अवधि में कम्पनी की सेक्युरीटीज़ का कोई लेन–देन नहीं करें।

निदेशक मंडल की बैठक में विमर्श के लिए यदि कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारकों के कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने नाम, पता, फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी के साथ शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक वर्ड फाइल में ir@ltgroup.in पर भेज दें।

आदेशानुसार
कृते एलटी फूड्स लि.
हस्ता.
मोनिका चावला जगिया
(कम्पनी सचिव)
सदस्यता सं. F5150

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 27.07.2019

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

कारपोरेट पहचान संख्या : : एल29110यूपी1995पीएलसी041834
पंजीकृत कार्यालय : ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र०
कारपोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रैस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर - 16ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश - 201301
वेबसाइट: www.triveniturbines.com , **ई–मेल** : shares.ttl@trivenigroup.com
दूरभाष : 91 120 4308000 / **फैक्स** : 91 120 4311010-11

सूचना

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015 के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 3 अगस्त, 2019 को जून 30, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही (वित्तीय वर्ष 20 के प्रथम तिमाही) के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु आयोजित की जानी तय की गई है।

कम्पनी आचार संहिता के संदर्भ में विनियमित देखरेख एवं अंनरूनी द्वारा रिर्पोट ट्रेडिंग, कम्पनी की इक्वीटी शेयर्स की व्यवहारी ट्रेडिंग खिड़की जुलाई 1, 2019 से उपरोक्त कथित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों वित्तीय वर्ष 20 के प्रथम तिमाही की घोषणा के 48 घंटे पश्चात् तक बंद रहेंगी।

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईटस (www.triveniturbines.com) एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटस (wwwbseindia.com) एवं दि नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईटस (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
हस्ता०/–
राजीव साहनी
कम्पनी सचिव

स्थान : नौयडा (उ० प्र०)
तिथि : जुलाई 26, 2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra — एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधक शाखा, महाबैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, बी–29, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001.
फोन नं: 011–23730897,23730449,
ईमेल: bom1456@mahabank.co.in

[नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** और से वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 22.05.2018** को एक मॉग नोटिस जारी करके **मैसर्स ऑर्बिट मेटल इंडस्ट्रिज एवं गारंटर** को पुनर्भुगतान करने के लिए **रु. 7,20,73,570.09 (रु. सात करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार पॉच सौ सत्तर एवं नौ पैसे मात्र) + ब्याज @ 17.50%** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। यह नोटिस रजि. एडी पोस्ट और युपीसी द्वारा भेजा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियां का सांकेतिक कब्जा दिनांक **24 जुलाई 2019** को ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित सपत्तियो से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा सम्पत्तियों मे किया गया कोई भी लेन–देन उल्लेख की गई राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार के अधीन किया जाएगा।

सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है: गिरवी रखी गई 2 दुकानें (बड़े आकार के) जिसका प्राईवेट नं. 11 एवं 11ए है (बिना छत/छत अधिकार के) भूतल पर बिल्डिंग नं. 1853 (भाग) में से, बिस्सोमल कॉलोनी, म्युनिसिपल: वार्ड नं. 02, अब "सूर्या बाजार" के नाम से जाता है, भागीरथी प्लेस, चादनी चौक, दिल्ली–06 पर स्थित है। (मालिक का नाम–श्री तुला राम गुप्ता)

दिनांक: 24.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

मुख्य प्रबंधक
प्राधिकृत अधिकारी

रेल पटरियां आम रास्ता नही है!

अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें

- रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित फुट-ओवर ब्रिज, अन्डरपास, लेवल क्रॉसिंग या सब-वे का प्रयोग करना ही उचित है।
- रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता न समझें, यह रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गयी है। इसका दुरूपयोग न करें।
- रेल पटरियों के समीप न खड़े हों और न ही रेल पटरियों के पास अपने बच्चों को खेलने दें।
- सिर्फ निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें और पार करते समय हेडफोन और ईयरफोन का प्रयोग नहीं करें।

रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत 6 माह की जेल अथवा ₹ 1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उत्तर रेलवे
आपकी सुरक्षा....हमारा ध्येय!
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें
पर हमें फॉलो करें

जन सम्पर्क – उत्तर रेलवे

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)

ओम बिल्डिंग, आगरा चौक, पलवल, हरियाणा, फोन: 01275–242052

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के तहत] (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आन्ध्रा बैंक** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 05.02.2019** को एक मॉग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री गजेन्दर सिंह पुत्र श्री सोहन पाल** को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रु. 19,31,674/– (रुपए उन्नीस लाख इकतीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र)** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सपत्तियों का कब्जा **दिनांक 19 जुलाई 2019** को ले लिया है।

सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्त्ता का ध्यान आमन्त्रित किया जाता है।

ऋणी एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आन्ध्रा बैंक** की बकाया राशि के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व अंश:
1. भूमि और भवन – आवासीय जोकि दुकान/मकान नं. डीजे–447/1, खेवट नं. 4291, खतौनी नं. 4973, खसरा नं. 1918/2 (0–13), 2/13 वां अंश जो 2 मारला तक आता है, की संपत्ति सख्या 6301/1, 8 मारला कॉलोनी में स्थित है, पलवल तहसील एवं जिला पलवल हरियाणा 121102, परिमापन लगभग 65.5 वर्ग गज, **चौहदी: पूर्व**: आम रास्ता, **पश्चिम**: दूसरों की सम्पत्ति, **उत्तर**: रास्ता, **दक्षिण**: दूसरों की सम्पत्ति

दिनांक : 19.07.2019
स्थान : पलवल

मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

MARUTI SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

INR in million, except per share data

Extract of standalone and consolidated financial results of Maruti Suzuki India Limited for the quarter ended 30th June, 2019

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
		30th June, 2019	31st March, 2019	30th June, 2018	31st March, 2019	30th June, 2019	31st March, 2019	30th June, 2018	31st March, 2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	197,198	214,594	224,594	860,203	197,326	214,732	224,708	860,685
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	19,109	23,121	28,824	104,656	18,530	23,538	29,224	106,238
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	19,109	23,121	28,824	104,656	18,530	23,538	29,224	106,238
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	14,355	17,956	19,753	75,006	13,768	18,300	20,151	76,506
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	12,661	18,328	19,606	72,976	12,074	18,671	20,004	74,476
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)								
	(a) Basic	47.52	59.44	65.39	248.30	45.58	60.58	66.71	253.26
	(b) Diluted	47.52	59.44	65.39	248.30	45.58	60.58	66.71	253.26

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30th June 2019 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

New Delhi
26th July, 2019

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF HBN HOMES COLONISERS PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of corporate debtor	**HBN HOMES COLONISERS PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	09.06.2006
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2006PTC149581
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd Off: Business Unit No. 531, 5th Floor, HBN Office D Mall, Plot D, District Centre, Paschim Vihar New Delhi -110087
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	24.07.2019 (Order received on 25.07.2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	19.01.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Rakesh Kumar Jain Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01297/ 2018-19/12068
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, New Delhi- 110035 **rakeshjainca@rediffmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035 **iprakeshJ1@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	07.08.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Home Buyers
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Ram Phal Bhardwaj 2. Kamlesh Kumar Gupta 3.Ajay Kumar Siwach
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	**Web link:** https://ibbi.gov.in/home/downloads **Physical Address:** 1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **HBN Homes Colonisers Private Limited** on **24.07.2019**.

The creditors of **HBN Homes Colonisers Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **07.08.2019** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class, Home Buyers, in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional

Sd/-
RAKESH KUMAR JAIN
IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068

Date : 27.07.2019
Place : New Delhi

जनसत्ता

27 जुलाई, 2019

मासूमों की सुरक्षा

यह एक आम राय है कि इंसाफ में देरी नाइंसाफी के बराबर है। यह अदालत में पहुंचे सभी मामलों के बारे में माना जा सकता है, लेकिन खासतौर पर बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मुकदमों में सुनवाई और फैसले में देरी पीड़ित बच्चे की मनःस्थिति को तो बुरी तरह प्रभावित करती ही है, ऐसे अपराधों की रोकथाम के उपायों को भी कमजोर करती है। यों बच्चों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम-कायदे बनाए गए हैं, विशेष पॉक्सो कानून है, जिसे हाल ही में और मजबूत किया गया है। इसके बावजूद आज भी बच्चे अगर खतरनाक हालात में जी रहे हैं तो इसकी वजह समाज की संरचना, कुंठित लोगों की आपराधिक मानसिकता, न्याय-प्रक्रिया की जटिलता और फैसलों में देरी है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मुकदमों में इंसाफ की रफ्तार को तेज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिस जिले में बच्चों से बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत सौ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, वहां साठ दिनों के भीतर विशेष पॉक्सो कोर्ट का गठन किया जाए।

हालांकि मुकदमों की सुनवाई और फैसलों में देरी की एक सबसे बड़ी वजह अदालतों में जजों की कमी और मुकदमों का अंबार होता है। इसीलिए मुकदमे सालों-साल चलते रहते हैं और अपराधियों की प्रवृत्ति और उनके मनोबल पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध जटिल प्रकृति के होते हैं। ऐसे तथ्य अनेक बार सामने आ चुके हैं कि बच्चों के यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में आरोपी उनके नजदीकी या परिचित ही होते हैं। जान-पहचान का या रिश्तेदार होने से लेकर धमकी और प्रलोभन जैसे कई कारक होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे वक्त पर किसी को भी अपने खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में बता नहीं पाते हैं। बच्चों के सदमे में जाने और इस तरह के मामलों को बताने के लिए सहज तौर-तरीकों से अनजान रहने की वजह से भी काफी मुश्किल होती है। हालत यह है कि अगर कभी कोई बच्चा माता-पिता को अपने साथ हुई किसी गलत हरकत के बारे में बताना भी चाहता है तो उसे उचित शब्द नहीं मिल पाते। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे समाज से लेकर समूचा तंत्र इस मसले पर साहसपूर्ण तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करता है।

इस मसले पर समाजशास्त्रियों ने कई बार इस तरह के सुझाव दिए हैं कि स्कूली पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा को शामिल किया जाए। लेकिन संस्कृति और परंपरा आदि का हवाला देकर इस तरह के विचारों को दरकिनार किया जाता रहा है। जबकि संवेदनशील तरीके से की गई यौन शिक्षा की व्यवस्था बच्चों को अपने शरीर और उसके साथ होने वाली हरकत को समझने और समय पर उससे बचने या विरोध करने में मददगार साबित हो सकती है। अब कोर्ट सलाहकार ने भी बच्चों को यौन अपराधों के बारे में जानकारी देने, यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने और स्कूल सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी बच्चों की सहायता के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था सहित कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। इसके अलावा, कानूनी मोर्चे पर भी बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क का खयाल रखते हुए उनके सहयोग की व्यवस्था करने की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के मुद्दे पर टालमटोल का ही नतीजा है कि देश भर में इस साल जनवरी से जून के बीच बच्चियों से बलात्कार के करीब ढाई हजार मामले दर्ज हुए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रफ्तार को नहीं रोका गया तो उसका असर समूचे समाज के भविष्य पर पड़ेगा।

वसूली का संकट

आम्रपाली समूह ने फ्लैट खरीदने वालों के पैसों का अपने दूसरे धंधों के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया, इसकी परतें अब खुल रही हैं। इस समूह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामलों और उनकी जांच में यह सामने आया है कि लोग फ्लैट खरीदने के लिए जो पैसा दे रहे थे, उसे समूह की दूसरी कंपनियों और कुछ बड़े-बड़े लोगों की कंपनियों में डाल दिया जाता था। ऐसे में कैसे परियोजनाएं पूरी होतीं और लोगों को फ्लैट मिलते? जाहिर है, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच बता रही है कि समूह ने निवेशकों का पैसा आइसीसी के प्रमुख शशांक मनोहर के खाते और क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी में भी स्थानातंरित किया। संभव है, जांच में ऐसे कई और नाम आएं। आम्रपाली समूह की अपनी छियालीस पंजीकृत कंपनियां हैं। इस तरह आम्रपाली समूह निवेशकों की रकम डकारता रहा और बाद में उसने फ्लैट खरीदारों को ठेंगा दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में सख्त रुख नहीं दिखाया होता तो निवेशकों को न्याय मिलना संभव नहीं था।

इस हफ्ते के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के खिलाफ बड़ा फैसला देते हुए फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी। अब इस समूह के सारे अधूरे फ्लैटों का काम पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपी गई है। यानी बयालीस हजार से ज्यादा निवेशकों को फ्लैट तैयार करके देना अब एनबीसीसी की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाया जाए। हालांकि एनबीसीसी ने पैसा जुटाने का जो खाका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है, उससे कुछ उम्मीद बंधती है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। एनबीसीसी का कहना है कि बिना बिके फ्लैटों और आम्रपाली की व्यावसायिक जायदाद को बेच कर यह रकम जुटाई जाएगी और अधूरे निर्माण पूरे किए जाएंगे। कुछ पैसा मौजूदा फ्लैट खरीदारों से भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि खरीदारों की जिस रकम को आम्रपाली समूह ने दूसरी कंपनियों और निवेशकों के खाते में डाल दिया था, उसकी वसूली कैसे होगी? यह कोई आसान काम नहीं है। सारे मामले को अभी लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है। जबकि एनबीसीसी को फ्लैट जल्दी ही खरीदारों को सौंपने होंगे। लोगों को हकीकत में न्याय तभी मिल पाएगा। अगर पैसे के अभाव में एनबीसीसी फ्लैटों का निर्माण नहीं करा पाया तो फिर से नया संकट खड़ा हो सकता है।

आम्रपाली बिल्डर ने सिर्फ खरीदारों को नहीं, बैंकों और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। आम्रपाली बिल्डर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इसी तरह नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर सत्रह हजार करोड़ रुपया बकाया है, इसमें बाईस सौ करोड़ रुपया आम्रपाली समूह का है। सवाल है कि ये दोनों प्राधिकरण अरबों-खरबों की रकम बिल्डरों से कैसे वसूल पाएंगे! यह बिल्डरों और प्राधिकरणों के अधिकारियों के गठजोड़ का ही नतीजा है कि बिल्डर अरबों रुपए डकारते गए और सरकारी महकमों को चपत लगाते चले गए। प्राधिकरण कितने लाचार हो चुके हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बड़े बकाएदारों की जमीन का आबंटन रद्द कर जमीन को कब्जे में लेने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए है कि प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। इसीलिए फ्लैट खरीदारों की यह दुर्गति हुई।

कल्पमेधा

प्रसन्नता को जितना लुटाएंगे उतनी ही
अधिक हमारे पास आएगी।
-विक्टर ह्यूगो

होर्मुज की आंच में तपती खाड़ी

ब्रह्मदीप अलूने

ईरान को लेकर खाड़ी में उत्पन्न हुए इस संकट के पीछे अमेरिका और सऊदी अरब की साझा रणनीति और हिंसक कूटनीति रही है। इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। सऊदी अरब अपने पारंपरिक और धार्मिक (शिया) प्रतिद्वंद्वी ईरान को आर्थिक रूप से तबाह करने के साथ ही उसे मिटा देने पर आमादा है। अरब दुनिया में एकछत्र आधिपत्य का ख्वाब पूरा करने को प्रतिबद्ध सऊदी अरब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है।

ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका का जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन बी-52 युद्ध पोतों के साथ मध्यपूर्व को युद्ध की आग में झोंकने को तैयार है। दूसरी ओर आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा ईरान महाशक्ति के आगे रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। अपने जहाज को जिब्राल्टर में ब्रितानी बलों द्वारा पकड़े जाने से खफा होकर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से एक ब्रितानी टैंकर को पकड़ कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। अरब दुनिया का इतिहास रहा है कि यहां शांति और अशांति महाशक्तियां ही तय करती रही हैं। मध्य पूर्व के तेल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इन देशों में वैधानिक सत्ता को अस्थिर करके और गृह युद्ध की आग में झोंक कर महाशक्तियां अपने हित संवर्धन करती रही हैं और अमेरिका इसमें अग्रणी रहा है। तमाम परेशानियों और चुनौतियों के बीच ईरान, अमेरिका की नव उपनिवेश बनाने की कोशिशें को पिछले कुछ सालों से लगातार असफल करने के लिए संघर्षरत है।

दरअसल, मध्यपूर्व का तेल दुनिया के आर्थिक जीवन का प्राण है। पश्चिमी यूरोप अपना तीन चौथाई तेल अरब देशों से ही आयात करता है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा मार्ग होर्मुज की खाड़ी को माना जाता है। यह इलाका अब गहरे तनाव में है। दुनिया की सैन्य शक्ति में ईरान भले ही बहुत पीछे हो लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं। इसीलिए होर्मुज में उसके तेवरों से दुनिया में खलबली मची हुई है। इस समुद्री इलाके से ही मध्यपूर्व से निकलने वाला तेल अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य बाजारों में पहुंचता है और इसे ईरान बाधित कर दे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत कम समय में चौपट हो सकती है। इस खाड़ी से रोजाना एक करोड़ नब्बे लाख बैरल तेल गुजरता है, यानी दुनिया का बीस फीसद कच्चा तेल यहीं से होकर जाता है।

ईरान को लेकर खाड़ी में उत्पन्न हुए इस संकट के पीछे अमेरिका और सऊदी अरब की साझा रणनीति और हिंसक कूटनीति रही है। इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। सऊदी अरब अपने पारंपरिक और धार्मिक (शिया) प्रतिद्वंद्वी ईरान को आर्थिक रूप से तबाह करने के साथ ही उसे मिटा देने पर आमादा है। अरब दुनिया में एकछत्र आधिपत्य का ख्वाब पूरा करने को प्रतिबद्ध सऊदी अरब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। पिछले कई सालों से सऊदी अरब और ईरान की आपसी लड़ाई से पूरा अरब बेहाल है। ईरान एक मजबूत और शिया बहुल देश है जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की आंखों की किरकिरी होने के बाद भी अपने मजबूत राष्ट्रवाद के बूते जिंदा और आबाद है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड सीरिया और ईरान में कट्टरपंथी सुन्नी एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं, वहीं लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी संगठन इजराइल की नाक में दम किए हुए है। यमन के हूती विद्रोही शिया प्रभाव को उस इलाके में काबिज रखे हुए हैं।

ईरान पर अमेरिका के ताजा प्रतिबंधों को लेकर कोई वैधानिक कारण तो नजर नहीं आता, बल्कि अरब में ट्रंप की नाकामियों से उपजी हताशा ही ज्यादा प्रतिबिंबित हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजों को अपेक्षित सफलता न मिल पाना ट्रंप के लिए असहनीय हो गया है। इसके पूर्व ओबामा प्रशासन ने साल 2015 में अपने सहयोगियों के साथ ईरान से एक समझौता किया था, जिसके तहत साल 2016 में अमेरिका और अन्य पांच देशों से ईरान को तेल बेचने और उसके केंद्रीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार की अनुमति मिली थी। ओबामा के इस समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की कोशिशों के तौर पर देखा गया था। लेकिन पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को तोड़ दिया और अमेरिका समझौते से अलग हो गया। इसके साथ ही इस इलाके में शांति की कोशिशें भी धराशायी हो गईं।

ईरान को दबाने की ट्रंप प्रशासन की गतिविधियों से दुनिया के कई देश खुश नहीं हैं। दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आइएईए) के अनुसार ईरान 2015 के समझौते का पालन कर रहा था, ऐसे में उस पर परमाणु हथियार बनाने के ट्रंप के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। यूरोपियन यूनियन और ट्रंप के बीच व्यापारिक मतभेद जगजाहिर हो चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद उनकी आर्थिक नीतियों से यूरोप के देश नाराज हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ईरान से हुए समझौते का पालन करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभाव का तोड़ अभी किसी के पास नहीं है। ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन अपनी परेशानी साझा कर चुका है, वहीं अमेरिकी कदम से भारत भी सकते में है।

इसके पहले ईरान ने ऐसे आक्रामक तेवर 1973 में दिखाए थे जब उसने कच्चे तेल की नीलामी खुले बाजार में करने की घोषणा की थी। इसका निशाना अमेरिका और जापान जैसे देश थे और इसका प्रभाव एशिया और अफ्रीका के विकासशील और पिछड़े देशों पर पड़ा था जिनके लिए महंगा तेल खरीदना संभव नहीं था। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संकट से सबसे ज्यादा चिंतित विकासशील और पिछड़े देश ही हैं जो तेल संकट झेल पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा कर ऐसे कई देशों की समस्याओं को बढ़ा दिया है।

अमेरिका और ईरान के बीच संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के बाद ईरान अब सीआइए के जासूसों को मौत की सजा देने का दावा भी कर रहा है। वास्तव में अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान ईरान अब सैन्य और समुद्री आक्रामक नीति से विश्व को कड़ा संदेश देने का फैसला कर चुका है। मध्य पूर्व का भौगोलिक क्षेत्र तीन महाद्वीपों- यूरोप, एशिया और अफ्रीका का संगम क्षेत्र है। यह क्षेत्र लाल सागर, काला सागर और एड्रियाटिक सागर नामक तीन जलडमरूमध्यों के द्वारा चौथे समुद्र भूमध्यसागर से भी जुड़ा है। सीमा की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अल्जीरिया और ट्यूनीशिया की पूर्वी सीमा से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मध्यपूर्व की राजनीति को तेल की अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग कर देखना असंभव है।

अमेरिका की नजर ईरान के तेल कुंओं पर है और वह उस पर दबाव डालने के लिए वैश्विक समझौतों और भावनाओं को लगातार दरकिनार कर रहा है। तेल का भाव डॉलर से तय होता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार-चढ़ाव पर अमेरिका का नियंत्रण होता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ताजा संकट में होर्मुज जलडमरूमध्य को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति पर चल रहे हैं। रूहानी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि 'अगर किसी दिन अमेरिका ने ईरान के तेल की बिक्री रोकने की कोशिश की तो फिर फारस की खाड़ी से किसी का तेल निर्यात नहीं हो पाएगा।' सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग से भेजा जाता है।

बहरहाल, होर्मुज जलडमरूमध्य में उठा ज्वार फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके प्रभाव को तुरंत रोकने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में हस्तक्षेप कर युद्ध टालने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध की दशा में ईरान का तबाह होना और तेल के बेतहाशा दाम बढ़ना तय है। इससे अरब में अस्थिरता आएगी, दुनियाभर के कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है और आतंकवाद और भयावह रूप में सामने आ सकता है।

प्रयोग की कसौटी

अरविंद दास

दुनिया मेरे आगे

समकालीन मीडिया परिदृश्य पर सोशल मीडिया और टेलीविजन हावी हैं। सूचना क्रांति से लैस इन माध्यमों में खबरों के उत्पादन और प्रसारण की हमेशा हड़बड़ाहट रहती है। 'ब्रेकिंग न्यूज', 'फास्ट न्यूज' पर जोर रहता है। हालांकि मीडिया विमर्शकारों के बीच प्रिंट मीडिया या समाचार-पत्र जैसे पारंपरिक माध्यम की अहमियत फिर से बढ़ी है। ऐसे में डेढ़ सौवें जयंती वर्ष में महात्मा गांधी की पत्रकारिता और उनके मूल्यों को याद करना जरूरी लगता है। वे राजनेता, विचारक के साथ-साथ एक कुशल पत्रकार भी थे। जब वे बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए तब कानून के एक छात्र के रूप में पत्रकारिता से उनका सामना हुआ। साथ ही, सन 1890 में 'द वेजिटेरियन' में छह लेखों की एक शृंखला से उनके पत्रकारिता कर्म की शुरुआत हुई। इन लेखों में उनके एक सजग आलोचक रूप के दर्शन होते हैं। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी ने पत्रकारिता के माध्यम से जो भूमिका निभाई, भारतीय जनमानस और पत्रकारों को जिस रूप में उद्वेलित किया, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की एक धरोहर है। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के विचारों की गहरी छाप हिंदी अखबारों पर खासतौर पर पड़ी। उस दौर में हिंदी के अधिकतर पत्रकार-संपादक स्वतंत्रता सेनानी भी थे।

जहां गांधीजी के द्वारा संपादित पत्रों- 'यंग इंडिया', 'नवजीवन', 'हरिजन' आदि की चर्चा होती है, वहीं 'इंडियन ओपिनियन' पत्र के साथ उनका जुड़ाव हमारे विचार-विमर्श में शामिल नहीं हो पाता। कहीं न कहीं छूट जाता है। असल में दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास (1893-1914) के दौरान गांधीजी ने 'इंडियन ओपिनियन' के साथ जुड़ कर अपने विचारों की धार को तेज किया जो बाद के उनके सत्याग्रह और पत्रकारीय कर्म में काफी महत्त्वपूर्ण साबित हुआ था। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में इस पत्र के बारे में लिखा है- 'मनसुखलाल नाजर इसके संपादक बने। पर संपादन का सच्चा बोझ तो मुझ पर ही पड़ा।' दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई, भारतीयों के अस्मिता संघर्ष में इस पत्र की केंद्रीय भूमिका थी। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि 'इंडियन ओपिनियन' के बिना सत्याग्रह असंभव होता।

1903 में इंडियन प्रिंटिंग प्रेस से निकलने वाला यह एक बहुभाषी पत्र था। अंग्रेजी के अलावा गुजराती में यह पत्र प्रकाशित होता था। साथ ही कुछ समय तक यह तमिल और हिंदी में भी छपा। इतिहासकार उमा धुपेलिया मिस्त्री ने नोट किया है कि 'इस पत्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना तब घटी, जब गांधी ने 1904 में इसे डरबन से चौबीस किलोमीटर दूर फीनिक्स के सौ एकड़ फार्म में पुनर्स्थापित किया। यह गांधी पर लियो टॉलस्टाय और जॉन रस्किन का प्रभाव दिखलाता है। 'इंडियन ओपिनियन' का इतिहास फीनिक्स आश्रम से साथ अंतर्गुंफित है।' यह विचार प्रधान साप्ताहिक समाचार पत्र भारत, अफ्रीका और ब्रिटेन में मौजूद पाठकों को लक्षित था। पत्र का मुख्य लक्ष्य पाठकों में चेतना का विकास और नैतिक बल विकसित करना था। इसके लिए गांधीजी 'इंडियन ओपिनियन' में सुदूर देशों के पत्रों से संकलित सार-संग्रह को प्रकाशित किया करते थे। पत्र की भाषा उन्होंने सहज और सरल रखी। विचारों और खबरों के संप्रेषण और संपादन के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया, वह साम्राज्यवाद विरोधी और मशीनी दखल से जिरह करता हुआ नजर आता है।

सन 2013 में हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी इतिहासकार इसाबेल हॉफ्मायर की किताब 'गांधीज प्रिंटिंग प्रेसः एक्सपेरिमेंट इन स्लो रीडिंग' में इस बात की विस्तार से चर्चा है कि किस तरह गांधी ने खबरों के उत्पादन, प्रसारण और पढ़ने के तरीकों के लिए धीमी गति की पत्रकारिता पर जोर दिया। वे अपने लेखों में पाठकों को समाचारपत्र पढ़ने की गति धीमी रखने और पाठ को बार-बार पढ़ने को कहते थे। पाठकों का मनन और चिंतन उनकी चिंता के केंद्र में था। यह सब गांधीजी के सत्याग्रही तेवर को दिखाता है। वे हर पाठक में एक सत्याग्रही की संभावना देखते थे। उल्लेखनीय है कि गांधी ने 'इंडियन ओपिनियन' के गुजराती के पाठकों के लिए ही 'हिंद स्वराज' की रचना की थी, जहां पाठक और संपादक के बीच संवाद प्रमुख है।

सवाल है कि गांधीजी की 'धीमी पत्रकारिता' के प्रयोग को हम किस रूप में देखें। सोशल मीडिया और टीवी समाचार चैनल आज भी सच दिखाने, सच के साथ खड़े होने, सत्ता से सच बोलने की बात करते हैं। जाहिर है, उनका आग्रह भी सत्य के साथ ही है, पर गांधी के सत्याग्रह के ये कितने करीब कहे जा सकते हैं? 'फेक न्यूज' के इस दौर में मुख्यधारा की पत्रकारिता की जवाबदेही राष्ट्र-राज्य और नागरिक समाज के प्रति पहले से कहीं ज्यादा है। पर क्या तथ्य से सत्य की प्राप्ति पर उनका जोर है? गांधीजी ने ऐसी पत्रकारिता की परिकल्पना की थी जो राज्य और बाजार के दबाव से मुक्त हो। सवाल यह भी है कि आज का पाठक खुद को पत्रकारिता के पूरे परिदृश्य में कहां खड़ा पाता है?

चांद का सफर

भारत ने अपने अब तक के सबसे प्रतिष्ठित और जटिल अंतरिक्ष अभियान चंद्रयान-2 को चंद्रमा के सफर पर सफलतापूर्वक भेज दिया। यह हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है क्योंकि इस उपलब्धि के कारण आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के बराबर जा पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस अभियान की सफलता का श्रेय हमारे उन सभी वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने इस जटिल मिशन को अपने दिन-रात के अथक परिश्रम के बूते अंजाम दिया और सफल किया। खास बात यह भी है कि हमारा चंद्रयान-2 पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है।

चंद्रमा पर मौजूद ऊर्जा के अपार भंडार के विषय में इसरो के अध्यक्ष के. सिवन का एक बयान बेहद प्रेरित करने वाला रहा। उन्होंने कहा, 'जिस देश के पास ऊर्जा के इस अकूत स्रोत को चंद्रमा से धरती पर लाने की क्षमता होगी, वह इस पूरी प्रक्रिया पर राज करेगा। मैं केवल इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता बल्कि इसका नेतृत्व करना चाहता हूं।' सिवनजी का यह बयान संसार के सभी देशों को साफ संदेश देता है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे रहने वाला नहीं है बल्कि उनकी अगुवाई के लिए तत्पर है। अमेरिका के 'नासा' समेत विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का लोहा मान चुकी हैं।

अब इंतजार है उस क्षण का जब आगामी सात सितंबर को हमारा चंद्रयान-2 चंद्रमा की उस सबसे दुर्गम जगह दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा जहां पहुंचने का अभी तक किसी भी देश ने साहस नहीं किया है। उम्मीद है कि चंद्रयान-2 चंदा मामा के ऐसे अनछुए पहलुओं को उजागर करेगा, जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। निश्चित रूप से चंद्रयान-2 संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा।

● *अंकित रजक, दतिया, मध्यप्रदेश*

न्याय की खातिर

बाल यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देकर सही किया कि उन जिलों में विशेष अदालतों का गठन करके ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाए जहां इस तरह की सौ से अधिक वारदात सामने आ चुकी हैं। कहना कठिन है कि ऐसे जिले कितने हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बालक-बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह भी देखना होगा कि ये विशेष अदालतें फैसला देने में तत्परता का परिचय दें। यह अपेक्षा इसलिए कि कई बार विशेष अदालतें भी धीमी गति पकड़ लेती हैं।

देश में एक के बाद एक बर्बरता के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे दिल दहल जाता है, खासकर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले। कठुआ बलात्कार कांड में दोषियों को सजा मिली थी, पर अभी तक फांसी नहीं दी गई। इसी कारण आज इन हैवानों में कानून का डर नहीं है। ऊना के स्कूल में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और नकोदर में एक बाप ने ही अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। कोई बाप, कोई गुरु आखिर ऐसी बर्बरता कैसे कर सकता है! ऐसे मामले समाज को शर्मसार करते हैं।

हाल ही में सरकार ने बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉस्को कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए जेल और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल, ऐसे अपराधों के खिलाफ हम सबको भी सतर्कता बरतनी होगी। न्यायतंत्र भी सजा देने में समय जाया न करे तभी इन दरिंदो में कानून का डर पैदा होगा।

● *राघव जैन, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बेलगाम भ्रष्टाचार

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 6.5 हजार करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन-देन होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 79 वें स्थान पर है। आज देश में भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। सरकारी विभागों में जन्म या मृत्यु प्रमाण बनवाने तक के लिए घूस देनी पड़ती है। नेता व नौकरशाही भारत के विकासशील राष्ट्र होने के नाते खर्च के अवसर पर लाखों-करोड़ों रुपए के घोटाले कर देते हैं। जहां एक ओर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वहीं यह नेताओं-नौकरशाहों की तिजोरियों में चला जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि भारत कैसे खुशहाल होगा और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने के लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएगा?

● *कपिल एम वड़ियार, पाली, राजस्थान*

बेलछी और सोनभद्र

अनेक राजनीतिक प्रेक्षकों का मत है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनभद्र जाकर राजनीति करने का फैसला इंदिरा गांधी द्वारा 1977 में बेलछी (बिहार) जाने की घटना से प्रेरित होकर लिया। जिस प्रकार इंदिराजी की राजनीतिक वापसी बेलछी से शुरू हुई, वैसी चमकदार वापसी की उम्मीद प्रियंका और उनके सलाहकारों ने सोनभद्र से पाली हुई थी। लेकिन मामला वैसा फलदायी नहीं बना, यह साफ दिखने लगा है। इसके कुछ स्पष्ट कारण हैं। जब इंदिरा गांधी 1977 में बेलछी हत्याकांड के बाद वहां गई थीं तब तक सरकार ने पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए लोगों के जख्म हरे थे। पर अब प्रियंका द्वारा सोनभद्र का मामला उठाने से पूर्व ही प्रदेश सरकार 34 अभियुक्तों को पकड़ चुकी थी। फिर प्रियंका के अभियान की हवा इसलिए भी निकली कि मुख्य आरोपी के तौर पर कथित सपा नेता का नाम आया।

कांग्रेस व सपा के बीच कुछ न कुछ दोस्ती रहती आई है। तीसरी बात यह कि जहां इंदिराजी ने बेलछी जाने के लिए बाढ़ में डूबी सड़कों को हाथी द्वारा पार करके वहां और देश भर के लोगों को चकित कर दिया था, यहां तक कि खुद जयप्रकाश नारायण ने उनकी प्रशंसा की थी लेकिन प्रियंका की कोशिश का तो उनकी निकट सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मजाक उड़ा दिया। उसके वरिष्ठ नेता माजिद मेनन ने इसे अवसरवाद की संज्ञा दी। सब मिलाकर देखें तो जहां बेलछी ने इंदिरा की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं सोनभद्र ने प्रियंका को दिखाया कि अभी दिल्ली दूर है।

● *पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ*

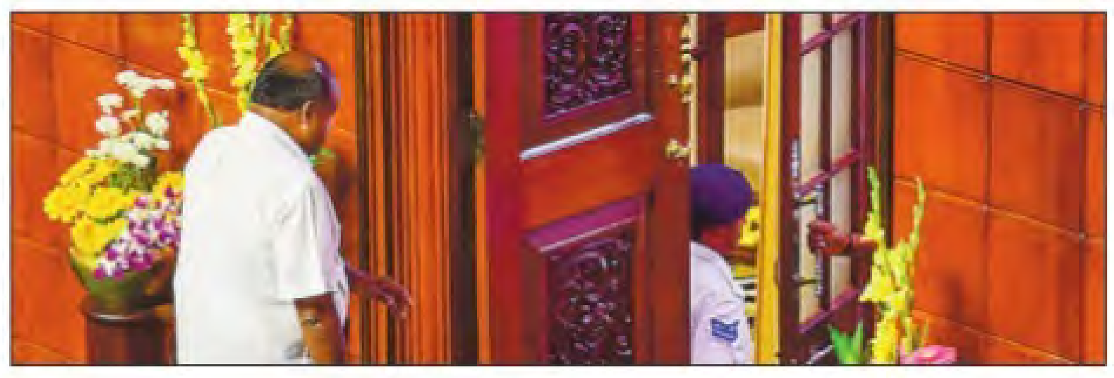

‘जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, लगेगा कि बम धमाका हो गया है’। सदन में बहस के दौरान विश्वास मत में हारे कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी ने सरकार बनाने जा रहे भाजपा के नेताओं को चेतावनी के लहजे में जो बात कही, उससे अंदेशा है कि 14 महीनों से चल रहा नाटक अभी खत्म होने वाला नहीं है। दलबदल से जनता के वोट पर जो डाका पड़ रहा है उसका इलाज क्या है? चुनाव जब एक सार्वजनिक प्रक्रिया है, पार्टी के निशान पर वोट पड़ते हैं तो फिर दल बदलने के वक्त नेता को नागरिक के निजता का अधिकार नया सवाल उठा गया है। लोकतंत्र के पूरे ढांचे को ही अविश्वास में बदलने वाली इस कुरीति का इलाज क्या एक कानून के बदले दूसरा बना कर हो सकता है? जब गांधी के देश में ही ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी’ जैसा भद्दा जुमला लोक की जुबान पर चढ़ा हो तो ऐसे दौर में राजनीतिक वैचारिकी को मजबूत करने की बात कहता बेबाक बोल।

बेबाक बोल

दलदल

मुकेश भारद्वाज

‘अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अकसर
न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है’

14 महीने पहले ही लग गया था कि राजनीतिक अरमानों के जरा सा ऊपर-नीचे होते ही सूबे के स्वामी बदल जाएंगे। कल तक जो अधूरा भाषण छोड़ कर आंसू पोछते हुए विधानसभा से निकले थे, अब दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठगी हुई सी जनता नेता रूपी अपने वोटों का इस दल से उस दल में आने-जाने का नाटक देख रही है।

‘मैंने तो ईवीएम को वोट दे दिया है अब वो जिसे दे दे...’, चुनावों के समय सोशल मीडिया पर जब यह चुटकुला लोकप्रिय हो रहा था तो अंदाजा नहीं था कि कर्नाटक, गोवा, बंगाल, बिहार, ओड़ीशा, उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के नक्शे पर मौजूद कई राज्यों के बहुत से नेता उस पार्टी में नहीं रह जाएंगे, जिसमें जनता ने उन्हें वोट दिया था। ईवीएम की गुणवत्ता पर जितने भी सवाल उठे हों लेकिन किसी भी दल ने ईवीएम को लेकर ऐसा विरोध-प्रदर्शन नहीं किया कि चुनाव आयोग या अन्य जिम्मेदार संस्थाएं उस पर सोचने को मजबूर हो जाएं। शायद इन दलों के नेता उस ‘जन्नत की हकीकत’ जानते हैं जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इन्हें पता है कि ईवीएम की खराबी तो ठीक हो सकती है लेकिन सत्ता सुख भोगने की हमारी बीमारी तो लाइलाज है।

तीन दशक पहले भारत में दलबदल कानून लागू हुआ था। माना गया था कि इस कानून से राजनीतिक स्थिरता आएगी। लेकिन इसके ढीले-ढाले प्रावधानों का लाभ उठाकर पिछले तीन दशकों में जनता के मत को बेमानी साबित किया जाता रहा है। इतने लंबे समय में किसी भी दल ने इसमें संशोधन करने की पुरजोर मांग कभी नहीं की। राजीव गांधी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस कानून को पास कराया था, लेकिन उसके बाद क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सपा, बसपा या कोई स्वघोषित क्रांतिकारी दल, किसी ने भी इसके खिलाफ बोलना शुरू नहीं किया क्योंकि सबको इसका फायदा लेना था।

दलबदल पर बहस के साथ ही इस गलत प्रवृत्ति की शुरुआत की गलती के लिए भी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आजाद भारत के दूसरे लोकसभा चुनाव में ही अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस को अपनी सत्ता डोलती नजर आई। खासकर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। ईलमकुलम मनक्कल संकरन नंबूदरीपाद की सरकार को नेहरू की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर बर्खास्त कर दिया। नंबूदरीपाद से लेकर जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला तक की सरकार, कांग्रेस को जब-जब अपने केंद्रीय वजूद पर खतरा महसूस हुआ उसने क्षेत्रीय शक्तियों को कुचलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उसके बाद मोरारजी देसाई की अगुआई वाली जनता पार्टी की सरकार का भी यही हश्र हुआ। राजीव गांधी पर तो इलजाम है कि वे सत्ता पर वर्चस्व रखने के लिए ही दलबदल कानून लेकर आए थे। राजीव के अनुवर्ती नरसिंह राव तो शिबू सोरेन के ‘इधर-उधर’ पर ही आश्रित रहे। उस समय हुआ सांसद रिश्वत

कांड और झारखंड में शिबू सोरेन सरकार के गठन से लेकर पतन की कहानी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। येन-केन प्रकारेण सरकार बनाने की राजनीतिक संभावनाएं तलाशने की कुरीति ने प्राकृतिक संभावनाओं से भरे झारखंड में विकास की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। सदन में विश्वासमत की परीक्षाओं का वह दौर शुरू हुआ जिसने लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पर ही अविश्वास पैदा कर दिया। जनता से लिए मत को ‘विश्वास’ में बदलने के लिए नेता घोड़ा मंडी में बिकने और खरीदने वाले माल सरीखे हो गए।

पचास के दशक का केरल हो, नब्बे का झारखंड या आज का कर्नाटक। सत्ता के लिए कुछ भी करने और मंडी में बिकने को तैयार इन नेताओं का इलाज क्या हो? मांग उठ रही है कि दलबदल कानून को मजबूत किया जाए, इसकी कमियों को दूर किया जाए। तो क्या वाकई में एक कमजोर कानून का हल उससे मजबूत कानून है? अगर कानून ही हल होता तो बात पहले वाले से ही बन जानी चाहिए थी।

हर दौर में एक कहावत अपने तरीके से कही जाती है कि चोर चोरी करने का रास्ता निकाल ही लेता है। पहले सोने-चांदी को दीवारों में चुनवा कर रखते थे तो चोर उसमें सेंध लगा लेते थे। फिर तिजोरी-ताले आए तो उसे तोड़ने के तरीके खोज लिए गए। आधुनिक लॉक को खोलना आसानी से सीख लिया तो बैंकों में सुरक्षित धन को इंटरनेट से ही हैकर उड़ाने लगे। लब्बोलुआब यह कि चोरी रोकने का हल ताला नहीं है।

कर्नाटक मामले में फिलहाल ताजा व्यवस्था यह बनाई गई कि इस्तीफा देनेवालों को सदन में मौजूद होना जरूरी नहीं है। यह फैसला दलदबदल कानून की उस मूल भावना के उलट है जिसमें सांसद या विधायक को सामूहिकता में देखा गया था। यह व्यवस्था हर सांसद को निजी इकाई मानती है और व्यक्ति के निजता के अधिकार की रक्षा की बात करती है। विधायक या सांसद स्वतंत्र है, उसकी पहचान नागरिक की है। संविधान उसकी निजता की रक्षा करेगा। दलदबदल कानून में इसी चीज का विरोध किया गया था।

अब स्थिति यह है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी आपकी पहचान है, पार्टी का नेतृत्व आपका चेहरा है। यह वह दौर है जब भारतीय चुनाव अध्यक्षीय व्यवस्था का रूप लेता जा रहा है और जनता एक केंद्रीय चेहरे की अपील पर स्थानीय नेता चुन रही है। लेकिन जब वह जीत कर दूसरी पार्टी में जाना चाहेगा तो वहां उसके निजता के अधिकार की बात आ जाएगी।

दलबदल पर इन विरोधाभासी हालात के बीच हम बात फिर ताला बनाम चोरी की करते हैं। संविधान और कानून सत्ता चलाने वालों के हाथों में होता है। संविधान या कानून की किताबों में चाहे कितने भी अधिकार सुरक्षित कर दिए जाएं, कितने ही कर्तव्य दर्ज कर दिए जाएं लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे तो फिर चोरी का रास्ता हर तरफ से खुलता है। अपने वोट पर पड़े डाके को देख जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि उनके पास वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए। एक मांग यह भी है कि दल बदलने के बाद नेताजी की विधायकी या सांसदी का तमगा कायम रहने दिया जाए, लेकिन उन्हें सदन में मत विभाजन में भागीदारी करने पर रोक लगानी चाहिए।

जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं कमजोर होती रहेंगी, सत्ता के लालच में एक पार्टी के नेता पर दूसरी पार्टी का निशान चस्पा करने का तरीका खोजा ही जाता रहेगा। मौजूदा दलबदल कानून में अहम यह नहीं है कि दलबदल करने वालों पर लगाम कैसे लगानी है, इसका मकसद संविधान का पालन करवाना है। राजनीति में विचारधारा और नैतिकता को रौंदने वालों के खिलाफ जनता को ही उठ खड़ा होना होगा। जब तक परिवार से लेकर स्कूल और विश्वविद्यालय तक की इकाइयों में विचारधारा और नैतिकता के प्रति समर्पण मजबूत नहीं करवाया जाएगा, तब तक संसद में लोकतंत्र इसी तरह पलटी खाता रहेगा। जब गांधी के देश में ही ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी’ वाला जुमला दोहराया जाएगा तो देश की वैचारिक विरासत कैसे बची रहेगी। वैचारिकता और नैतिकता को मजबूती मानने का दौर शुरू किए बिना लोकतंत्र को घोड़ा मंडी बनने से बचाना मुश्किल है।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

जरूरी है मजबूत नेता

लोकतंत्र में टीम भावना सबसे अहम है। लेकिन आज इसकी जगह व्यक्तिवादी स्वार्थ ले चुका है। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा भी इसी स्वार्थ केंद्रित सोच से ही मिला है। कांग्रेस आज एक सैद्धांतिक अवरोध की स्थिति में है। इसका कारण उचित नेतृत्व का अभाव है। एक मजबूत नेता के अभाव को दूर किए बिना पार्टी की इस दिशाहीनता को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी है उतने ही पुराने इस पार्टी के दुराग्रह भी हैं। सिर्फ गांधी परिवार के आश्रय में पलकर पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता बल्कि एक नए सिरे से इसके बुनियादी सांगठनिक अवयवों की मरम्मत का काम बहुत जरूरी हो गया है।

-सुमन शर्मा, रोहिणी

अस्तित्व का संकट

‘गुरु हो गए शुरू’ पर बेबाक बोल यथार्थ के धरातल पर कांग्रेस के अस्तित्व से लड़ती भिड़ती गाथा का पारदर्शी प्रतिबिंब है। निजी अहंकार और महत्त्वाकांक्षा की लंबी होती लकीरों ने ‘गुरु’ जैसे व्यक्ति को संगठन की परिधि से दूर कर दिया है। जब ये भाजपा में रहे कमल की सुगंध से सराबोर हो दल और प्रधानमंत्री के कसीदे गढ़ते रहे और जब दल का परित्याग कर कांग्रेस की कलाई थामी तो कैप्टन साहब को अपने पिता के समतुल्य मानने में कोताही नहीं बरती। सिद्धू की मूल समस्या है कि वे आत्म प्रवंचना से मुदित हो अपनी हर गलती को अपनी राजनीति का हथियार मानकर प्रहार की मुद्रा में आ जाते हैं जहां न उन्हें दल की प्रतिष्ठा दिखती है और न वे दिल की आवाज सुनकर आत्मचिंतन का भाव रखते हैं। कांग्रेस जो अब राजनीति की ढलान पर अनुशासन की आत्मा से मुक्त हो निजी निर्णयों की प्राथमिकता में प्रवेश कर चुकी है, उसे अपनी खोई अस्मिता के घाव भरने के लिए नए सिरे से प्राण संचार करना होगा।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

बड़बोलेपन का खेल नहीं है राजनीति

सिद्धू क्रिकेट और टीवी रियलिटी शो से मिली ख्याति के कारण अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। सिद्धू शुरू से ही मुख्यमंत्री को दरकिनार कर सीधा आलाकमान से बात करते रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि राजनीति सिर्फ बड़बोलेपन का खेल नहीं है।

- **भूपेंद्र कुलदीप सिंह**, पानीपत, हरियाणा।

युवा शक्ति को लाने का वक्त है यह

युवा संत स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में एक सपना देखा था और कहा था कि हमारे देश को सर्वोच्च चोटी पर यहां की युवा शक्ति ही ले जा सकती है। आज के दौर में भाजपा ने युवा शक्ति को पहचाना है। कांग्रेस ठीक सत्ताधारी दल के विपरीत काम कर रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में हार के बाद समीक्षा की जरूरत थी तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राहुल के इस्तीफे के बाद आज तक कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व देने वाला मजबूत नेता नहीं मिला। दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश होने से युवाओं की सोच का नया भारत बनाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस अब भी अपनी पुरानी नीति वाली राजनीति के चक्कर में पड़ी हुई है।

- **नितेश कुमार सिन्हा**, मोतिहारी, बिहार

राजपाट

टोह जयचंद की

गठबंधन सरकार तो कर्नाटक में गिरी पर खौफ राजस्थान में भी दिखने लगा है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुराने जादूगर रहे हैं। वे आसानी से बाजी हारने वाले नहीं। यों भी भाजपाइयों के निशाने पर अभी मध्यप्रदेश है। जहां कमलनाथ की कांग्रेस सरकार सपा, बसपा और निर्दलियों के समर्थन से चल रही है। लेकिन राजस्थान व मध्यप्रदेश की स्थिति कर्नाटक से अलग ठहरी। कर्नाटक में चुनाव बाद भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। राज्यपाल ने उसके नेता येदियुरप्पा को शपथ भी दिला दी थी। पर वे सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के भीतर बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। उधर कांग्रेस ने दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भाजपा को रोकने के लिए तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल (एस) को समर्थन देकर कुमार स्वामी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनवा दी थी। यों तो यह गठबंधन बेतुका ही था। पर इसकी विफलता लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी। दोनों दल इस चुनाव में तालमेल से उतरे पर बुरी तरह हारे। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी संसद का मुंह न देख पाए। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेसी खेमा डरा हुआ तो है। वैसे भी आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस में शिखर पर नेतृत्व के संकट से भी राज्यों में अफरा-तफरी बढ़ी है। गोवा में पार्टी के दो तिहाई यानी दस विधायकों का एक साथ अलग होकर दल बदल करना मामूली घटना नहीं। यानी भाजपा अगर अपनी पर उतर आए तो और कुछ नहीं तो कांग्रेस के कुछ विधायकों से इस्तीफे तो दिला ही सकती है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की परेशानी अपने ही वरिष्ठ विधायकों के तल्ख रवैए ने बढ़ाई है, जो मंत्री पद से वंचित रह गए। ये असंतुष्ट ही हवा बना रहे हैं कि गहलोत सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि हर किसी की नजर अब 24 अकबर रोड पर टिकी है। वहां कौन संभालेगा पार्टी की कमान। उधर विपक्षी भाजपाई बल्लियों उछल रहे हैं। विधानसभा के भीतर ही कांग्रेस की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि बदलाव के लिए उनका सहारा लेना पड़ेगा। भाजपा के पास दो सौ के सदन में अपने तो मात्र 73 विधायक हैं। सहयोगी आरएलपी के तीन और एक निर्दलीय भी मजबूती से इस खेमे में डटा है। यानी बहुमत से फिर 24 पीछे। यही वजह है कि अभी तक किसी बड़े भाजपा नेता ने राजस्थान सरकार गिराने की बात नहीं की है। भाजपा को सरकार गिराने के लिए कांग्रेसी जयचंद की तलाश है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत पालने वाला ही जयचंद की भूमिका में आ सकता है। सचिन पायलट से उम्मीद करना तो फिलहाल बेतुका लगता है।

जितने मुंह उतनी बात

कुंभ यों हरिद्वार में 2021 में आयोजित होगा यानी अभी दो साल का वक्त बाकी है। पर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। तेज तर्रार आइएएस अफसर दीपक रावत को मेला अधिकारी बना दिया गया है। आलोचकों को मौका मिल गया। कोई उन्हें राजनाथ सिंह का रिश्तेदार बताता है तो कोई सजातीय होने के कारण राजपूत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पसंदीदा। ऐसी हवा बनाने में अफसरों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आखिर अहम ओहदा हर कोई जो चाहता है। राजनाथ सिंह का हरिद्वार से लगाव रहा है। तभी तो भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के अंतिम संस्कार में शिरकत के लिए वे हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनकी अगवानी को मौजूद थे। रक्षामंत्री के वापस जाते ही मुख्यमंत्री ने मेला अधिकारी की तैनाती का एलान किया तो भाईलोगों को किंतु-परंतु का मौका मिल गया। मेले का पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल को बनाने से भी टीका-टिप्पणियां हुईं। जो वरिष्ठता में दीपक रावत से काफी ऊपर हैं। पर आइएएस और आइपीएस की वरिष्ठता की तुलना का कोई औचित्य नहीं। कहने को कई बार सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के आइएएस भी मेला अधिकारी बनाए जाते रहे हैं। पर ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं। रही मुख्यमंत्री की बात तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि नियुक्तियां अनुभव, क्षमता, छवि और योग्यता सभी पहलुओं यानी मेरिट को ध्यान में रख कर की गई हैं। पाठकों को बता दें कि इस साल प्रयागराज के अर्ध कुंभ में किए गए चाकचौबंद बंदोबस्त के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विरोधियों ने भी वाहवाही की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कसौटी पर योगी के मुकाबले किसी मायने में उन्नीस साबित होना नहीं चाहेंगे।

खत्म हुई बेचैनी

येदियुरप्पा की बेचैनी खत्म हुई होगी। उन्होंने कितनी मेहनत-मशक्कत और तिकड़मों से कर्नाटक की गठबंधन सरकार के पतन की पटकथा लिखी और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। पर भाजपा आलाकमान को उनकी ताजपोशी की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। यह सही है कि कर्नाटक का ताज येदियुरप्पा के सिर पर ही सजना था और सजा। आखिर एकदम तो भाजपा भी विधानसभा चुनाव नहीं चाहेगी। सरकार के गठन में कोई अड़चन फिलहाल है भी नहीं। सदन में भाजपा को 105 विधायकों का समर्थन मिल ही चुका है। दो निर्दलियों का समर्थन और तय है। रही 15 बागी विधायकों की किस्मत की बात तो विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार फैसला सुनाने में देर कर रहे हैं। उन्हें दो ही मुद्दों पर फैसला देना है। कांग्रेस और जद (सेकु) ने अपने बागियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा सदन से अयोग्य घोषित कराने की मांग की है तो बागी अपने इस्तीफे मंजूर देखना चाहते हैं। जिसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक हो आए। दरअसल इस्तीफे और अयोग्यता में पेच है। इस्तीफे मंजूर हो जाएं तो उनमें से हर कोई नई सरकार में मंत्री पद के लिए पात्रता रखेगा। सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद छह महीने तक तो मंत्री रह ही सकते हैं। लेकिन सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए तो मंत्री पद से जाएंगे। तब विधानसभा उपचुनाव लड़ कर ही मंत्री बन पाएंगे। इसमें जोखिम है। पता नहीं सारे उपचुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं। फिर उपचुनाव महीने-दो महीने में तो होने से रहे। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि ज्यादातर ने भाजपा के साथ कोई न कोई सौदेबाजी की ही होगी। बहरहाल भाजपा आलाकमान ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक की तारीख तय नहीं की थी। शीर्ष नेताओं को विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी येदियुरप्पा को भूलना नहीं चाहिए कि वे केंद्रीय नेतृत्व की स्वाभाविक पसंद नहीं हो सकते। एक तो वे 75 पार कर चुके हैं। ऊपर से उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। साफ है कि आलाकमान ने अनमने में मुख्यमंत्री बना तो जरूर दिया पर सूबे में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराना भाजपा की रणनीति होगी। बहुमत मिलेगा तो येदियुरप्पा की जगह कोई और भी बन सकता है कर्नाटक का स्वामी।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

लुधियाना में इस्पात भट्ठी में विस्फोट, दो की मौत

लुधियाना, 26 जुलाई (भाषा)।

पंजाब के लुधियाना जिले के रामगढ़ गांव में एक इस्पात भट्ठी में विस्फोट होने की घटना में उत्तर प्रदेश के दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि दस अन्य घायल हो गए।

जिले के जमालपुर पुलिस थाने के प्रभारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल राम पासवान को चंडीगढ़ स्थित पीजीआइएमइआर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान शंभु के रूप में की गई है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल दस में से नौ की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को पटियाला के राजिंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि ब्वायलर में कुछ तकनीकी समस्या के कारण यह विस्फोट हुआ, इससे फैक्टरी की इमारत भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है।

प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले शख्सियतों के

समर्थन में उतरे बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष

कोलकाता, 26 जुलाई (भाषा)।

भाजपा के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने भीड़ हत्या और नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले 49 शख्सियतों का शुक्रवार को समर्थन किया। वहीं, इस विषय पर विभिन्न क्षेत्रों की 61 सेलीब्रिटी के जवाबी बयान को मजाक बताते हुए कहा कि यह इस विषय की गंभीरता को कमतर करेगा। उनका यह बयान भाजपा के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा कि भीड़ हत्या के सिलसिले में शख्सियतों की चिंताओं का मैं समर्थन करता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि प्रधानमंत्री इस तरह की घटना को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भीड़ हत्या और धर्म को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी पत्र लिखा है या उस पर हस्ताक्षर किए हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं बस पत्र की विषयवस्तु का समर्थन कर रहा हूं। 49 शख्सियतों द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों की 61 सेलीब्रिटी ने जवाबी बयान जारी करते हुए उनकी चिंताओं को चुनिंदा नाराजगी और झूठा विमर्श बताया।

बोस ने 61 सेलीब्रिटी के जवाबी बयान पर कहा कि यह महज एक मजाक है, जो इस विषय की गंभीरता को कमतर करेगा। हम सभी को भीड़ हत्या की बुराई से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ हत्या 'हत्या' के समान है और आरोपी के दोषी पाए जाने पर कानून के तहत कठोर सजा दी जानी चाहिए।

49 के जवाब में आया 61 हस्तियों का पत्र

पेज 1 का बाकी

वाले शुक्रवार को जारी बयान में 23 जुलाई को पत्र लिखने वालों से सवाल किया गया कि वे तब खामोश क्यों थे, 'जब हाशिए पर खिसक गए लोग और जनजातीय लोग नक्सलियों के शिकार हुए।' बयान में कहा गया, 'वे तब खामोश रहे जब अलगाववादियों ने कश्मीर में स्कूलों को आग के हवाले करने का फरमान जारी किया।

वे तब खामोश रहे, जब भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की मांग की गई, वे तब खामोश रहे जब आतंकवादियों एवं आतंकवादी समूहों के नारे देश के कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में गूंजे थे।' इन 61 लोगों में शांति निकेतन में विश्व भारती के देवाशीष भट्टाचार्य, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दीक्षित, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अनिर्बान गांगुली और साथ ही सांसद स्वप्न दासगुप्ता और कलाकार बिस्वजीत चटर्जी जैसी तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हैं।

फर्जी बोर्ड ने 10,000 से ज्यादा छात्रों के साथ धोखाधड़ी की

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन, दिल्ली' को मान्यता नहीं

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को परामर्श जारी कर यह सूचित किया कि 'बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन, दिल्ली' के नाम से चल रहे एक फर्जी बोर्ड ने समूचे देश में 10,000 से अधिक छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है और इस नाम से किसी बोर्ड को कोई मान्यता नहीं दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा, 'ऐसा पता चला है कि 'बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन, दिल्ली' के नाम से एक संगठन चलाया जा रहा है, जो खुद को हमारे द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड होने का दावा करता है। इस बारे में संबंधित तथ्यों की जांच-पड़ताल पर यह पता चला है कि कथित बोर्ड के पक्ष में हमने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है जैसा कि दावा किया जा रहा है।'

इसके अनुसार, 'इसलिए ये दोनों पत्र पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत हैं। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संगठन को मान्यता देने के संदर्भ में मंत्रालय ने ऐसा कोई पत्र कभी भी जारी नहीं किया है।' दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में फर्जी बोर्ड चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने बताया, 'गिरोह ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों से 10,000 से अधिक छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है। यह फर्जी बोर्ड देश में विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा के दस्तावेज भी उपलब्ध कराता था।' मंत्रालय ने सभी छात्रों, अभिभावकों और अन्य पक्षकारों को फर्जी बोर्ड के साथ किसी भी तरीके से नहीं जुड़ने की सलाह दी है।

'प्रतिशोध की राजनीति नहीं'

बंगलुरु, 26 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि उनके शासन के दौरान प्रतिशोध की राजनीति नहीं होगी और वह विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे।

पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए राजभवन जाने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, 'हमें प्रशासन में अंतर दिखाना होगा। प्रतिशोध की राजनीति नहीं होगी और मैं विपक्ष को साथ लेकर चलूंगा।' प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस जद (सेकु) गठबंधन सरकार पर बरसते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वह 'तुगलक दरबार' था और उसमें विकास अवरुद्ध हो गया था।

शुक्रवार को अचानक सरकार के गठन के बारे में भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया और शपथ के लिए तैयार होने के लिए कहा। ईमानदार प्रशासन देने का वादा करते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी रेखांकित किया।

येदियुरप्पा ने कहा, 'पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका महती है। किसान, मछुआरे, कुम्हार, बुनकर, आदिवासी और वंचित समुदाय को नई सरकार से बहुत अधिक उम्मीद है।' उन्होंने कहा, 'आपके (पार्टी कार्यकर्ताओं) समर्थन के बिना मैं उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता हूं।' कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले भाजपा नेता काडु मलेश्वर मंदिर गए । यह मंदिर भाजपा के राज्य मुख्यालय से ठीक पीछे स्थित है।

करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने लगाए पौधे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

संसद भवन परिसर में शुक्रवार को पौधरोपण की शुरुआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संसदीय ज्ञानपीठ प्रांगण में 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने रुद्राक्ष के पौधे लगाए। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कहा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश व संसद सदस्य भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद में वृक्षारोपण की इस पहल के साथ ही देश के हर हिस्से को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के हमारे प्रयासों में वृक्षारोपण के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक संसद सदस्य से व्यक्तिगत रूप से एक पेड़ लगाने का आग्रह किया जिससे कि देश के प्रत्येक गांव व नगर तक वृक्षारोपण का संदेश पहुंच सके। लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यसभा और लोकसभा में दलों के नेताओं ने भी नियत स्थानों पर रुद्राक्ष और जारुल (क्रेप मिर्टल) के पौधे लगाए। रुद्राक्ष वृक्ष पूरी तरह विकसित होने पर लगभग 50-200 फीट तक की ऊंचाई वाला हो सकता है और इसका तना बेलनाकार होता है। इसका पत्तेदार शिखर पिरामिड के आकार वाला होता है व इसके फूल सफेद झालरदार पत्तियों वाले होते हैं।

जारुल (क्रेप मिर्टल) वृक्ष मुख्यतः अपने काफी लंबे समय तक खिले रहने वाले रंग-बिरंगे फूलों के लिए जाने जाते हैं। इसकी अधिकांश प्रजातियां रंग-बिरंगी नसदार, लंबी धारीदार तने और शाखाओं वाली होती हैं। इस कार्यक्रम के तहत रफी मार्ग के निकट उद्योग भवन और निर्माण भवन के पीछे राजपथ लॉन में संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पौधरोपण के लिए व्यवस्था भी की गई है। बिरला ने दोनों सदनों के सदस्यों से अगले तीन दिन तक उद्योग भवन के पास चलने वाले पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया जिसमें वृक्ष पर उनके नाम की प्लेट भी लगाई जाएगी।

भारत को आठ देशों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के उपग्रह आंकड़े मिले

- तय प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष एजंसियों ने आंकड़े साझा किए : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

भारत को देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के संबंध में अमेरिका, चीन और रूस समेत आठ राष्ट्रों से उपग्रह के आंकड़े मिले हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि प्राकृतिक या मानवीय आपदा के दौरान अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों के साझा करने के बहुपक्षीय तंत्र के तहत यह आंकड़े साझा किए गए।

मंत्रालय ने कहा कि जब भी प्राकृतिक आपदा होती है, तो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर के सदस्य इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और 32 अन्य देशों की अंतरिक्ष एजंसियां सक्रिय हो सकती हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बाढ़ राहत प्रयासों के तहत उपग्रह के आंकड़ों को साझा किए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा, 'इसके बाद चार्टर सभी 33 सदस्य अंतरिक्ष एजंसियों के पास मौजूद आपदा प्रभावित इलाकों से संबंधित जानकारी लेती है। यह तय प्रक्रिया है।'

उन्होंने कहा कि एनआरएससी चार्टर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रतिनिधित्व यूएन-स्पाइडर (यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स) के तहत गठित किया गया है। उन्होंने कहा, 'विभिन्न अंतरिक्ष एजंसियों द्वारा मिली जानकारी से चार्टर संसाधनों और विशेषज्ञता को संकट की अहम स्थितियों में तेज समन्वय के साथ प्रतिक्रिया में मदद मिलती है।' कुमार ने कहा कि भारत में भारी बाढ़ के बाद 17 जुलाई को एनआरएससी ने चार्टर को सक्रिय किया था।

उन्होंने कहा, 'चार्टर के तहत अब तक यूएसजीएस, सीएनईएस, ईएसए, रॉसकॉसमॉस, सीएनएसए और तीन अन्य एजंसियों समेत आठ राष्ट्रों से आंकड़े मिल चुके हैं।' कुमार ने कहा कि दूसरे देशों द्वारा किए जाने वाले ऐसे ही अनुरोध पर इसरो भी जानकारी उपलब्ध कराती है। इससे पहले भारत में चीन के राजदूत सुन वीदोंग ने शुक्रवार को यहां बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधन संगठन (इसरो) ने अंतरराष्ट्रीय आपदा राहत सहयोग मांगा था, जिसके बाद उपग्रह से भेजा डेटा दिया गया। सुन ने ट्वीट किया, 'अंतरराष्ट्रीय आपदा राहत सहयोग के लिए इसरो के अनुरोध के बाद चीन ने भारत के राहत प्रयासों में मदद देने के लिए उसके बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का, उपग्रह से भेजा डेटा उसे मुहैया कराया है।'

किसानों-बुनकरों को तोहफा

पेज 1 का बाकी

के तहत छह हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बुनकरों के कर्ज माफ करने का भी एलान किया। यह रकम फिलहाल 100 करोड़ रुपए है।

यहां पत्रकारों से उन्होंने कहा कि दो अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें पहला है किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को दो किस्तों में चार हजार रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करना। दूसरा फैसला है, बुनकरों के करीब 100 करोड़ रुपए के कर्ज की माफी। येदियुरप्पा ने कहा कि किसान पुत्र होने के नाते सूखे से जूझ रहे किसानों की मदद करना उनकी प्रतिबद्धता में शामिल है। पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई फसल कर्ज माफी योजना को लेकर येदियुरप्पा ने कहा कि वह समीक्षा के बाद इस पर फैसला लेंगे।

भाजपा कर्नाटक में स्थिर सरकार देगी : नड्डा

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक में कांग्रेस-जद(सेकु) सरकार को गिराने के लिए दल-बदल को बढ़ावा देने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि वहां सरकार आंतरिक कारणों से गिरी और भाजपा राज्य में स्थिर सरकार देगी।

नड्डा ने संवाददाताओं से कहा, 'वह सरकार (कांग्रेस-जद(सेकु)) आंतरिक कारणों से, अपने भार से गिर गई । भाजपा स्थिरता का पर्याय है और हम जहां भी जाते हैं, स्थिरता लाते हैं।' भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी नीत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे होने के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा की उम्र 75 वर्ष से अधिक होने से संबंधित सवालों के जवाब को हालांकि वे टाल गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि येदियुरप्पा राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता हैं और यह स्वाभाविक है कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की पसंद बने। उन्होंने कहा कि आप देखें कि वह नेता है, वह विधायक दल के निर्वाचित नेता हैं और इसी के अनुरूप वह शपथ ले रहे हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली येदियुरप्पा ने

पेज 1 का बाकी

कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से सलाह मशविरा करने के बाद कैबिनेट के सदस्यों पर फैसला करेंगे। येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछली बार वह मई 2018 विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बने थे लेकिन वह पद पर तीन दिन ही टिक पाए।

पचास दिन के फैसले पिछले पचास साल के निर्णयों से कहीं बेहतर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले पचास दिन के कामकाज का ब्योरा देते हुए कहा कि इस अवधि में हुए निर्णय पिछले पचास वर्षों में हुए फैसलों से कहीं बेहतर हैं, ये देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले पचास दिन में मोदी सरकार जल से लेकर चांद तक व गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार व समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करते हुए देश को आगे ले जाने को समर्पित रही है।

मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे होने के अवसर पर नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वह भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। पिछले पचास दिन में जो फैसले हुए हैं, वे पिछले पचास वर्षों में हुए फैसलों से कहीं बेहतर हैं। जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

नड्डा ने कहा कि पचास दिन में हमने जल से लेकर चांद तक, किसान मजदूर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्त्वपूर्ण फैसला सबको घर, सबको गैस देने का है। हम 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को नल का साफ जल देंगे। यह बहुत क्रांतिकारी निर्णय सरकार ने लिया है।

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा महामंत्री भूपेंद्र यादव, अनिल जैन मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी, संजय मयूख आदि मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन में ही रांची के प्रमुख अखबार राची एक्सप्रेस के मालिक सुधांशु सुमन भाजपा में शामिल हुए।

नड्डा ने कहा कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला लिया गया है। हम गांवों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी से लोगों को बचाने का प्रावधान किया गया है। हमने श्रमिक सुधार के क्षेत्र में पहल की है, जिससे करोड़ों कामगारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का होगा, उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ा जाएगा।

ईडी ने कुर्क की 68 करोड़ की संपत्ति

पेज 1 का बाकी

दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की और जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसका सही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्रवाई कर रही है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 27 अगस्त 2004 और 25 अगस्त 2005 में मानेसर के नौरंगपुर और लखनौला गांव में 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। आरोप है कि गुरुग्राम के मानेसर में इन दो गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने के नाम पर निजी भवन निर्माताओं को फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ फरवरी में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में 15 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में धन शोधन का केस दर्ज किया था। हुड्डा के विरुद्ध सीबीआइ और ईडी ने मानेसर जमीन अधिग्रहण के अलावा तीन अन्य मामलों में जांच शुरू की है। ये मामले हैं- पंचकूला में औद्योगिक भूखंड का आवंटन, जिसके तहत 2013 में 14 लोगों को प्लॉट आबंटित किए गए। दूसरा मामला गुरुग्राम के मानेसर में जमीन अधिग्रहण का है। आरोप है कि इसमें किसानों और भू-मालिकों का करीब 1500 करोड़ के नुकसान का दावा हुआ।

बिना संसदीय समीक्षा के विधेयक पास किए जाने पर विपक्ष ने जताई चिंता

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

विपक्षी दलों के 17 नेताओं ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर सरकार द्वारा विभिन्न विधेयकों को संसदीय समिति में नहीं भेजकर और उनकी विस्तृत समीक्षा के बिना पारित कराए जाने पर गंभीर चिंता जताई है।

उच्च सदन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बसपा सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नायडू को पत्र लिख कर सत्तापक्ष पर जल्दबाजी में विधेयक पारित करवाने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद की स्थाई और प्रवर समितियों के समक्ष नहीं भेज रही है। सरकार के इस रवैए पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार संसदीय विवेचना के बिना ही जल्दबाजी में विधेयक पारित करवा रही है।

पत्र पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सपा के रामगोपाल यादव और आप के संजय सिंह सहित 17 दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में सभापति का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया कि 14वीं लोकसभा में 60 फीसद, 15वीं लोकसभा में 71 फीसद जबकि 16वीं लोकसभा में केवल 26 फीसद विधेयकों को समीक्षा के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया। इसमें कहा गया कि 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में अभी तक 14 विधेयक पारित किए जा चुके हैं। इनमें से किसी को भी प्रवर या स्थाई समिति को नही भेजा गया।

भारत, पाकिस्तान बातचीत से सुलझाएं कश्मीर मुद्दा : चीन

पेज 1 का बाकी

की सोमवार को दी गई प्रतिक्रिया को लेकर शुक्रवार को अपनी राय जताई। सोमवार को ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे पर 'मध्यस्थता' करने की पेशकश की थी। इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का पड़ोसी होने के नाते चीन चाहता है कि दोनों देश आपस में सद्भावना के साथ रहें। दरअसल, ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे जापान के ओसाका में हुए जी20 सम्मेलन के दौरान कश्मीर मामले में मध्यस्थता की अपील की थी। भारत ने ट्रंप के दावे से इनकार करते हुए कहा कि मोदी ने कश्मीर मामले को लेकर इस तरह का आग्रह कभी नहीं किया और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है।

चीन के ताजा बयान को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए बयान के हवाले से कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कभी भी बातचीत में मध्यस्थता के लिए नहीं कहा। कश्मीर समेत पाकिस्तान के साथ जो भी मसले हैं, वे हमारे द्विपक्षीय मामले हैं। हम इस बारे में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहते। प्रवक्ता ने याद दिलाया कि भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने गलती सुधारते हुए कहा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है।

आजम खान को माफी मांगने के लिए कहा जाएगा : प्रह्लाद जोशी

पेज 1 का बाकी

सांसदों ने अध्यक्ष से ऐसी कार्रवाई करने की मांग की जो नजीर बन सके। वहीं, रमा देवी ने कहा कि उन्हें (खान) लोकसभा से पूरे पांच वर्ष के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि या तो आजम खान इसके लिए माफी मांगें या उन्हें निलंबित कर दिया जाए। भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने इस विषय पर सदन में प्रस्ताव रखा और आजम के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी इस घटना को गलत बताया और कहा कि इस बारे में संसद की आचार समिति या विशेषाधिकार हनन समिति है, वह चर्चा करे। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 'इटली की कठपुतली' कहा जा चुका है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस सदस्यों के बीच टीका-टिप्पणी शुरू हो गई।

इससे पहले, लोकसभा सदस्य आजम खान के आचरण पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कल जो घटना हुई वह अत्यंत निंदनीय है। राकांपा की सुप्रिया सुले ने कहा कि इस घटना के बाद सिर शर्म से झुक गया है। तृणमूल के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह ऐसी घटना है जो निंदनीय है। द्रमुक की कनिमोड़ी ने कहा कि चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों... लेकिन कल जो घटना घटी उससे सदन का अपमान हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि सांसद बनने के बाद वह सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है लेकिन बृहस्पतिवार को जो घटना घटी, वह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता।

आदर्शनगर में पीट-पीट कर नाबालिग की हत्या

पेज 1 का बाकी

नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी। उसे तब तक पीटा गया, जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ बेहोशी की हालत में नाबालिग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

डाबर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002
CIN - L24230DL1975PLC007906, Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051, Website: www.dabur.com
e-mail ID for investors: investors@mail.dabur

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 44वी वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को सायं 4:00 बजे एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में आयोजित की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ} विनियम, 2015 के विनियम 42 और 47 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अतंरण पुस्तकें शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 16 अगस्त 2019 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी के इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश (सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने की अवस्था में) के लिए सदस्यों की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेगी।

निवेशक हमारी वेबसाईट: www.dabur.com, www.nseindia.com और www.bseindia.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट भी देख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते डाबर इंडिया लिमिटेड
(ए.के. जैन)
ईवीपी (वित्त) व कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
26 जुलाई, 2019

KRBL Limited

पंजीकृत कार्यालय: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006
CIN: L01111DL1993PLC052845.
ईमेल: investor@krblindia.com, वेबसाइट: www.krblnce.com
फोन: +91-11-23968328, फैक्स: +91-11-23968327

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली'), के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 एवं 33 के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, 30 जून 2019 को समाप्त पहली तिमाही (Q1) के लिए केआरबीएल लिमिटेड के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत और अभिलेख लेन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 1 अगस्त 2019 को सी–32, छठा माला सेक्टर–62, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.krblnce.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड– www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड–www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते केआरबीएल लिमिटेड
हस्ता/–
रमन सप्रा
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई 2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

मै. ड्यूरैबल फैसेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. ड्यूरैबल फैसेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.04.2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U29220DL2008PTC176779
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एफ–103, आशीष कॉम्प्लैक्स, मयूर विहार फेज–1, दिल्ली–110091
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	19.07.2019 (माननीय एनसीएलटी के आदेश की प्रति 25.07.2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	15.01.2020 (दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पता, ईमेल पता तथा पंजीकरण संख्या	परवीण कुमार गर्ग IBBI/IPA-002/IP-N00469/2017-2018/11327
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	105–बी/2, पाल मोहन प्लाजा, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ईमेल आईडीः pkgcosec@redifftmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल, यदि क्रम सं. 9 में दिए गए से भिन्न हो।	105–बी/2, पाल मोहन प्लाजा, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ईमेल आईडीः pkgcosec@redifftmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	08.08.2019 (आदेश की प्राप्ति की तिथि अर्थात 25.07.2019 से 14 दिन
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 19.7.2019 (दिवाला शुरू होने की तिथि) को ड्यूरैबल फैसेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा ड्यूरैबल फैसेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के पास 8.8.2019 जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल की नियुक्ति से चौदह दिन होता है, को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

फाइनांसिय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी में से प्राधिकृत प्रतिनिधि का अपना चयन दर्शाएंगे।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम तथा हस्ताक्षरः परवीण कुमार गर्ग
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल
IBBI/IPA-002/IP-N00469/2017-2018/11327

तिथिः 27.7.2019
स्थानः नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन सूचना
ओ0ए0 संख्या 114 वर्ष 2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीड्योर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 337 दिनांकः 24.06.2019

सेवा में, **पंजाब नैशनल बैंक बनाम सूरत सिंह भंडारी एवं अन्य**

1. **सूरत सिंह भंडारी** पुत्र कमल सिंह भंडारी, निवासी ग्राम छलछला, पोस्ट सुखोली, देहरादून, उत्तराखंड।
2. **विकास भंडारी पुत्र** सूरत सिंह भंडारी, निवासी ग्राम छलछला, पोस्ट सुखोली, देहरादून, उत्तराखंड।

जहां कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध 54,91,136 रू. की वसूली हेतु ओ0ए0 स0 114/2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय अधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के सम्मन/नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **21.06.2019**को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं है इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 **09.08.2019** को 10.30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सूचित हो कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 24 जून, 2019 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (I/C), ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

पंजाब नेशनल बैंक हैली मंडी शाखा

punjab national bank
एमडीआर 132, हैली मंडी, जिला–गुड़गांव
टेली. नं. 0124–2671115, मेलः bo3347@pnb.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक शाखा हैली मंडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.01.2019 जारी कर ऋणधारक श्री रमेश कुमार, पुत्र श्री रघुनाथ को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18,18,737/– (रुपये अठारह लाख अठारह हजार सात सौ सैंतीस मात्र)+31.12.2018 से आगे के ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 18,18,737/– (रुपये अठारह लाख अठारह हजार सात सौ सैंतीस मात्र)+31.12.2018 से उस पर आगे के ब्याज की राशि के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

वीपीओ लोक्रा, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम में स्थित खेवत नं. 142/123 मिन, खतौनी नं. 154, खसरा नं. 91/2 (0–15) माप 15 मरला (453.75 वर्ग याड्र्स) में शामिल भूमि।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, हैली मंडी (गुड़गांव)

स्थानः ग्राम लोक्रा, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम
तिथिः 24.07.2019

भारतीय स्टेट बैंक

रिटेल परिसम्पत्ति केन्द्रीकृत प्रॉसेसिंग केन्द्र, रोहिणी
ए–5, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स–1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–34

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.3.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती ममता पत्नी श्री चन्द्रेश वर्मा (यहाँ के बाद ऋणधारक तथा गारन्टर्स सामूहिक रूप से ''ऋणधारकों'' के रूप में वर्णित) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि सहित उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित [अधिनियम] की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ रु. 8,00,310.00 (रुपये आठ लाख तीन सौ दस मात्र) के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली–110085 में स्थित फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. 181, ब्लॉक नं. डी, पॉकेट–1, सेक्टर 11, क्षेत्रफल माप 25.90 वर्ग मी. के भाग में फ्री होल्ड सम्पूर्ण 2रा तल (छत के अधिकारों के साथ)
2. रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली–110085 में स्थित फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. 182, ब्लॉक नं. डी, पॉकेट–1, सेक्टर 11, क्षेत्रफल माप 25.90 वर्ग मी. के भाग में फ्री होल्ड सम्पूर्ण 2रा तल (छत के अधिकारों के साथ)

तिथिः 24.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

CIN: L74999DL1984PLC018610
पंजी. कार्यालयः डी–3/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020
वेबसाइटः www.ebl.co.in
ई मेलः secretarial@ebl.co.in

सूचना

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम और [illegible] पर विचार और स्वीकृत हेतु ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक [illegible], [illegible] अगस्त 2019 को सुबह 11.30 बजे पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

कथित सूचना और कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम www.ebl.co.in, www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड
हस्ता./–
एस. के. मंडेलिया
(निदेशक)
[DIN: 07136408]

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 26.07.2019

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi 110001

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks & Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

In the matter of O.A. No. [illegible]

[illegible] ...Applicant

Versus

M/s F K Enterprises [illegible] ...Defendants

D-1 M/s F K Enterprises Proprietor, Mr. [illegible] S/o Mr. [illegible]
At - 1164, Ist Floor, Sunar Wali Gali, Darya Ganj, Kala Mahal, New Delhi-110002
D-2 Mr. Mohd. Haroon S/o Haji [illegible] Ahmed 1164, Sunar Wali Gali, Darya Ganj & Kala Mahal, New Delhi 110002

Whereas the above named applicant has instituted a case against you & whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in the Tribunal [illegible] at 10.30 A.M. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard & decided in your absence.

Given under my hand & seal of the Tribunal on this the 13-06-2019.

Seal

BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Assistant Registrar
DRT-III, New Delhi

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11.3.2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	CIN: U74120DL2008PLC175180
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 701–ए, 7वां तल, जीडी–आईटीएल टावर, प्लॉट नं. बी–8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम, नई दिल्ली–110034 भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः बी–16, सेक्टर–2, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश कार्य का पताः डी–हिरेहल, जिला अनंतापुर, आन्ध्र प्रदेश–515872
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	13.3.2019 (आदेश 15.3.2019 को वेबसाईट पर अपलोड की गई)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	मूल रूप से 27.05.2019 (आमंत्रण पहली बार 19.6.2019, दूसरी बार 12.7.2019 तथा अब, तीसरी बार 25.7.2019 को विस्तारित किया गया।)
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता ई–मेलः irp.appleindustriescirp@gmail.com अथवा csrakeshsingala@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता के मानक अधोलिखित वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती हैः http:// ibbi.gov.in/ webfront/ legal_framework.php
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	9.8.2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	19.8.2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	24.8.2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	3.9.2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	24.8.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी (1) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध प्राप्त करने के पात्र सभी प्रस्ताव आवेदक (कों) को वह प्रस्ताव आवेदक (कों) द्वारा गोपनीयता का अंडरटैकिंग जमा करने के बाद क्लॉज नं. 21 के अंतर्गत दी गई ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	23.9.2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	प्रस्ताव आवेदक (कों) द्वारा ऊपर क्लॉज 16 में वर्णित रूप में प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात 13.10.2019 को या पूर्व) को या पूर्व क्लॉज 21 में वर्णित पते पर ई–मेल तथा मुहरबंद लिफाफे में हाथों–हाथ/ डाक द्वारा अंतरिम प्रस्ताव कर्मी/ प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना (ऐं) जमा की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	23.11.2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री राकेश कुमार सिंगला IBBI/ IPA-002/ IP-N00581/2017-18/11744
20.	बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	श्री राकेश कुमार सिंगला पताः 1/6,ब्लॉक–एक्स, लेन नं. 4, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053 csrakeshsingala@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	पताः 1/6,ब्लॉक–एक्स, लेन नं. 4, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053 ई–मेलः appleindustries.cirp@gmail.com अथवा csrakeshsingala@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	ई–मेलः appleindustries.cirp@gmail.com अथवा csrakeshsingala@gmail.com/मोबा.ः 09313324356
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	27.07.2019

टिप्पणीः 1) इस मामले में ईओआई 27.5.2019 को पूर्व में आमंत्रित की गई थी तथा ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 11.6.2019 थी। लेकिन, सीओसी के निर्देशों के अनुसार 30.6.2019 तक ईओआई जमा करने की स्वीकृति दी गई, अतएव यह आमंत्रण की जा रही है।

टिप्पणीः 1) इस मामले में ईओआई 27.5.2019, 19.06.2019 एवं 12.07.2019 को पूर्व में आमंत्रित की गई थी तथा ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 15.7.2019 थी। लेकिन, सीओसी के निर्देशों के अनुसार 09.08.2019 तक ईओआई जमा करने की स्वीकृति दी गई, अतएव यह आमंत्रण पुनः की जा रही है।

2) ऊपर वर्णित समय–सीमा सीआईआरपी की पूर्णता के लिये माननीय एनसीएलटी द्वारा विस्तार की स्वीकृति के अधीन है क्योंकि वर्तमान विषय संदर्भ में सीआईआरपी का 180 दिन 09.09.2019 को समाप्त हो रहा है। 8.7.2019 को आयोजित उनकी बैठक में सीओसी ने सीआईआरपी की पूर्णता के लिये समय में विस्तार के लिये माननीय एनसीएलटी की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है एवं तदनुसार इस संदर्भ में आवेदन दाखिल करने के लिये आईआरपी को निर्देश दिया है। आवेदन साथ–साथ दाखिल की जा रही है। ऊपर वर्णित सभी तिथियाँ माननीय एनसीएलटी द्वारा विस्तार की स्वीकृति के अधीन हैं।

हस्ता./–
राकेश कुमार सिंगला
रिजॉल्यूशन प्रॉफेश्नल
एपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में
IBBI पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00581/2017-18/1174
पताः 1/6, ब्लॉक–एक्स, लेन नं. 4, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053
ई–मेलः appleindustries.cirp@gmail.com, अथवा csrakeshsingala@gmail.com
मो.: 09313324356

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27.07.2019

प्रपत्र सं. आईएनसी– 25 ए

पब्लिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

मै. अदिति इन्फ्राबिल्ड एंड सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 40, भू तल, सैनी एन्क्लेव, दिल्ली– 110092 में है, आवेदक के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 3 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता 40, भू तल, सैनी एन्क्लेव, दिल्ली– 110092

कृते एवं के लिये, आवेदक
अदिति इन्फ्राबिल्ड एंड सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता./–
मनोज बंसल
निदेशक
DIN: 01644252

तिथिः 25.07.2019
स्थानः दिल्ली

सेनल्यूब इंडस्ट्रीज लि.

प्लाट नं. 233–234, सेक्टर–58,
बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004, (हरियाणा)
फोन नं.: 08826794470,71,72,73,
वेबसाईट: www.cenlub.in,
ई–मेल: cenlub@cenlub.in
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L67120HR1992PLC035087

14 अगस्त, 2019 को आयोजित होने के लिये निर्धारित बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुसार हम, आपको सूचित करना चाहते हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 4.00 बजे अप. में पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 233 एवं 234, सेक्टर–58, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे निम्न व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगेः

1. कम्पनी के ऑडिटरों द्वारा की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू 1) के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन
2. वित्त वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक साधारण सभा की तिथि का निर्धारण तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिये 27 वीं वार्षिक साधारण सभा के सूचना के प्रारूप पर विचार तथा अनुमोदन;
3. उसके संलग्णकों तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिये कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट के साथ निदेशकों के रिपोर्ट के ड्राफ्ट पर विचार तथा अनुमोदन करने
4. आगामी वार्षिक साधारण सभा में ई–वोटिंग के लिये पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती अपूर्वा सिंह, कार्यरत कम्पनी सचिव की नियुक्ति करने
5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी व्यवसाय पर विचार करना।

कृपया ध्यान रहे कि इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आचार संहिता तथा सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध विनियमन) 2015 के अनुसार विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1.8.2019 से 16.08.2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेगा।

सेनल्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
(वी. के. मित्तल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(DIN: 00006398)

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 26.07.2019

कुमार फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L15310DL1991PLC043456
पंजी. कार्यालयः 71/1, सिरसपुर, दिल्ली–110042
ई मेलः cs@kumarfood.com,
वेबसाईटः www.kumarfood.com
फोन नं.: 011–27357808, फैक्सः 011–47055499

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित अधिनियम 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कुमार फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. में उसके कार्यालय 1101–1103, तल पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईटः **www.kumarfood.com** तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **https://www.msei.in** पर भी देखी जा सकती है।

कुमार फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
धरमिन्दर जोशी
निदेशक

तिथिः 26.7.2019
स्थानः दिल्ली

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh-247 554
Corp. Off: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida-201301
CIN: L15421UP1932PLC022174
Email: shares@trivenigroup.com
website: www.trivenigroup.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 3rd August, 2019 inter-alia to consider and take on record Unaudited Financial Results of the Company for the 1st quarter ended 30th June, 2019.

The intimation of the Board meeting is also available on the Company's website www.trivenigroup.com and also on the websites of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Triveni Engineering & Industries Ltd.
Geeta Bhalla
Group VP & Company Secretary

Date: 26.07.2019

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

प्रवाहा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 8–ए/1, गीता कॉलोनी दिल्ली पूर्व, दिल्ली–110031 में है, के मामले में

(........आवेदक)

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''दिल्ली राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 15.07.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिए
प्रवाहा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
विद्यावत्सल अन्नाप्रागडा
निदेशक

तिथिः 22.7.2019
स्थानः नई दिल्ली
पंजीकृत कार्यालय 8–ए/1, गीता कॉलोनी दिल्ली पूर्व, दिल्ली–110031

सिंडिकेट बैंक
कब्जा सूचना [अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1)]

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के सबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणीः** सुरेश यादव, श्री कृष्ण, राजे सिंह, हंसो, मुकेश कुमार यादव। **शाखाः** बिसरख शाखा।	आवासीय खाली प्लॉट जिसकी माप 1390.25 स्क्वेयर यार्डस, आई.ई. 1162.38 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0. 1155, गांव पटवाडी, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर मालिक श्रीमति हंसो। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में केशराम का प्लॉट, **दक्षिण** में 8 फिट चौड़ा रास्ता, **पूर्व** में श्री केशराम का खेत और **पश्चिम** में श्री सुरेश का प्लॉट।	04.05.2019	23.07.2019	रू0. 6,30,830.29 + ब्याज एवं अन्य व्यय
2.	**ऋणीः** प्रमोद कुमार यादव, सुरेश पाल यादव। **शाखाः** बिसरख शाखा।	आवासीय खाली प्लॉट जिसकी माप 125 स्क्वेयर यार्डस, आई.ई. 104.51 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0. 330, गांव जलपुरा, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर मालिक प्रमोद यादव। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में प्रेम सिंह का प्लॉट, **दक्षिण** में भीम सिंह त्यागी का प्लॉट, **पूर्व** में हॉस्पिटल और **पश्चिम** में रास्ता 15 फिट चौड़ा।	08.05.2019	22.07.2019	रू0. 2,00,020.94 + ब्याज एवं अन्य व्यय
3.	**ऋणीः** अखतारी बेगम, यासीन खान, फेजल आलम पुत्र गुलाम अहमद। **शाखाः** बिसरख शाखा।	आवासीय मकान खसरा नं0 1560, मुंसिपिल नं0 185,जिसकी माप 250 स्क्वेयर यार्डस, मौहल्ला नई आबादी, कस्बा दादरी, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर मालिक अखतारी। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में 12 फिट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण** में श्रीमति शाहिदा बेगम का घर, **पूर्व** में 14 फिट चौड़ा रास्ता और **पश्चिम** में यामीन का प्लॉट।	15.03.2019	22.07.2019	रू0. 17,78,524.19 + ब्याज एवं अन्य व्यय
4.	**ऋणीः** सुभाष कुमार, राजवीर नागर। **शाखाः** बिसरख शाखा।	आवासीय प्लॉट जिसकी माप 66 स्क्वेयर यार्डस, पुरानी आबादी, गांव ऐंछर, परगना दनकौर, तहसील और जिला गौतमबुद्धनगर मालिक धानेश पत्नि राजबीर नागर। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में श्री धर्म चन्द का घर, **दक्षिण** में रास्ता 10 फिट चौड़ा, **पूर्व** में म0 मेहर चन्द की सम्पत्ति और **पश्चिम** में 10 फिट चौड़ा रास्ता।	26.04.2019	22.07.2019	रू0. 10,07,487.48 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांकः 23-07-2019 **स्थानः बिसरख।** **प्राधिकृत अधिकारी**

POLYCAB

POLYCAB INDIA LIMITED

(formerly known as 'Polycab Wires Limited')

Registered office : E-554, Greater Kailash - II, New Delhi 110 048
CIN : U31300DL1996PLC266483; **Tel:** 011 - 29228574; **Fax:** 011 29223574; **E-mail:** shares@polycab.com

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2019

(₹ million, except per share data)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30 June 2019 (Unaudited)	30 June 2018 (Audited)	31 March 2019 (Audited)
Total Income from Operations	19,848.83	17,057.41	80,493.32
Net profit for the period before tax	2,065.86	1,201.50	7,560.64
Net profit for the period after tax	1,352.73	770.02	5,003.06
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,326.33	767.81	4,998.16
Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,486.46	1,412.06	1,412.06
Reserves	31,812.11	22,829.56	27,057.49
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)[#]			
a) Basic	9.12	5.44	35.39
b) Diluted	9.12	5.44	35.39

[#] *Quarter ended EPS is not annualised.*

Notes

1) The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 26 July 2019.
2) During the quarter ended 30 June 2019, the Company completed the Initial Public Offering (IPO) including fresh issue of 74,40,067 equity shares of face value ₹ 10 each of the company for a cash at a price of ₹ 538 per equity share (₹ 485 per equity shares for employee quota) through an offer for sale by the selling shareholders aggregating upto ₹ 4,000 million and the equity shares of the Company were listed on the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited on 16 April 2019.
3) Additional information of standalone financial results is as follows:

(₹ million)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30 June 2019 (Unaudited)	30 June 2018 (Audited)	31 March 2019 (Audited)
Total Income from Operations	19,732.49	17,006.60	80,040.75
Net profit for the period before tax	2,041.23	1,227.98	7,565.88
Net profit for the period after tax	1,335.09	798.35	5,014.39

4) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on the Company's website (www.polycab.com).

For and on behalf of the Board

Sd/-
Inder T. Jaisinghani
Chairman & Managing Director
DIN : 00309108

Place : Halol, Panchmahal
Date : 26 July 2019

Adfactors 172

येन लोंग में हाल की हिंसा के विरोध में शुक्रवार को हांगकांग हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन करते नागरिक।

नई मिसाइलें दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी : उत्तर कोरिया

सोल, 26 जुलाई (एएफपी)।

● दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 30 हजार सैनिक तैनात हैं और दक्षिण कोरिया सैनिकों के साथ उनका वार्षिक अभ्यास हमेशा से प्योंगयांग के गुस्से की वजह बना है।

● केसीएनए ने कहा कि किम ने दक्षिण कोरिया पर एक तरफ शांति वार्ता की बात करने और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से अत्याधुनिक हथियार आयात करके तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर 'दोहरे रवैया' अपनाने का आरोप लगाया है।

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने 'नई तरह के सामरिक निर्देशित हथियार' के प्रक्षेपण की निगरानी की और इसे दक्षिण कोरिया के लिए 'गंभीर चेतावनी' बताया। उत्तर कोरिया के समुद्र में दो मिसाइलें दागने के एक दिन बाद शुक्रवार को सरकारी मीडिया ने यह बताया।

केसीएनए ने बताया कि किम ने गुरुवार को व्यक्तिगत तौर पर मिसाइलों के प्रक्षेपण को निर्देशित किया और इसके नतीजे पर संतोष जताया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच पिछले महीने अचानक हुई बैठक के बाद यह उत्तर कोरिया का पहला मिसाइल परीक्षण है। किम और ट्रंप असैन्यीकृत क्षेत्र में 30 जून को हुई बैठक में वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए थे।

उत्तर कोरिया ने पहले भी आगाह किया था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यासों से वाशिंगटन और प्योंगयांग के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण की वार्ता बहाल होने की योजना प्रभावित हो सकती है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 30 हजार सैनिक तैनात हैं और दक्षिण कोरिया सैनिकों के साथ उनका वार्षिक अभ्यास हमेशा से प्योंगयांग के गुस्से की वजह बना है।

केसीएनए ने कहा कि किम ने दक्षिण कोरिया पर एक तरफ शांति वार्ता की बात करने और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से अत्याधुनिक हथियार आयात करके तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर 'दोहरे रवैया' अपनाने का आरोप लगाया है।

उसने कहा कि दक्षिण कोरियाई नेताओं को 'प्योंगयांग की चेतावनी को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए।' गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर कोरिया ने पौ फटने के तुरंत बाद दो मिसाइलें दागीं और उन्होंने पूर्वी सागर में गिरने से पहले करीब 430 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। पूर्वी सागर को जापान सागर के नाम से भी जाना जाता है।

इमरान खान के दौरे के बाद अमेरिका ने कहा, अब वादों को पूरा करने का समय

वाशिंगटन, 26 जुलाई (भाषा)।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ' हम उनको (बंधकों) रिहा कराने के लिए पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनके (इमरान खान) बयान मददगार हैं और हम निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि उन बयानों के संबंध में कुछ कदम उठाए जाएंगे।'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिकी दौरे के बाद वाशिंगटन ने गुरुवार को कहा कि अब किए गए वादों को पूरा करने का समय है। इस दौरे पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से मुलाकात की थी।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने संवाददाताओं से कहा, 'हम अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने को प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि वह एक महत्त्वपूर्ण कदम था। न केवल राष्ट्रपति के साथ बल्कि विदेश मंत्री के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई और अब बैठक में किए गए वादों को पूरा करने का समय है।' उन्होंने खान और ट्रम्प के बीच हुई इस बैठक को आरंभिक बैठक बताया और कहा इसने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने, आपसी संबंध बनाने और घनिष्ठता बनाने का मौका दिया।

ओर्टागस ने कहा, 'अब हमें लगता है कि इस पहली सफल बैठक को आगे बढ़ाने का समय है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा कही बातों में से एक का उल्लेख करना चाहूंगी, उन्होंने संकल्प लिया था कि वह अफगान सरकार से बातचीत करने के लिए तालिबान से अपील करेंगे।' उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। ओर्टागस ने कहा, 'जब बात आतंकवाद से लड़ाई की आती है, आपके पास विदेश मंत्री हैं जो अपने पूरे कार्यकाल में इसको लेकर प्रतिबद्ध रहे हैं और यह एक ऐसा मुद्दा है जो वह अपने सहयोगियों, दोस्तों और हर किसी से बातचीत के दौरान उठाते रहेंगे।' उन्होंने कहा कि अमेरिका बंधकों को रिहा कराने के लिए भी पाकिस्तान से बात कर रहा है।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ' हम उनको (बंधकों) रिहा कराने के लिए पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनके (इमरान खान) बयान मददगार हैं और हम निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि उन बयानों के संबंध में कुछ कदम उठाए जाएंगे।'

फेसबुक, गूगल को नियंत्रित किए जाने की अपील

सिडनी, 26 जुलाई (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया के एक निगरानी समूह ने फेसबुक और गूगल की निजी डेटा तक पहुंच और ऑनलाइन विज्ञापनों पर उसके वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का शुक्रवार को सुझाव दिया।

आस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि वह निगरानी समूह के 23 सुझावों पर गौर करेगी और साल के अंत तक इसके नियमन संबंधी प्रस्ताव पेश करेगी।

आस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग ने 'आस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन' की रिपोर्ट का स्वागत किया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन सुझावों को लाग किया जाएगा।

फ्राइडेनबर्ग ने कहा, 'उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को भी अधिक पारदर्शी किए जाने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, 'विश्व कभी व्यावसायिक रूप से इतना संवेदनशील नहीं रहा और केवल दो कंपनियों की व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच है।'

निगरानी समूह ने बताया कि करीब 1.7 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई हर महीने फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और रोजाना करीब 30 मिनट इस पर बिताते हैं, जबकि 98 फीसद ऑस्ट्रेलियाई गूगल का इस्तेमाल करते हैं।

उत्तर कोरिया के साथ वार्ता चाहते हैं : अमेरिका

वाशिंगटन, 26 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिका ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के साथ वार्ता जारी रखना चाहता है लेकिन साथ ही उसने प्योंगयांग के फिर से मिसाइल परीक्षण करने के बाद उसे अपने 'उकसावे' वाले कदम रोकने को कहा।

इससे एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने समुद्र में कम दूरी की दो मिसाइलें दागीं। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच पिछले महीने अचानक हुई बैठक के बाद पहला परीक्षण है। इस बैठक में दोनों ने परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता बहाल करने पर सहमति जताई थी।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने यहां पत्रकारों से कहा, 'हम उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध चाहते हैं और हम उत्तर कोरिया से उन सभी चीजों को हल करने का अनुरोध करना जारी रखेंगे जिसके बारे में राष्ट्रपति और किम ने कूटनीति के जरिए बात की।' उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण करके चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साझा सैन्य अभ्यास किया तो यह वार्ता पटरी से उतर सकती है। ओर्टागस ने कहा, 'हम और कोई उकसावे वाली कार्रवाई न करने का अनुरोध करते हैं। सभी पक्षों को (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के) प्रस्तावों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।' उत्तर कोरिया ने आखिरी बार नौ मई को कम दूरी की मिसाइलें दागी थीं।

छह दिन की गिरावट से उबरा सूचकांक

मुंबई, 26 जुलाई (भाषा)।

वित्त व बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों में तेजी के दम पर सूचकांक शुक्रवार को लगातार छह दिन की गिरावट से उबरने में कामयाब रहा और कारोबार की समाप्ति पर 51.81 अंक की बढ़त लेकर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि खराब तिमाही परिणाम, विदेशी निवेशकों की निकासी और नरम वैश्विक संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित रही। हालांकि, आने वाले दो सप्ताह के दौरान औसत से बेहतर बारिश की उम्मीद ने बाजार को सहारा दिया।

बीएसई का 30-शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 'सूचकांक' उथल-पुथल भरे कारोबार के बीच 51.81 अंक यानी 0.14 फीसद की बढ़त लेकर 37,882.79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक में 289 अंक का उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 32.15 अंक यानी 0.29 फीसद की बढ़त के साथ 11,284.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह नीचे में 11,210.05 अंक और ऊंचे में 11,307.60 अंक के दायरे में रहा। घटबढ़ के बाद सप्ताह के दौरान सूचकांक 454.22 अंक यानी 1.18 फीसद और निफ्टी 134.95 अंक यानी 1.18 फीसद की गिरावट में रहा। सूचकांक की कंपनियों में येस बैंक सर्वाधिक 9.64 फीसद की तेजी में रही। बजाज फाइनेंस का शेयर भी जून तिमाही में अब तक का सर्वाधिक 1,195 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होने के बाद 7.20 फीसद चढ़ गया।

इनके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक 3.21 फीसद तक की तेजी में रहे। वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एअरटेल, ओएनजीसी, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इंफोसिस के शेयर 4.26 फीसद तक नुकसान में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- बाजार छह दिनों की गिरावट के बाद उबरने में कामयाब रहा। पहली तिमाही के परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं होने के कारण सुधार कम रहा। हालांकि, आने वाले दो सप्ताह में औसत से बेहतर बारिश की उम्मीद से बाजार को कुछ राहत मिली। बीएसई के समूह सूचकांक में वाहन, बैंकिंग, पूंजीगत वस्तुओं, स्वास्थ्य व चिकित्सा, उद्योग, वित्त और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद 1.98 फीसद तक की बढ़त में रहे। हालांकि ईंधन, आइटी, टेक, तेल व गैस और बिजली समूह सूचकांक में 1.01 फीसद तक की गिरावट रही। बीएसई का मिडकैप और स्मॉलकैप 0.53 फीसद की तेजी में रहे।

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 126.65 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशक इस दौरान 398.53 करोड़ रुपए के शुद्ध लिवाल रहे।

सरकार अगले चरण में 20-25 हवाई अड्डों का करेगी निजीकरणः एएआइ चेयरमैन

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्र ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अगले चरण में देश के 20- 25 और हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी। पिछले साल सरकारी-निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया गया था। फरवरी में अडाणी समूह ने छह हवाई अड्डे में से पांच का ठेका हासिल किया था।

महापात्र ने कहा- हमने छह हवाई अड्डों का निजीकरण किया है; अगले चरण में 20-25 और हवाई अड्डों के निजीकरण की योजना है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा- ये 20-25 बड़े हवाई अड्डे होंगे, जिनके जरिए सालाना 10 - 15 लाख यात्री यात्रा करते हैं। महापात्र एक अगस्त को उद्योग व आतंरिक व्यापार विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कंपनी संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा की मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

लोकसभा ने शुक्रवार को कंपनी (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की जो कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने कंपनी अधिनियम पारित किया था जिसमें लगातार संशोधन की मांगें उठती रहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती बल्कि सभी हितधारकों की मांगों के अनुरूप लाया जाता है।

सीतारमण ने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर कहा कि तात्कालिक जरूरत के लिए अध्यादेश दोबारा लाना पड़ा था और यह जल्द समाप्त होने वाला है, इसलिए सरकार विधेयक लेकर आई है ताकि फिर से अध्यादेश का रास्ता नहीं अपनाना पड़े। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान पर विभिन्न सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर के लिए कंपनियों को तीन साल की अवधि दी गई है और पहले साल में उन्हें इस बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। उन्होंने साफ किया कि पांच करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने वाली, एक हजार करोड़ रुपए के कारोबार वाली कंपनियों को सीएसआर की गतिविधियों को दिखाना होगा और इस बारे में केवल स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित किया।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार इसके माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 41 का संशोधन करने की बात कही गई है जिससे केंद्र सरकार को कुछ कंपनियों को भिन्न भिन्न वित्तीय वर्ष रखने देने का अधिकार दिया गया है। इसमें कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई आरंभ करने के लिए पंजीयक को सशक्त करने वाले अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने की बात कही गई है, अगर कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई कारोबार नहीं कर रही है। इसके तहत अधिनियम की सोलह धाराओं का संशोधन करने की बात कही गई है जिससे विशेष न्यायालय के भार को कम करने के लिए उक्त धाराओं में यथा उल्लेखित दंड को जुर्माने से बदलकर मौद्रिक दंड में बदला जा सके।

ई-वाहन अपनाने से रोजगार के अवसरों में कमी नहीं : सावंत

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्री अरविंद गणपत सावंत ने शुक्रवार को कहा कि ई-वाहन अपनाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में कमी नहीं हों। उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सावंत ने कहा कि उनके मंत्रालय को 14 विभिन्न शहरों से फेम कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 15,000 बसों का आग्रह प्राप्त हुआ है।

मंत्री ने कहा कि वाहनों का इंजन बनाने वाली कुछ कंपनियों ने उनसे कहा है कि इन इंजनों के लिए अधिक कल-पुर्जों की जरूरत है, जिससे वाहन उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा- ई-वाहनों में कल-पुर्जों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसे में रोजगार के अवसर में भी कमी आ जाएगी। मंत्री ने कहा कि भारत रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन चाहता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ई-वाहनों को अपनाने से रोजगार के मौकों में कमी ना हो। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2023 तक तीन पहिया वाहनों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही 150 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिये 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना लिया जायेगा। नीति आयोग में प्रधान सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ने में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है सोच में बदलाव लाना।

निसान भारत में करेगी 1700 कामगारों की छंटनी

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी निसान अपने भारतीय परिचालन में 1,700 नौकरियों की कटौती करेगी। इसमें ज्यादातर नौकरियां विनिर्माण परिचालन से जुड़ी हुई हैं। यह कंपनी की वैश्विक पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत कंपनी विभिन्न स्थानों पर अपने कुल कार्यबल में 6,000 की कमी लाएगी।

कंपनी ने एक विश्लेषण में कहा कि वैश्विक स्तर पर वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच वह छह परिचालन स्थानों पर कुल 6,100 नौकरियों की कटौती करेगी। वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी ने वैश्विक स्तर पर आठ परिचालन स्थानों पर कुल 6,400 नौकरियां कटौती करने का लक्ष्य तय किया था। उद्योग सूत्रों के अनुसार इन 1,700 नौकरियों में कटौती रेनॉ-निसान के चेन्नई स्थित संयुक्त संयंत्र में किए जाने की संभावना है। इस संबंध में निसान मोटर इंडिया से संपर्क करने पर उसने टिप्पणी करने से मना कर दिया। रेनॉ-निसान के तमिलनाडु स्थित संयुक्त संयंत्र और शोध-विकास सुविधा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 40,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

मारुति का शुद्ध लाभ 32 फीसद घटा

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 31.67 फीसद घटकर 1,376.8 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के वाहनों की बिक्री में कमी और मूल्य ह्रास से कंपनी के मुनाफे में यह कमी दर्ज की गई है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को बताया कि उसे पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही में 2,015.10 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था।

मारुति ने कहा कि आने वाले तीन साल में वह अपनी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प को रॉयल्टी का भुगतान येन की जगह पूरी तरह रुपए में करने लगेगी। मारुति के मुताबिक आलोच्य तिमाही में उसके वाहनों की बिक्री 14 फीसद घटकर 18,738.8 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 21,813.8 करोड़ रुपए पर था। कंपनी के मुताबिक इस वर्ष की पहली तिमाही में मूल्यह्रास और परिशोधन पर उसका व्यय 919 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 720.3 करोड़ रुपए पर था।

कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक आलोच्य तिमाही में उसके वाहनों की बिक्री 17.9 फीसद घटकर 4,02,594 इकाइयों की रही। मारुति सुजुकी इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अजय सेठ ने कहा कि घरेलू वाहन उद्योग में जारी नरमी से भी कंपनी की पहली तिमाही के परिणाम प्रभावित हुए।

यह लगातार चौथी तिमाही रही, जिसमें बिक्री में कमी दर्ज की गई। तिमाही के दौरान (यात्री) वाहनों की बिक्री में 18 फीसदी की गिरावट रही, घरेलू बिक्री में 19.3 फीसद की गिरावट एवं मांग में नरमी का असर भी कंपनी पर पड़ा।

'बिजली मंत्रालय भेजे जाने का वीआरएस से कोई लेना देना नहीं'

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

नवनियुक्त बिजली सचिव एससी गर्ग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय से बिजली मंत्रालय में स्थानांतरण का उनके वीआरएस से कोई लेनादेना नहीं है। तबादला आदेश आने से पहले ही 18 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के बारे में चर्चा की थी। गर्ग ने बिजली सचिव का पदभार शुक्रवार को संभाला है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को कार्मिक मंत्रालय ने राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आइएएस अधिकारी गर्ग को वित्त मंत्रालय से बिजली मंत्रालय भेजने का आदेश जारी किया। वित्त मंत्रालय में 58 वर्षीय गर्ग सबसे वरिष्ठ नौकरशाह थे। वह आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी रहे और उन्हें वित्त सचिव नामित किया गया था। उनसे वीआरएस के लिए आवेदन दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर गर्ग ने कहा- बिजली मंत्रालय में स्थानांतरण से उनके वीआरएस का कोई लेनादेना नहीं है। तबादला आदेश आने से पहले 18 जुलाई को ही प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के बारे में चर्चा की गई थी। एक अन्य सवाल के जवाब में बिजली सचिव ने कहा- उन्होंने 24 जुलाई को वीआरएस के लिए आवेदन किया। इस संबंध में प्रक्रिया जारी है। आवेदन मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जाएगा। उन्हें निर्णय करना है। गर्ग ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी आगे सौंप दी है। वित्त मंत्रालय में काफी कुछ सीखने को मिला .... 31 अक्टूबर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) से वीआरएस के लिए आवेदन किया है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- चूंकि विमल जालान समिति अभी रिपोर्ट पर विचार कर रही थी, विचार की प्रक्रिया चल रही है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, इसीलिए मैंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष के आकार पर विचार के लिए आरबीआइ के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस छह सदस्यीय समिति में गर्ग भी शामिल थे। 2019-20 के बजट में विदेशी बाजार में बांड जारी कर कोष जुटाने से जुड़े सवाल के जवाब में गर्ग ने कहा- घरेलू बाजार में सीमित संसाधनों और निजी क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय किया गया। दुनिया भर के देश विदेशों से पूंजी जुटा रहे हैं। इसमें जोखिम कम है।

बच्चा चोर होने के शक में तीन लोगों की ग्रामीणों ने की पिटाई

बैतूल (मध्य प्रदेश), 26 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों ने दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं सहित तीन लोगों की पिटाई कर दी। यह घटना बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर शाहपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत नवल सिंघाना गांव के पास गुरुवार मध्यरात्रि के आसपास हुई। पुलिस ने बताया कि जिन तीन लोगों की पिटाई की गई है, उनमें कांग्रेस के बैतूल जिला महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला व जनपद सदस्य धरमू सिंग लांजीवार और सामाजिक कार्यकर्ता ललित बारस्कर शामिल हैं। बारस्कर आदिवासी कोरकु समाज के तहसील अध्यक्ष हैं।

शाहपुर पुलिस थाना प्रभारी दीपक पाराशर ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात 12 बजे के आसपास इन तीनों की ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के शक में बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त ये तीनों कार से केसिया ग्राम से अपने घर शाहपुर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि इलाके में बच्चा चोरों के होने की अफवाहों के मद्देनजर ग्रामीणों ने नवल सिंघाना के पास सड़क को बाधित करने के लिए झाड़ियां डाल रखी थीं और ग्रामीण लाठियां लेकर छुपे हुए थे, ताकि अगर कोई बच्चा चोरी करने वाला आता है तो उसे पकड़ा जा सके। इसी बीच शुक्ला, लांजीवार व बारस्कर वहां आए और उन्हें लगा कि बीच सड़क पर झाड़ियां डालकर वहां पर बदमाश खड़े हैं। ये तीनों घबरा गए व कार को वापस गांव की ओर ले जाने के लिए मोड़ने लगे। इसी बीच अचानक आसपास छुपे ग्रामीणों ने उन पर बच्चा चोर समझकर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। ग्रामीणों के हमले से उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है।

पाराशर ने बताया कि बाद में इन तीनों पीड़ितों ने अपने आप को किसी तरह से ग्रामीणों से बचाया और पाढर ग्राम के गोलू राठौर व ब्लॉक शाहपुर के कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा को इस घटनाक्रम की सूचना दी। इसके बाद शाहपुर थाने से थाना प्रभारी दीपक पाराशर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व आरोपियों की तलाश की, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे।

कुलदीप बिश्नोई के घरों पर आयकर छापों के बाद दिल्ली लौटा दल

हिसार (हरियाणा), 29 जुलाई (भाषा)।

आयकर विभाग का जांच दल यहां सेक्टर 15 में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर चार दिनों तक छापेमारी करने के बाद दिल्ली लौट गया। आयकर विभाग ने इससे पहले यहां आदमपुर में भी उनके निवास की तलाशी ली थी।

जांच दल ने हिसार, आदमपुर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के आवासीय परिसरों की मंगलवार को एक साथ तलाशी ली थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच दल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी कर चोरी जांच के सिलसिले में दस्तावेजों और सबूतों को ढूढ़ने में जुटे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आयकर दल शुक्रवार दोपहर हिसार से दिल्ली लौट गया। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य से भी आयकर जांच दल के साथ चलने को कहा गया है।

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, 23, राजेन्द्रा प्लेस
नई दिल्ली–110008 ई मेल:zodel@andhrabank.co.in,
फोन:011-25713643

ई–नीलामी की सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 9}

जबकि नीचे दिए विवरण के अनुसार कर्जदारों ने आन्ध्रा बैंक की निम्नलिखित विभिन्न शाखाओं से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा भुगतान में चूक की है और दिनांक (नीचे वर्णित तिथियां) तक नीचे वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज, लागत एवं खर्चों सहित बकाया है। अतः आन्ध्रा बैंक ने **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 54 वर्ष 2002 की धारा 13 के अधीन** प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्ति को यहां नीचे वर्णित वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से संचालित ई–नीलामी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेचने का निर्णय किया है।

प्रतिभूत सम्पत्तियों का सुरक्षित मूल्य नीचे तालिका में दिए गए अनुसार नियत किया गया है तथा सम्पत्ति इससे कम पर नहीं बेची जाएगी।

नीलामी में भाग लेने तथा सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि (सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत) संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी, के पक्ष में ईएफटी/आरटीजीएस/एनईएफटी अंतरण के माध्यम से जमा करनी होगी, जो **कर्जदारों के नाम के सामने नीचे वर्णित खाता सं. (आईएफएससी कोड भी वर्णित है)** को क्रेडिट की जाएगी। ईएमडी **27–08–2019** को अप. **4.00 बजे** से पूर्व जमा की जानी है।

इच्छुक खरीदारों को ईएमडी के भुगतान के बाद अपना नाम नीचे दिए 'ई'–नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत कराना होगा तथा अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक खरीदार लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बिड देने की विधि में सेवा प्रदाता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और 'ई'–नीलामी पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

केवल ऐसे इच्छुक खरीदार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी दिए जाने की शर्त पर, 'ई'–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे, जो वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि के धारक होंगे।

न्यूनतम बोली गुणांक नीचे प्रत्येक खाते के सामने वर्णितानुसार होगा।

सम्पत्तियां एन्टरप्राइज सिस्टम्स लिमिटेड की वेबसाइट पर दिनांक **28–08–2019** को नीचे सूचीबद्ध समय के बीच बिक्री के समापन/बंद होने तक 5 मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तारों के साथ होगी।

सम्पत्ति की बिक्री सर्वोच्च मूल्य/बोली देने वाले बोलीदाता को की जाएगी तथा बैंक द्वारा पुष्टि की शर्त के तहत होगी।

सफल बोलीदाता/खरीदार को, अचल सम्पत्ति के मामले में, बिक्री मूल्य/बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि, जमा की गई धरोहर राशि सहित, तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक, जैसा भी मामला है, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और ऐसा करने में असफल रहने पर, सम्पत्ति तत्काल दोबारा बेची जाएगी।

सफल बोलीदाता/खरीदार द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि अचल सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय में राशि अदा नहीं किए जाने की स्थिति में पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त मानी जाएगी तथा बैंक सम्पत्ति की दोबारा बिक्री के लिए स्वतंत्र होगा।

बैंक को सम्पत्ति पर किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है।

इच्छुक पार्टियां सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के साथ समन्वय से **16–08–2019** को **पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 4:00 बजे** के बीच कर सकती है। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों को सम्पत्ति की जांच नीलामी में भाग लेने से पहले सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिए। बैंक बाद में किसी भी आधार पर सम्पत्ति के संबंध में किसी विवाद हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के अनुसार, **रू. 50,00,000/– (रू. पचास लाख)** तथा अधिक बिक्री मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार को बिक्री मूल्य से 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस काटकर आयकर विभाग में प्रपत्र सं. 16–ख में जमा करना होगा, जिसमें बैंक का नाम तथा पैन नंबर AABCA7375C बतौर विक्रेता देना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र की मूल रसीद बैंक में जमा करनी होगी।

खरीददार को स्थानीय करों, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधिक देयों का भुगतान करना होगा। बिक्री के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों पर पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी खरीददार को वहन करनी होगी।

सम्पत्ति की बिक्री सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियमों तथा शर्तों पर जैसी है जहां है तथा जैसी है जो है आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सम्पत्ति के संबंध में बैंक के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के किसी दावे, प्रभार/ऋणभार की जांच सावधानी के साथ करनी चाहिए तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बिक्री निरस्त या प्रास्थगित करने का अधिकार है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

व्यावसायिक संपत्ति

क्रम सं.	शाखा का नाम /पता / सम्पर्क नं.	खाता का नाम	बकाया	सम्पत्तियों का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	आर पी/ईएमडी खाता नं. /आईएफएस कोड
1.	**चांदनी चौक शाखा** 330 हवेली हैदरकुली –110006 दूरभाष: 011–23930986, 23956494	**मैसर्स राजेश गुप्ता एंड संस**	15.02.2019 को रु. 65,39,838.87	भवन – कार्यालय स्थित व्यवसायिक सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लॉट नंबर 622–625 (नया) वार्ड नंबर 7, जीबी रोड के पीछे, फराश खाना, दिल्ली–110006, **परिमाप 107 वर्ग गज, स्व. श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी स्व. श्री द्वारका प्रसाद** के नाम में। **चौहद्दी – पूरब** : गली, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर 619–621, **उत्तर** : सम्पत्ति सं. 626, **दक्षिण** : जीबी रोड के पीछे रोड।	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 121.00 लाख** **ईएमडी : रु 12.10 लाख** **खाता नं. 077311100002254** **आईएफएस कोड : ANDB0000773** **बोली वृद्धि राशि** **रु 1,00,000/–**
2.	**एनआईटी फरीदाबाद शाखा** एनआईटी फरीदाबाद 5ई/7 बीपी रेलवे रोड 'एनआईटी फरीदाबाद –121001 दूरभाष नंबर 0129–2420061	**मैसर्स पिनेकल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड**	01.12.2018 को रु. 2,24,70,748	पिनेकल इंटरट्रेड प्रा. लि., द्वारा इसके निदेशक **श्री गंगा राम पुत्र श्री बाल किशन** (सम्पत्ति स्वामी) के साथ संबंधित सम्पत्ति स्थित 2 कनाल 9 मरला **(1482 वर्ग गज)** जो खेवट/खाता नंबर 100/105, रेक्ट नंबर 51, किला नंबर 3/1/3/3(2–0), 8/1/1/2/1(0–9) स्थित मौजा मीटोल, तहसील होडल जिला पलवल तथा चौहद्दी – **पूरब** : 33' रोड, **पश्चिम** : अन्य प्लॉट, **उत्तर** : पी–33' रोड, **दक्षिण** : अन्य प्लॉट,	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 92.00 लाख** **ईएमडी : रु 9.20 लाख** **खाता नं. 180411100004243** **आईएफएस कोड : ANDB0001804** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

आवासीय संपत्ति

क्रम सं.	शाखा का नाम/पता/सम्पर्क नं.	खाता का नाम	बकाया	सम्पत्तियों का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	आर पी/ईएमडी खाता नं. /आईएफएस कोड
1.	**एसपीएल हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच**, नोएडा प्रा.अ.का नाम डी वसंत कुमार मो.: – 9502804144	**श्री सुरेन्द्र शर्मा**	03.10.2018 को रु. 11,42,982.65	भूमि एवं भवन – आवासीय **परिमाप लगभग 23 वर्ग फीट** स्थित फ्लैट नंबर 6, भू तल, ए–16, ईडब्ल्यूएस सेक्टर–71, नोएडा तथा **चौहद्दी – पूरब** : रोड, **पश्चिम** : फ्लैट नंबर 5, **उत्तर** : फ्लैट नंबर 7, **दक्षिण** : रोड,	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 18.00 लाख** **ईएमडी : रु 1.80 लाख** **खाता नं. 114911100002723** **आईएफएस कोड : ANDB0001149** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**
2.	**लॉरेन्स रोड ब्रांच,** सी –33, ग्राउंड फ्लोर, अग्रवाल मॉडर्न बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली –110035 फोन– 011–27181322	**श्री प्राचीर भारद्वाज**	02.02.2019 को रु. 30,68,812	प्लॉट नंबर 508, ब्लॉक डी, सेक्टर–04, लाजपत नगर, साहिबाबाद स्थित सम्पत्ति सम्पूर्ण द्वितीय तल भाग तीन मंजिले भवन में (सेल डीड के पेज नंबर 19 पर वर्णितानुसार यथानुपात अविभाजित भूमि एरिया सहित) **परिमाप लगभग 87.84 वर्ग मीटर** छत के अधिकार सहित तथा **37.16 वर्ग मीटर छत** के अधिकार बगैर के सभी अंश एवं खंड। **चौहद्दी – पूरब** : बाकी हिस्सा, **पश्चिम** : 30' रोड, **उत्तर** : प्लॉट नंबर डी–507, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर डी–509	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 40.00 लाख** **ईएमडी : रु 4.00 लाख** **खाता नं. 058711100007763** **आईएफएस कोड : ANDB0000587** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**
3.	**वसंत कुंज शाखा** सेक्टर बी –1, डीएवी पब्लिक स्कूल कैंपस वसंत कुंज नई दिल्ली –110070	**वेमुलापल्ली मालविका**	02.01.2019 को रु. 91,73,139	सी2ए, डीडीए फ्लैट एमआईजी मुनीरका, नई दिल्ली –110067 स्थित सम्पत्ति भूमि एवं भवन आवासीय, **परिमाप लगभग 85 वर्ग मीटर** के सभी अंश एवं खंड। **चौहद्दी – पूरब** : फ्लैट नंबर 2बी, **पश्चिम** : खुला, **उत्तर** : सर्विस लेन, **दक्षिण** : फ्लैट नंबर 1बी	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 137.00 लाख** **ईएमडी : रु 13.70 लाख** **खाता नं. 10781110002786** **आईएफएस कोड : ANDB0001078** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**
4.	**एनआईटी फरीदाबाद शाखा** एनआईटी फरीदाबाद 5 ई/7 बीपी रेलवे रोड एनआईटी फरीदाबाद –121001 दूरभाष नंबर 0129–2420061	**मैसर्स पिनेकल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड**	01.12.2018 को रु. 2,24,70,748	श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री कुंज बिहारी गुप्ता (सम्पत्ति स्वामी) के साथ संबंधित मकान रूपी सम्पत्ति एफसीए 60, **परिमाप 120 वर्ग गज** जो रेक्ट नंबर 31, किला नंबर 7, ब्लॉक–ई, गली नंबर 4, आदर्श नगर, मलेरना रोड, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद का हिस्सा है, के सभी अंश एवं खंड, तथा **चौहद्दी – पूरब** : प्लॉट नंबर 59, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर 61, **उत्तर** : रोड, **दक्षिण** : अन्य सम्पत्ति,	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 42.00 लाख** **ईएमडी : रु 4.20 लाख** **खाता नं. 180411100004243** **आईएफएस कोड : ANDB0001804** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**
5.	**राजौरी गार्डन ब्रांच** जीएन–9, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, दिल्ली –110027 दूरभाष सं. 011–25191361	**पारुल एवं रविंदर**	01.12.2018 को रु. 20,07,409	आवासीय फ्लैट नंबर प्लॉट नंबर 42, तृतीय तल (फ्रंट साइड) खसरा नंबर 940 का अंश, ग्राम नवादा, ब्लॉक–ए, राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली–110059	28.08.2019 अप. 12.00 बजे से अप. 01.00 तक	**सुरक्षित मूल्य : रु. 22.00 लाख** **ईएमडी : रु 2.20 लाख** **खाता नं. 163811100003235** **आईएफएस कोड : ANDB0001638** **बोली वृद्धि राशि** **रु 50,000/–**

उपरोक्त सम्पत्ति की ई–नीलामी का संचालन निम्नवर्णित ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा
अंटेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड
#24, सुधा काम्प्लेक्स, थर्ड स्टेज, फोर्थ ब्लॉक, बासवेश्वरनगर, बेंगलुरु–560079
सम्पर्क व्यक्ति : श्री कुशल बोस, श्री विनोद सिंह बोरा एवं तौसीक घोष
मोबाइल नंबर 7686913157 एवं 9718227288 एवं 9674758724,
ई–मेल आईडी: kushal.b@antaressystems.com, vinodsingh.b@antaressystems.com, tousik.g@antaressystems.com.
टोल फ्री नंबर 18001026185, लैंडलाइन नंबर 080–49352000,
ई–नीलामी पोर्टल : **www.tenderwizard.com/ANB** के माध्यम से
'ई'–नीलामी के संबंध में आगे का विवरण तथा 'ई'–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा प्रपत्र और विस्तृत नियम व शर्तें आन्ध्रा बैंक की संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से (उनसे उनके संबंधित मोबाइल नंबर पर अथवा फोन नंबर : 011–25713643 पर सम्पर्क करके) प्राप्त की जा सकती हैं तथा निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं
1. www.tenderwizard.com/ANB 2.www.andhrabank.in 3.www.tenders.gov.in

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 26.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक सम्पर्क नं. 011-25713643

भारतीय साधारण बीमा निगम
GIC Re

सीआयएन: L67200MH1972GOI016133, आईआरडीएआई पंजीकरण सं.: 112
(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: सुरक्षा, 170, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020
दूरभाष: +91 22 22867000 फैक्स: +91 22 22884010
ई–मेल: investors.gic@gicofindia.com वेबसाईट: www.gicofindia.com

सूचना

दिनांक 29 जुलाई, 2019 को होने वाली मंडल बैठक से संबंधित निगम की पहले की दिनांक 17 जुलाई, 2019 की सूचना के संदर्भ में हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि के लिए गैर लेखा परीक्षित खातों पर विचार–विमर्श तथा अनुमोदन करने के लिए एजेंडा मद को सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा तदनंतर खातों के समेकन का संकलन न हो पाने के कारण वापस लिया जाता है.

तदनुसार, 29 जुलाई 2019 को होने वाली मंडल बैठक, निगम के सामान्य मामलों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए आयोजित की जाएगी.

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि के लिए गैर–लेखा परीक्षित खातों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए मंडल बैठक, वैधानिक समयसीमा के भीतर आयोजित की जाएगी तथा उसकी सूचना समय से पहले दे दी जाएगी.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम
हस्ताक्षरित/-
सुचिता गुप्ता
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.07.2019

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
Indraprastha Apollo Hospitals

पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली–मथुरा रोड, नई दिल्ली–110076
कार्पोरेट पहचान नं. : L24232DL1988PLC030958,
फोन: 91-11-26925858, 26925801, फैक्स: 91-11-26823629
ई.मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : delhi.apollohospitals.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विवरण का सार

राशि (₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) 30.06.2019	समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) 30.06.2018	समाप्त वर्ष (अंकेक्षित) 31.03.2019
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2039.91	1894.56	7886.39
2	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/ या असाधारण मदों के पूर्व)	132.02	102.57	446.21
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	132.02	102.57	446.21
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	85.25	64.86	284.13
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि का) (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है।]	81.48	67.20	283.01
6	चुकता शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.10/– प्रति)	916.73	916.73	916.73
7	पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलना पत्र में दिखाए रिजर्व के अनुसार (रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर)			1523.63
8	आय प्रति शेयर (मूल्य रु.10/–प्रति) (जारी और बंद संचालनों के लिए) मूलभूत एवं डाइल्यूटिड	0.93	0.71	3.10

उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। कंपनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **(www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com)** और कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26 जुलाई, 2019

डा. प्रताप सी. रेड्डी
उपाध्यक्ष

TATA STEELBSL TATA

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड
(पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड)

पंजी. कार्यालय: भूतल, मीरा कॉर्पोरेट सुट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110065
टेली.: 91–11–39194000, फैक्स: 91–41010050, ईमेल आईडी: tsbsl@tatasteelbsl.co.in
वेबसाईट: www.tatasteelbsl.co.in CIN : L74899DL1983PLC014942

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

रु. करोड़

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल राजस्व	4,332.74	5,517.50	4623.60	20891.61
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	43.49	(290.63)	(833.02)	(1262.91)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	113.26	(212.36)	2104.30	1713.09
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	113.26	(212.36)	2104.30	1713.09
अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिये लाभ/ (हानि) (कर से पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर से पश्चात) से शामिल]	104.91	(213.92)	2101.20	1718.26
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी [सम मूल्य रु. 2 प्रति शेयर]	218.69	218.69	218.69	218.69
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	–	18,094.21	–	18094.21
मूल आय प्रति शेयर, रु. 2/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)– रुपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	1.04	(1.94)	32.59	17.45
तरल आय प्रति शेयर, रु. 2/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)– रुपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	0.36	(1.94)	1.87	1.05

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का सार

रु. करोड़

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2019 टिप्पणी (ग) देखें	समाप्त तिमाही 30.06.2018 टिप्पणी (ग) देखें	समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल राजस्व	4332.74	5517.49	4623.60	20891.61
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	41.28	(290.67)	(833.04)	(1264.16)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	111.05	(212.40)	2104.28	1711.84
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	111.05	(212.40)	2104.28	1711.84
अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिये लाभ/ (हानि) (कर से पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर से पश्चात) से शामिल]	102.91	(213.97)	2101.28	1716.88
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी [सम मूल्य रु. 2 प्रति शेयर]	218.69	218.69	218.69	218.69
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित तथा गैर नियंत्रक ब्याज	–	18099.79	–	18099.79
मूल आय प्रति शेयर, रु. 2/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)– रुपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	1.02	(1.94)	32.59	17.44
तरल आय प्रति शेयर, रु. 2/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)– रुपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	0.35	(1.94)	(1.87)	(1.05)

टिप्पणी:

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजो में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैंडएलॉन तथा समेकित परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन तथा समेकित परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईटों (**www.nseindia.com/ www.bseindia.com**) तथा कम्पनी की वेबसाइट (**http://www.tatasteelbsl.co.in/ financial-reporting.html**) पर उपलब्ध है।

ख) उपरोक्त परिणामों की लेखा– परीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई तथा 25 जुलाई, 2019 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

ग) समेकित परिणामों में 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लेखा– परीक्षित आंकड़े तथा 31 दिसंबर, 2018 तक तिथि तक वर्ष के अनंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं जो सीमत समीक्षा के अधीन नहीं था। इसी प्रकार, 30 जून, 2018 को समाप्त तुलनात्मक तिमाही के आंकड़े कम्पनी के प्रकाशित परिणामों तथा संबंधित सत्ताओं के प्रबंधन द्वारा तैयार की गई गैर–समीक्षाकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित हैं।

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
राजीव सिंघल
प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई
तिथि: 25 जुलाई, 2019

चांद के और निकट पहुंचा 'चंद्रयान-2', सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में प्रवेश

बंगलुरु, 26 जुलाई (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि 'चंद्रयान 2' को दूसरी बार उसकी कक्षा में आगे बढ़ाया गया है जिससे वह चंद्रमा के और नजदीक पहुंच गया है। ऐसा पृथ्वी से निर्देश भेज कर किया गया।

इसरो ने एक बयान में बताया कि यान ने गुरुवार देर रात करीब एक बजकर आठ मिनट पर दूसरी कक्षा में प्रवेश किया। इसके लिए उसने यान में मौजूद प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसमें 15 मिनट का समय लगा। बयान के मुताबिक, इस प्रयास के साथ अंतरिक्ष यान 251 54,829 किमी की कक्षा में प्रवेश कर गया।

इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान की सभी गतिविधियां सामान्य स्थिति में हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 'चंद्रयान 2' 29 जुलाई दोपहर को तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। एक मून लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना 22 जुलाई को दोपहर के वक्त शुरू हुई थी। इसरो का लक्ष्य, लैंडर - विक्रम को सात सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। शुक्रवार का अभियान, 14 अगस्त को चंद्रमा के आभामंडल में प्रवेश से पहले होने वाले यान के चार अभियानों में से दूसरा है।

अक्षरधाम हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार

गांधीनगर, 26 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में हुए हमले के कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद यासीन भट को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि उसे गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार किया है।

यहां 24 सितंबर, 2002 को अक्षरधाम मंदिर परिसर के भीतर दो आतंकवादियों ने घुस कर गोलीबारी की थी जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के एक कमांडो समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी। एनएसजी के कमांडो ने इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया था। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का कथित सदस्य भट हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चला गया था। गुजरात गृह विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसे एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया कि वह जम्मू-कश्मीर लौट आया है और अनंतनाग में लकड़ी की फैक्टरी में काम कर रहा था। विज्ञप्ति में बताया गया कि स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तारी की गई।

भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में 28 नए तारे खोजे

नैनीताल, 26 जुलाई (भाषा)।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने यहां आकाशगंगा गैलेक्सी में 28 नए परिवर्तनशील तारे खोजे हैं।

संस्थान के निदेशक वहाबउद्दीन ने नए परिवर्तनशील तारों के निष्कर्षों को दुर्लभ उपलब्धि बताया। इन तारों की चमक बदलती रहती है।

संस्थान के पूर्व निदेशक और अब यहां वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत अनिल पांडेय ने कहा कि यह पहली बार है कि 'कोमा बेरेनाइसीस' तारामंडल के गोल तारागुच्छ 'एनजीसी 4147' में इन तारों की पहचान हुई है। पांडेय ने एजेंसी से कहा, संस्थान के वैज्ञानिकों की खोज गोल तारागुच्छ की संरचना के बारे में जानकारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए परिवर्तनशील तारों की खोज के अलावा, अध्ययन से 'एनजीसी 4147' की आंतरिक संरचना के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। यह तारागुच्छ पृथ्वी से पहले जितना सोचा गया था उससे ज्यादा पास स्थित है।

पांडेय ने कहा कि डॉक्टर स्नेहलता और डॉक्टर एके पांडेय नीत संस्थान की अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने नैनीताल के पास 2016 में स्थापित 3.6 मीटर लंबी देवस्थल ऑप्टिकल दूरबीन की मदद से तारागुच्छ 'एनजीसी 4147' की फोटोमेट्रिक अवलोकन किया।

'पत्रकारिता और प्रस्तुति दो अलग विधाएं हैं'

● कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉ. अशोक कुमार की किताब 'समाचार लेखन व रिपोर्टिंग' का विमोचन

जनसत्ता संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 26 जुलाई।

'पत्रकारिता न तो केकवाक है और न ही कैटवाक है। पत्रकारिता और खबरों की प्रस्तुति दो अलग विधाएं हैं। लेकिन खबरों की दुनिया में करियर बनाने जा रहे आम युवा खबर प्रस्तोता को ही पत्रकार या कह लें एंकरिंग को ही पत्रकारिता समझ लेते हैं।' कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार की किताब 'समाचार लेखन व रिपोर्टिंग' के विमोचन कार्यक्रम में वक्ताओं ने ये बातें कहीं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने अन्य वरिष्ठ पत्रकारों व लेखकों के साथ शुक्रवार को अशोक कुमार की किताब का विमोचन किया।

वक्ताओं ने कहा कि ऐसी पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसी किताबें कक्षा में प्रयोगशाला और जमीनी अनुभव की जरूरतें पूरी करती हैं। विद्यार्थियों को आगे चल कर इन किताबों का फायदा अपने कार्यक्षेत्र में होता है। डॉक्टर अशोक कुमार ने पुस्तक में पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के साथ अकादमिक शोध को शामिल किया है। यह पुस्तक निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए पठनीय व उपयोगी साबित होगी।

वक्ताओं ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अनुसंधान से लेकर खबरों का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के पास पत्रकारिता का व्यावहारिक व तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसी शोधपरक पुस्तकें विद्यार्थियों को दिशाभ्रमित होने से बचाती हैं। यह पुस्तक पत्रकारिता का ककहरा है। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने कहा कि सोशल मीडिया से पत्रकारिता की पहुंच बढ़ी है लेकिन उसमें कुछ कमियां भी आ गई हैं। अशोक कुमार की शिवालिक प्रकाशन से आई 300 पन्नों की इस किताब का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अच्छी पुस्तकें पढ़ें और करियर का आधार बनाएं। कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक डॉक्टर आबिद अली ने संस्थान के शिक्षकों द्वारा प्रकाशित की गई विभिन्न पुस्तकों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परंपरा — A tradition of trust

प्रधान कार्यालय : प्रथम तल, 14 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700001

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय

निविदा सूचना

आरएफपी संदर्भ संख्या : प्रका/डीआईटी/एचडब्ल्यू/एसक्यूएल-लाइसेंस/141 दिनांक: 26.07.2019

इलाहाबाद बैंक पात्र बोलीकर्ताओं से "सॉफ्टवेयर एश्योरेंस सहित माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर लाइसेंस की खरीद" हेतु बोलियां आमंत्रित करता है।

पूर्ण विवरण हेतु कृपया बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadbank.in एवं ई-निविदा वेबसाइट www.tenderwizard.com/abbank देखें।

इस आरएफपी से संबंधित परिशिष्ट, यदि कोई हो, के लिए कृपया ऊपर उल्लिखित वेबसाइट देखें।

मुख्य प्रबंधक (सूप्रौ)

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. के प्रस्तावित स्ट्रेटजिक विक्रय तथा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण हेतु वैश्विक स्तर पर आमंत्रित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का **छठा शुद्धिपत्र**

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) 12 फरवरी 2019 को पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 05 मार्च 2019, 26 मार्च 2019, 24 अप्रैल 2019, 25 मई 2019 और 25 जून 2019 को क्रमशः पहला शुद्धिपत्र, दूसरा शुद्धिपत्र, तीसरा शुद्धिपत्र, चौथा शुद्धिपत्र और पांचवां शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

इच्छुक बोलीकर्ता पीआईएम के संबंध में छठे शुद्धिपत्र को एआईएएचएल की वेबसाइट **http://www.aiahl.com/**, एआईएटीएसएल की वेबसाइट **http://www.aiatsl.com** तथा ट्रांजैक्शन सलाहकार की वेबसाइट **http://www.ey.com/in/en/home** से डाउनलोड कर सकते हैं।

रक्षा सम्पदा कार्यालय
दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी

इस कार्यालय के संशोधन में अधिसूचना संख्या 3/175/DEO/TREES/OS/VOL-IX दिनांक 25.07.2019 को 26.07.2019 को प्रकाशित किया गया है, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

पढ़ें: E-Auction ID No 2019_MoD_588
के लिये
के लिये: ई-ऑक्शन आईडी नंबर: 2019_MoD_576

उक्त अधिसूचना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता./-
(लोटे विनित बाबासाहेब)
रक्षा संपदा अधिकारी
दिल्ली सर्कल, दिल्ली कैंट

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता/(एम-I)-आरजेड
शेड सं 44, ग्राम पीतमपुरा, दिल्ली-110034

ई.ई.(एम-I)-आरजेड/टीसी/2019-20/14 दिनांक : 24.07.2019

निविदा दस्तावेज विक्रय प्रारम्भ होने की तिथि : 25.07.2019 को 10.00 बजे प्रात

निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि: 09.08.2019 को 14:00 बजे अपराह्न तक

संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :10.08.2019 को 15:00 बजे अपराह्न तक

वित्तीय संविदा खुलने की तिथि :12.08.2019 को 15:15 बजे अपराह्न

क्र.सं 1 कार्य का नाम: एसी-13,एम-I/आरजेड में मैत्री अपार्टमेंट, अशोक अपार्टमेंट, ऋषि अपार्टमेंट, गंगा त्रिवेणी अपार्टमेंट, केनरा अपार्टमेंट, गुलाब विहार अपार्टमेंट, अनुभव अपार्टमेंट, शान्ति अपार्टमेंट, तरुण अपार्टमेंट, ओवरसीज अपार्टमेंट, सरस्वती एन्कलेव तथा बाबा बंदा बहादुर अपार्टमेंट में मनोरंजन हॉल का निर्माण। **खाते का शीर्ष:** XL-VIII-S(MLALAD) **निविदा राशि:** रु 75,32,432/- **धरोहर राशि:** रु. 1,62,900/- **समापन अवधि:** 6 माह **लागू दरों की अवधि:** 6 माह **निविदा की लागत:** रु. 1000/- **निविदा सं.:** 14/01

निविदा दस्तावेज वेबसाइट **https://www.tenderwizard.com/ NORTHDMCETENDER** से डाउनलोड किये जा सकते हैं और अनुमोदित तथा पात्र ठेकेदारों द्वारा संविदा हेतु वेबसाइट **https://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर भी उपलब्ध हैं। नि.आ.सू. का विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

R.O No. 43/DIP/North DMC/19-20 अधिशासी अभियन्ता/(एम-I)-आरजेड

बैंक से तीन करोड़ की धोखाधड़ी, 16 पर मामला दर्ज

पालघर, 26 जुलाई (भाषा)।

जिले के एक सहकारी बैंक से कथित तौर पर 3.05 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच दंपति समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पालघर के पुलिस जनसंपर्क अधिकारी हेमंत काटकर ने कहा कि आरोपियों ने बैंक की वसई शाखा से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कर्ज लिया था। उन्होंने बताया कि बैंक से 3.05 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद उन्होंने इसका भुगतान करना बंद कर दिया। यह अपराध फरवरी से नवंबर 2016 के बीच हुआ। बैंक प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक इन 16 लोगों और कुछ अन्य ने दूसरे वित्तीय संस्थानों से पहले ही लिए गए कर्ज की जानकारी छिपाई और उसी संपत्ति को सहकारी बैंक में गिरवी रखा, जिन पर पहले ही कर्ज लिया जा चुका था।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (पश्चिम)-II
डी-ब्लॉक, मोतीनगर, नई दिल्ली-110015
प्रैस एनआईटी सं.: 24/ पश्चिम-II (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा लागत	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय
1.	ईई (पश्चिम)-II के अंतर्गत मादीपुर एसी-26 में स्व्यम् सिद्धा कॉलोनी में 250 एमएम डाया सीवर लाइन का प्रावधान/विछाना। निविदा आईडी: 2018_DJB_176958_1	35,01,134.00	70,500.00	500.00	24.7.2019	8.8.2019 3 बजे अप तक
2.	ईई (पश्चिम)-II के अंतर्गत मादीपुर एसी-26 स्व्यम् सिद्धा कॉलोनी में जलापूर्ति के सुधार के लिये 100/80/50 एमएम डाया के क्षतिग्रस्त वाटर लाइन के विस्थापन द्वारा 100 एमएम डाया वाटर लाइन का विस्थापन/प्रावधान तथा विछाना। निविदा आईडी: 2018_DJB_176958_2	32,67,986.00	65,500.00	500.00	24.7.2019	8.8.2019 3 बजे अप तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/209 कार्यपालक अभियंता (पश्चिम) II

पूर्वोत्तर रेलवे
सूचना संख्या : 108/2019

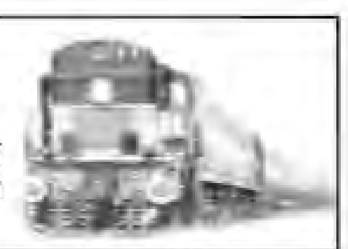

रेल यात्री बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित गाड़ियों की वर्तमान ठहराव समय में तत्काल प्रभाव से कानपुर एवं उरई स्टेशनों पर निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है :-

गाड़ी सं.	कहां से कहां तक	स्टेशन	वर्तमान समय		संशोधित समय	
			आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
19305	इंदौर-कामाख्या	उरई	00.37	00.42	00.37	00.39
15016	यशवन्तपुर-गोरखपुर	उरई	01.38	01.43	01.38	01.40
12108	लखनऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस	उरई	01.44	01.49	01.44	01.46
15068	बान्द्रा-गोरखपुर	उरई	02.40	02.45	02.40	02.42
12534	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-लखनऊ जं.	उरई	03.51	03.56	03.51	03.53
12590	सिकन्दराबाद-गोरखपुर	उरई	05.54	05.59	05.54	05.56
12592	यशवन्तपुर-गोरखपुर	उरई	05.54	05.59	05.54	05.56
11109	झाँसी-लखनऊ जं.	उरई	07.53	07.58	07.53	07.55
12598	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-गोरखपुर	उरई	08.53	08.55	08.50	08.52
15024	यशवन्तपुर-गोरखपुर	उरई	09.10	09.15	09.10	09.12
12107	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-लखनऊ जं.	उरई	11.10	11.15	11.10	11.12
11079	गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस	उरई	12.28	12.33	12.28	12.30
12103	पुणे-लखनऊ जं.	उरई	12.28	12.33	12.28	12.30
15102	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-छपरा	उरई	13.05	13.10	13.05	13.07
15066	पनवेल-गोरखपुर	उरई	14.13	14.18	14.13	14.15
15064	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर	उरई	14.13	14.18	14.13	14.15
15015	गोरखपुर-यशवन्तपुर	उरई	15.05	15.10	15.05	15.07
12591	गोरखपुर-यशवन्तपुर	उरई	15.05	15.10	15.05	15.07
12589	गोरखपुर-सिकन्दराबाद	उरई	15.05	15.10	15.05	15.07
16093	चेन्नई सेन्ट्रल-लखनऊ जं.	उरई	16.33	16.35	16.30	16.32
19306	कामाख्या-इंदौर	उरई	16.34	16.39	16.34	16.36
12597	गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	उरई	17.00	17.05	17.00	17.02
15065	गोरखपुर-पनवेल	उरई	18.05	18.10	18.05	18.07
15063	गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस	उरई	18.05	18.10	18.05	18.07
15067	गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस	उरई	18.05	18.10	18.05	18.07
11080	गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस	उरई	18.05	18.10	18.05	18.07
16094	लखनऊ जं.-चेन्नई सेन्ट्रल	उरई	19.30	19.35	19.30	19.32
15023	गोरखपुर-यशवन्तपुर	उरई	19.33	19.35	19.30	19.32
11110	लखनऊ जं.-झाँसी	उरई	20.23	20.28	20.23	20.25
11015	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर	उरई	20.35	20.40	20.33	20.35
12533	लखनऊ जं.-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	उरई	22.56	23.01	22.56	22.58
18192	फर्रुखाबाद-छपरा	कानपुर सेन्ट्रल	16.37	16.50	16.35	16.45

मुजाधि/टी-30 | यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो.-09794845955 पर SMS करें | मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक, गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

राष्ट्रपति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री ने कीं जवानों के साथ तस्वीरें साझा

श्रीनगर/नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

करगिल विजय दिवस

● राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस पर कश्मीर के बदामी बाग छावनी में थल सेना के 15वें कोर मुख्यालय में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए

● इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के दौरान उस क्षेत्र के अपने दौरे और जवानों के साथ बातचीत करने वाली तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को करगिल युद्ध के 20 वर्ष पूरे होने पर शहीद सैनिकों को यहां श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करगिल विजय दिवस पर कश्मीर के बदामी बाग छावनी में थल सेना के 15वें कोर मुख्यालय में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के दौरान उस क्षेत्र के अपने दौरे और जवानों के साथ बातचीत करने वाली तस्वीरें शुक्रवार को साझा कीं।

राष्ट्रपति को शुक्रवार सुबह द्रास युद्ध स्मारक पर एक समारोह में भाग लेना था लेकिन खराब मौसम के कारण वह वहां नहीं जा सके। थल सेना के 15वें कोर मुख्यालय में राष्ट्रपति के साथ जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए और लिखा, 'करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर, मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। आज, हम अपने बहादुर सैनिकों के साहसिक कार्यों को याद करते हैं, उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं और अपने महान राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं।'

बाद में राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 'करगिल विजय दिवस पर, श्रीनगर के चिनार कोर (15 कोर) युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत अपने सशस्त्र बलों के उन योद्धाओं का कृतज्ञ रहेगा, जिन्होंने करगिल युद्ध में भाग लिया और अदम्य वीरता का परिचय देते हुए हमारी संप्रभुता की रक्षा की। जय हिंद।'

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, 'साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मुझे करगिल जाने और हमारे बहादुर सैनिकों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर मिला।' प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 1999 में वह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'करगिल का दौरा और सैनिकों के साथ बातचीत अविस्मरणीय है।' तस्वीरों में वे सैन्यकर्मियों से बातचीत करते और घायल सैनिकों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच, विजय दिवस मनाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में जिला पुलिस लाइनों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान पर मिली भारत की जीत को हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों ने 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को खदेड़ कर करगिल सेक्टर में स्थित पर्वत चोटियों पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
अंचल, दिल्ली-1
आश्रम चौक, सिद्धार्थ एन्कलेव
नई दिल्ली-110014

जहां सेवा ही जीवन ध्येय है

परिसर की आवश्यकता

बैंक 15 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए लीज के आधार पर कारपेट एरिया निम्नलिखित के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर परिसर के लिए दो बोली प्रणाली (कुल किराए के भीतर ऑनसाइट एटीएम की स्थापना सहित) के तहत ऑफर आमंत्रित करता है।

शहर में स्थान का नाम	कारपेट एरिया (वर्ग फीट में)
मौजूदा शाखा के पास साकेत, दिल्ली	1000-1200
पटपड़गंज एरिया में	1500-1800

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं।

आंचलिक प्रबंधक

पूर्वोत्तर रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना संख्या : N/539/2/OT/19-20/22

मण्डल रेल प्रबन्धक/सिग. एवं दूरसंचार/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए "खुली-ई" निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा सूचना सं० एवं कार्य का नाम :- **N/539/2/OT/19-20/22:** कार्य का नाम :- सिसेई/सिग/मऊ के खण्ड में पिक-अप/टाटा मोबाइल/महिंद्रा कैंपर को 2 वर्ष के लिए भाड़े पर लेने हेतु। अनुमानित लागत :- ₹ 1004266.70, बयाना की राशि :- ₹ 20100/-, निविदा प्रपत्र की कीमत : ₹ 2,000/-, कार्य पूर्ण करने की तिथि : 730 दिन निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समय : 29.08.2019 upto 15.00 Hrs.
1. ई-निविदा दिनांक **29.08.2019 को 15.00** बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा।
2. पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट *i.e. www.ireps.gov.in* देखें।

मंडल रेल प्रबंधक(सिग.एवं दूसं.),
मुजाधि/सिगनल-43 वाराणसी

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं0 09794845955 पर एस.एम.एस करें।

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

आसाराम और उसके बेटे को जांच आयोग ने दोषी नहीं पाया

गांधीनगर, 26 जुलाई (भाषा)।

न्यायमूर्ति डी के त्रिवेदी आयोग ने कथित धर्मगुरु आसाराम और उसके बेटे नारायण साई को उनके द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले दो बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट दे दी है। जुलाई 2008 में हुई इस घटना की जांच आयोग को सौंपी गई थी।

आयोग द्वारा 2013 में राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में पेश की गई। आयोग ने हालांकि कहा कि आवासीय स्कूल से दो बच्चों का लापता होना प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आसाराम के गुरुकुल (आवासीय विद्यालय) में पढ़ने वाले दो भाइयों दीपेश वाघेला (10) और अभिषेक वाघेला (11) के शव पांच जुलाई 2008 को साबरमती नदी के किनारे मिले थे। दोनों बच्चे इससे दो दिन पहले स्कूल के हॉस्टल से लापता हो गए थे। आसाराम के आश्रम में बना स्कूल और हॉस्टल नदी किनारे स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि आसाराम जी और उनके पुत्र नारायण साई आश्रम में तांत्रिक विधि किया करते थे। इसमें कहा गया है, गुरुकुल प्रबंधन के साथ-साथ आश्रम के प्राधिकारी भी गुरुकुल हॉस्टल में रह रहे बच्चों के संरक्षक हैं और बच्चों की देखभाल उनका कर्तव्य है।

दो बच्चों की मौत का मामला

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **सांकेतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम व पता	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	सूचना 13(2)	सूचना 13(4)	सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मंगल पांडे नगर, मेरठ	मैसर्स आतिया प्रेशर डाई कास्टिंग 46, पेट्रोल टैंक के पास, मकबरा डिग्गी, मेरठ।	श्री फैजुद्दीन पुत्र मोहम्मद फारुख, मकान नंबर 46, पेट्रोल टैंक के पास, मकबरा डिग्गी, मेरठ, यूपी	आवासीय मकान 49 वर्ग मीटर, स्थित नगरपालिका संख्या 66 का उत्तरी भाग, मकबरा अबु, मेरठ। स्वामित्व मोहम्मद फारुख। सीमाएं :- पूर्व- 23 फीट 4.5 इंच / गली 8 फीट चौड़ी, पश्चिम- 24 फीट 2 इंच / रईस का मकान, उत्तर- 30 फीट 6 इंच / गली, दक्षिण- 29 फुट 5 इंच / जाहिद का भाग	30.04.2019	25.07.2019	25.07.2019	रु. 2128020.00 दिनांक 01.10.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	श्री अवीनाश कुमार, फोन 9771430208

दिनांक:- 26.07.2019 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना सं. ETC/MU/T-82/2019-20 के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रर्याप्त निविदा उद्धरण (कोटेशन) प्राप्त न होने के कारण से उक्त निविदा सूचना प्राप्ति की तिथि दिनांक 01.08.2019 तक विस्तारित की गयी है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" **पत्रांक/No. 1485/वि.पा.म.(ETC)/मु.नगर(MZN)/ दिनांक/DATED** 24.07.2019

डाक्टरों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरो की सुरक्षा और संरक्षा के निर्देश देने के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जुलाई।

वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में दुबई से भारत प्रत्यर्पित कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार शुक्रवार को सात दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) रिमांड पर भेज दिया गया।

इससे पहले एक विमानन घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिए दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया की ओर से खारिज किए जाने के बाद सीबीआइ ने अदालत कक्ष में ही तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर जांच एजंसी ने तलवार से पूछताछ के लिए उसकी 14 दिवसीय हिरासत का अनुरोध किया है लेकिन अदालत ने नहीं माना।

अदालत ने सात दिनों की रिमांड मंजूर की। तलवार इस समय घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसने केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए की पूर्व सरकार के दौरान कुछ विमानन सौदों में कथित रूप से भूमिका निभाई थी जिसके कारण वे जांच के दायरे में है।

सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं जबकि आयकर विभाग ने उस पर कर चोरी का आरोप लगाया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले दावा किया था कि तलवार का विदेशी निजी एयरलाइनों के पक्ष में बातचीत करने और इससे एअर इंडिया को नुकसान से जुड़े धनशोधन के मामले में भगोड़े विजय माल्या से संबंध है।

नवी मुंबई में एक कंटेनर से 130 किलो हेरोइन जब्त

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली पुलिस ने नवी मुंबई में एक कंटेनर में से 130 किलो हेरोइन जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक अफगानिस्तान का नागरिक है। पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) मनीषी चंद्रा ने बताया कि कंटेनर में जूट के 260 थैलों में से 130 किलो अफगान की सूखी हेरोइन जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ को तुलसी के बीज की खेप के तौर पर लाया जा रहा था। यह अफगानिस्तान के इस्लाम किला में बनी थी और इसे समुद्री रास्ते से ईरान के बांदर अब्बास से मुंबई लाया गया था। अधिकारी ने बताया कि मामले में अफगान के एक नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

LOST & FOUND

It is notified that C Form no. Serial no. 798636, 798637, 798638, 798639 of value Rs.29,16,547/- Received from Dharampal Satyapal Limited vide Tin: 09265700298, B-1, Sector-3, Noida, have been lost in transit. If any person misuses or tries to misuse this form, he/ she will be liable for the same and the Company will not be responsible in any way. Any person who finds that C Form, Please Contact –Arora Enterprises, 1789, Katra Bansidhar, Lahori Gate, Delhi-110006 Mobile No: 9811633649

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd Office: 906, 6th Floor, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008
CIN: L51909DL1985PLC020372
E-mail Id: limitedatlantic@gmail.com
Website: www.atlantic-commercial.com
Ph: 011-41539140, Fax: 011-25753214

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 9, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended June 30, 2019.

The information contained in this notice may be accessed on the Company's website at www.atlantic-commercial.com and also on the website of the stock exchange i.e. www.msei.in

For Atlantic Commercial Company Limited
Sd/-
Narendra Kishore Gaur
Chairman
DIN - 00168265

Place: New Delhi
Date: 26.07.2019

Kuwer Industries Limited
CIN: L74899DL1993PLC056627,
R.O.: D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi- 110065
Tel. No. 011-26848636
Email I.D info@kuwer.com,
Website- www.kuwer.com

Notice

Notice is hereby given pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Monday, 12.08.2019, at 03:00 P.M. at registered office of Company at D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi- 110065 to consider the following:

1. To approve the Un-audited financial results for the quarter ended on 30th day of June, 2019.
2. Any other matter with the permission of the Chairman.

The intimation contained in this notice is also available on Company's website www.kuwer.com and www.bseindia.com

For Kuwer Industries Limited
Sd/-
Tarun Aggarwal
Joint Managing Director
Din : 01320462

Date : 26.07.2019
Place : New Delhi

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001.

नोटिस

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य मदों के साथ दिनांक **30 जून, 2019** को समाप्त, बैंक के प्रथम तिमाही के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम को स्वीकार करने हेतु बैंक के निदेशकों की बैठक दिनांक **3 अगस्त, 2019** को निर्धारित है।

हस्ता/-
(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मंगलूरु
दिनांक: 26.07.2019

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] [illegible]

होराइजन ग्लोबल लिमिटेड
(CIN:U74120DL1999PLC102221)
पंजीकृत कार्यालय: 15, नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, फेस-4, नई दिल्ली-110052
...आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

[illegible] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28 जून, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 15, नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, फेस-4, नई दिल्ली-110052 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **होराइजन ग्लोबल लिमिटेड**
तुषार कपूर (निदेशक)
डीआईएन: 02928641

दिनांक: 25 जुलाई, 2019
स्थान: नई दिल्ली

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

[illegible]
सीआईएन: L29120HR1992PLC031681

सूचना

[illegible]

कृते आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(वैभव वाधवा)
कंपनी सचिव

स्थान: हिसार (हरियाणा)
दिनांक 24/07/2019

---

24 जुलाई, 2019 को प्रकाशित प्रपत्र ए का शुद्धिपत्र
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया), विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत)

मै. सुपर फ्लोरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

क्रम सं. 9 को इस प्रकार पढ़ें (जहाँ इन्सॉल्वेन्सी प्रफिशनल का पंजीकृत ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं है)

9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफिशनल का पता तथा ई-मेल	प्रभात रंजन सिंह चैम्बर नं. 119, सी.के. दफ्तरी ब्लॉक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तिलक लेन, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110001/पंजीकृत ईमेल आईडी- prabhat.rs.advocate@gmail.com

तिथि: 27.7.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रभात रंजन सिंह
अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल
IBBI/IPA-002/IP-N00428/2017-2018/11239
prabhat.rs.advocate@gmail.com

LIC MUTUAL FUND

LIC Mutual Fund Asset Management Limited
(Investment Managers to LIC Mutual Fund)
CIN No: U67190MH1994PLC077858
Registered Office: Industrial Assurance Bldg; 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020.
Tel.No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606
Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 17 of 2019-2020

Annual Report of Schemes of LIC Mutual Fund

NOTICE is hereby given that in accordance with SEBI Circular no. Cir/IMD/DF/16/2011 dated September 8, 2011, SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 dated May 30, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the scheme wise Annual Report thereof for the year ended March 31, 2019 are hosted on the website of LIC Mutual Fund viz. www.licmf.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com.

The scheme wise annual report thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report thereof by any of the following modes:

1) Calling on toll free number: 1800-258-5678 from 9.00 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Saturday; or
2) Sending an email on service@licmf.com; or
3) Sending a written request to any of the Investor Service Centers of LIC MF nearest to the unitholders; or
4) Unitholders can SMS on +91 9250 333 444 for Annual Report.
   - **For Annual Report:-** SMS "EAR" for electronic copy or SMS "PAR" for physical copy from their registered mobile number.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED
Sd/-
Authorised Signatory

Date : 26/07/2019
Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा - 281403
सीआईएन : L51101UP2010PLC042382

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 05 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hexatradex.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
प्रवेश श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव
एसीएस : 20993

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26-07-2019

ग्रीन वैली लैंड एण्ड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U74899DL1989PTC036489
पंजीकृत कार्यालय : 22, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110084
ई-मेल : gks@vsnl.com
प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (क) के अनुसरण में]

सार्वजनिक सूचना
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा

ग्रीन वैली लैंड ऐण्ड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 22, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110084 में स्थित है के विषय में ......याचिकादाता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "रा.रा.क्षे. दिल्ली" से "तेलंगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 15-04-2019 को सम्पन्न [illegible] असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके उपरवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

बोर्ड की समिति के आदेश द्वारा
वास्ते ग्रीन वैली लैंड ऐण्ड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(देविंदर सिंह बराड़)
निदेशक (डीआईएन : 00068502)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 24.07.2019

प्रपत्र सं. यूआरसी-2

शीर्षक XXI के पार्ट 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिए विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण के लिये प्राधिकृति) नियमावली, 2014 के नियम 4 (1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन किया गया है कि एरोज ट्रेडर्स एलएलपी को शेयरों द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के चैप्टर XXI के पार्ट-I के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः क. होटेलियर्स, बैंक्वेटेयर, होटल प्रॉपराइटर्स, होटल प्रबंधक तथा ऑपरेटर रेफ्रेशमेन्ट कान्ट्रैक्टर्स तथा कैटरर्स का व्यवसाय करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैंडम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का निरीक्षण सी- 7, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, निमरी कॉलोनी, अशोक विहार, फेज- IV, नई दिल्ली उत्तर पश्चिम- 110052, भारत के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन के प्रति यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (**सीआरसी**) के पास भारतीय कम्पनी कार्य संस्थान (आईआईसीए), **प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड**-122050 में जमा करें।

आज, दिनांक 26 जुलाई, 2019 को।

आवेदकों का नाम

हस्ता./- 1. राजेश जिन्दल
हस्ता./- 2. अमित कुमार गुप्ता

SALORA

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड
CIN:L74899DL1968PLC004962
पंजी. कार्या.: बी-13/14, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली.: 011-40552341
ईमेल: sect@salora.com वेबसाईट: www.salora.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की 277वीं बैठक **शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019** को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों में 30 जून, 2019 के पहली तिमाही लिए अनऑडिट वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट **www.salora.com** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट **www.bseindia.com** भी देखी जा सकती है।

इसके अलावा, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के मद्देनजर कंपनी के ट्रेडिंग विंडो को बंद करने के संबंध में, यह अधिसूचित किया गया है कि कंपनी के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 5 जुलाई, 2019 से बंद कर दी गई है। नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों और ट्रेडिंग विंडो सहित सभी अंदरूनी सूत्रों के लिए उक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा।

सलोरा इन्टरनेशनल लि. के लिए
हस्ता./-
(सिम्मी गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2019

प्रपत्र सं आईएनसी 26

[कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
ब्रह्मर्षि पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 304, वकील चैम्बर, ए-115, शकरपुर, दिल्ली -110092 में स्थित है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख बुधवार 24 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के सदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे दिये गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
304, वकील चैम्बर, ए-115, शकरपुर, दिल्ली-110092

उनके लिए और निदेशक मंडल की ओर से
ब्रह्मर्षि पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
वंदना कुमारी
निदेशक
डीआईएन : 08152588

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 24.07.2019

मिशका एक्जिम लिमिटेड
CIN L51909DL2014PLC270810
पंजीकृत कार्यालय : जी-31,भूतल, क्रास रिवर माल, सीबीडी ग्राऊन्ड, शाहदरा, दिल्ली - 110032, email:mishkaexim@gmail.com,

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के उद्धरित एकीकृत वित्तीय परिणाम
(प्रत्येक शेयर डाटा को छोड़कर रू० लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	एकीकृत: समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनअंकेक्षित)	एकीकृत: समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनअंकेक्षित)	एकीकृत: समाप्त वार्षिक 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1क	संचालन से कुल आय	109.43	63.03	806.60
1ख	अन्य आय	0.72	2.00	8.83
1	कुल आय	110.15	65.03	815.43
2	अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) असाधारण मदों एवं कर से पहले	(11.19)	(15.29)	14.15
3	अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के बाद)	(11.19)	(15.29)	14.15
4	अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) कर से पहले (असाधारण मदों के बाद)	(11.19)	(16.56)	14.34
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (हानि) (अवधि के लिए [लाभ/(हानि) शामिल कर (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	(36.09)	(16.56)	15.15
6	प्रदत्त इक्वीटी शेयर कैपीटल (रू० 10/- मूल्य के प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)	1,445.00	1,445.00	1,445.00
7	रिजर्व (पुर्नमूल्याकंन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	406.29
8	प्रति शेयर्स आय वार्षिक–बेसिक एवं डायल्यूटेड			
	क) बेसिक	(0.08)	(0.11)	0.10
	ख) डायल्यूटेड	(0.08)	(0.11)	0.10

टिप्पणी :
1 यह वित्तीय परिणाम इन्डियन एकाउन्टिंग स्टेन्डर्ड (आईएनडी–एएस) के अनुसार कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 साथ में पठित कम्पनीज (इन्डियन एकाउन्टिंग स्टेन्डर्ड) नियमन 2015 के नियम 3 एवं अन्य प्रासंगिक संशोधन के बाद तैयार किये गये।
2 उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई एवं जिसे कम्पनी के निदेशक मंडल की 26 जुलाई, 2019 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
3. पिछली तिमाही के आंकड़े मौजूदा आकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पूर्ण वित्तीय वर्ष के संम्बन्धित अंकेक्षित आंकड़े एवं प्रकाशित वर्ष से तिथि के आंकड़े तीसरे तिमाही तक प्रकाशित किये गये।
4. पिछली वार्षिक के आकड़ों को फिर तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी जरूरी हो, व्यवस्थित/पुनर्गठित किये गये हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड
हस्ता०/–
रजनीश गुप्ता
निदेशक
DIN 00132141

स्थान : दिल्ली
तिथि: 26 जुलाई , 2019

श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110 001
Tel. : +91 11 2331 5941 Fax : +91 11 2331 1203, Website : www.shrirampistons.com
E-mail : compliance.officer@shrirampistons.com, CIN : L29112DL1963PLC004084, PAN : AAACS0229G

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश
(राशि लाखों रू. में प्रति शेयर विवरण के सिवाय)

	विवरण	समेकित: तीन माह समाप्त जून 30 2019 (अनंकेक्षित)	समेकित: तीन माह समाप्त मार्च 31 2019 (अनंकेक्षित)	समेकित: तीन माह समाप्त जून 30 2018 (अनंकेक्षित)	समेकित: वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	**44008**	56893	46418	197854
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानी) (कर एवं असाधारण मदों से पहले)	**2659**	6206	5419	20924
3.	अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**2659**	6206	5419	20924
4.	अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**1752**	4386	3550	13845
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/ (हानी) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	**1537**	4362	3710	14021
6.	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	**2237**	2237	2237	2237
7.	**आय प्रति इक्विटी शेयर** (रू. 10/- प्रति) संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु				
	(1) मूल	**7.83**	19.60	15.86	61.88
	(2) तरल	**7.83**	19.60	15.86	61.88

स्टैंडअलोन वित्तिय परिणामों की जानकारी नीचे दी गई है :

	विवरण	स्टैंडअलोन: तीन माह समाप्त जून 30 2019 (अनंकेक्षित)	स्टैंडअलोन: तीन माह समाप्त मार्च 31 2019 (अनंकेक्षित)	स्टैंडअलोन: तीन माह समाप्त जून 30 2018 (अनंकेक्षित)	स्टैंडअलोन: वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	**44008**	56893	46418	197854
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानी) (कर एवं असाधारण मदों से पहले)	**2659**	6206	5419	20924
3.	अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**2659**	6206	5419	20924
4.	अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**1752**	4386	3550	13845
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/ (हानी) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	**1537**	4362	3710	14021
6.	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	**2237**	2237	2237	2237
7.	**आय प्रति इक्विटी शेयर** (रू. 10/- प्रति) संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु				
	(1) मूल	**7.83**	19.60	15.86	61.88
	(2) तरल	**7.83**	19.60	15.86	61.88

टिप्पणियाँ :
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई परिणामों के विस्त त प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्मपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेवसाईट (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेवसाईट (www.shrirampistons.com) पर भी उपलब्ध है।
2. उपर्लिखित परिणामों को ऑडिट कमेटी द्वारा दिनांक 26.07.2019 की बैठक में संसतुत किया गया तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26.07.2019 की बैठक में पारित किया गया। उपरोक्त तिमाही परिणामों को कम्पनी के संविधि ऑडिटर्स के द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26.07.2019

(विनोद रहेजा) मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ए. के. तनेजा) प्रबंध निदेशक

---

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com
शाखा का पताः 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन नं.: 011-23357170/74, ई-मेलः customercare@pnbhousing.com, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	00016660007832 बी.ओ.: दिल्ली	श्री हरि ओम त्यागी, श्री कुलदीप कुमार शर्मा तथा श्रीमती अर्चणा त्यागी	6.10.2015	30.9.2015 को रु. 18,85,600.87	23.7.2019	फ्लैट नं. 203, एमआईजी, दूसरा तल, 9/2/5, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.– 201010

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 26.7.19
प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता–700 001
सीआईएनः L15492WB1924GOI004835
फोन नं.: 033-2222-5313
ईमेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com, वेबसाइटः www.balmerlawrie.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन एवं एकीकृत) पर विचार एवं अनुमोदित करने हेतु मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

इस विषय में सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **www.balmerlawrie.com** एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
कविता भावसार
कंपनी सचिव
F4767

स्थानः कोलकाता
तिथिः 26 जुलाई, 2019

ANANT RAJ LIMITED
Anant Raj Estate, Sector 63A, Gurugram
Ph. No: 9810767099 / 8130120066

PUBLIC NOTICE

Whereas, M/s Anant Raj Limited is in the process of undertaking of development of a Residential Plotted Colony in Sector 63A, Gurugram over an area measuring 108.125 acres in the revenue estate of Village-Kadarpur and Ullahawas in accordance with the provision of License no. 119 of 2011 and License no. 71 of 2014 granted by Director General, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh.

And whereas, several individuals have made bookings/ entered into purchase agreement for allotment of plot/ property in the said colony (hereinafter referred as allottees).

And whereas, the layout plan earlier approved at the time of grant of license for the said colony is now proposed to be revised due to addition of further areas.

And whereas, the office of Director General, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of layout plan as a pre-condition for allowing such revision in the layout plan.

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees in the said colony on the proposed revision of the layout plan of the said colony. A copy of the earlier approved layout plan bearing (drawing no. DGTCP-4679), dated 10.06.2014 & the layout plan now proposed to be revised bearing (drawing no.DTCP-7058), dated 18.07.2019 is available for perusal on or website (www.anantrajestate.com/ www.anantrajlimited.com). The said layout plan can also be perused at the office of undersigned at (Anant Raj Estate, Sector 63A, Gurugram) as well as in the office of District Town Planner (Planning), (Sector 14, Gurugram).

Any allottee having any objection on revised layout plan, may file his objection in the office of District Town Planner (Planning), Sector 14, Gurugram within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the layout plan.

Mr. Varun Khullar- Vice President (Sales)
for ANANT RAJ LIMITED
Place: GURUGRAM **Date: 26.07.2019**
Email: varun.khullar@anantrajlimited.com /ravinder@anantrajlimited.com/estate@anantrajlimited.com

---

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः राईट गंज, गाजियाबाद, उ०प्र०

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राईट गंज, गाजियाबाद शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **06/05/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स फेयर डील वेटिंग (Weighing) सिस्टम्स (कर्जदार), श्री नीरज चौहान पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार चौहान (पार्टनर), श्री सतीश कुमार चौहान पुत्र श्री हरकेश सिंह (पार्टनर), श्री नीरज चौहान पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार चौहान (गारंटर) श्री सतीश कुमार चौहान पुत्र श्री हरकेश सिंह (गारंटर), श्री जितेन्द्र कुमार चौहान पुत्र स्व0 मुल्क राज चौहान (गारंटर),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.30,76,503/– (तीस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ तीन रूपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य शुल्क** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार/गारंटर** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 22.07.2019** को ले लिया है। **कर्जदार/गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रू.30,76,503/– (तीस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ तीन रूपये मात्र) 6.05.2019 को और ब्याज एवं अन्य शुल्क / व्यय के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राईट गंज, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्रारंभिक सुरक्षाः प्लॉट नं. 5/572 आवासीय कॉलोनी, सैक्टर–5, वैशाली, गाजियाबाद तहसील, जिला गाजियाबाद में निर्मित ईएम सम्पत्ति स. फ्लैट नं. जीएफ 5/572 एचआईजी, भूतल (बिना छत अधिकार), सुपर कवर्ड एरिया 850 वर्ग फीट। **मालिकः श्री नीरज चौहान पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार चौहान और श्री जे के चौहान पुत्र स्वर्गीय मुल्क राज चौहान, सम्पत्ति घिरी हैः**

पूर्वः रोड 35 फीट चौड़ी, **पश्चिमः** प्लॉट नं 537,
उत्तरः प्लॉट नं 573, **दक्षिणः** प्लॉट नं. 571

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22/07/2019
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः राईट गंज, गाजियाबाद, उ०प्र०

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राईट गंज, गाजियाबाद शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **02/06/2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स साई उद्योग (कर्जदार) श्रीमती नेहा कौशिक पत्नी श्री वरूण त्यागी (मालिक), श्री वरूण त्यागी पुत्र श्री महेश त्यागी (गारंटर) और श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी श्री चमन शर्मा (गारंटर),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.2,39,87,616/– (दो करोड उनतालिस लाख सतासी हजार छः सौ सोलह रूपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य शुल्क** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार/गारंटर** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 22.07.2019** को ले लिया है। **कर्जदार/गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रू.1,63,34,039/– (एक करोड तिरसठ लाख चौंतीस हजार एवं उनतालिस रूपये मात्र) 22.07.2019 से उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राईट गंज, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री अर्चना शर्मा पत्नी श्री चमन शर्मा के नाम पर प्लॉट नं. केएम–14, कविनगर, गाजियाबाद में निर्मित ईएम आवासीय सम्पत्ति यूजीएफ–2, बिना छत अधिकार, अपर ग्राउंड फ्लोर, एमआईजी टाइप, एरिया 92.90 वर्ग मीटर जो घिरा हैः

पूर्वः 12 फीट सर्विस लेन **पश्चिमः** 80 फीट चौड़ी रोड
उत्तरः प्लॉट नं. 13, **दक्षिणः** प्लॉट नं 15

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22/07/2019
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

साहा और दुबे की पारियों से भारत 'ए' को बढ़त

नॉर्थ साउंड (एंटीगा) 26 जुलाई (भाषा)।

चोट के कारण लंबे समय तक मैदान से दूर रहे विकेटकीपर बल्लेबाल ऋधिमान साहा (नाबाद 61) और शिवम दुबे (71) की अर्धशतकीय पारियों से भारत 'ए' ने पहले अनधिकृत टैस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज 'ए' के खिलाफ पहली पारी में 71 रन की बढ़त ले ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच छठे विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी हुई।

भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 70 रन से किया और स्टंप के समय टीम का स्कोर आठ विकेट पर 299 रन था। वेस्ट इंडीज की टीम पहले दिन 228 रन पर आउट हो गई थी।

चोट के कारण एक साल से ज्यादा समय तक भारतीय टीम से बाहर रहने वाले साहा का चयन अगले महीने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टैस्ट श्रृंखला के लिए हुआ है। वह लय में होने का संकेत देते हुए 146 गेंद में 61 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने छह चौके भी लगाए।

बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज और दुबे ने भारत की पारी को उस समय संभाला जब टीम 168 रन पर अपना पांचवां विकंट गंवाकर संघर्ष कर रही थी।

दुबे के आउट होने के बाद हालांकि भारत के निचले क्रम के दो बल्लेबाज सिर्फ सात रनों के अंदर पवेलियन लौट गए। इसमें कृष्णप्पा गौतम (छह) और शाहबाज नदीम (शून्य) शामिल हैं।

इससे पहले प्रियांक पांचाल (49) और शुभमन गिल (40) ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े।

कप्तान हनुमा विहारी ने 80 गेंदों पर 31 रनों का योगदान दिया जबकि श्रीकर भारत पहली गेंद पर आउट हुए। वेस्ट इंडीज के लिए तेज गेदबाज मिगुएल कमिंस ने तीन जबकि ऑफ स्पिनर रकीम कोर्नवाल ने दो विकेट लिए। चेमार होल्डर और जोमेल वार्रिकन को एक-एक सफलता मिली।

चयन ट्रॉयल में बजरंग-रवि पास

पूनिया ने चार मिनट में कटाया विश्व चैंपियनशिप का टिकट

नई दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा)।

स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को विश्व चैंपियनशिप में जगह पक्की करने के लिए चार मिनट से भी कम का समय लगा। वहीं रवि कुमार दहिया ने शुक्रवार को चयन ट्रायल्स का सबसे प्रतिस्पर्धी मुकाबला जीतकर इसका टिकट कटाया। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कजाखस्तान में 14 से 22 सिंतबर तक होगा। यह टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालीफाइंग प्रतियोगिता है। बजरंग की 65 किग्रा भारवर्ग में मौजूदगी के कारण ज्यादातर पहलवानों ने खुद को इस मुकाबले से दूर रखा। उन्हें चुनौती देने सिर्फ मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हरफुल सिंह पहुंचे।

विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज बजरंग को हालांकि हरफूल चुनौती नहीं दे सके। हरफूल घुटने में चोट के कारण मुकाबले के दूसरे दौर तक प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सके। दूसरे दौर में बजरंग ने उनके दांए पैर पर मजबूत पकड़ बनाई जिससे वह पार नहीं पा सके। मुकाबला रोके जाते समय बजरंग 7-0 से आगे थे।

उन्होंने कहा कि मुकाबला पूरे छह मिनट तक चलता तो मेरे लिए और यहां आए प्रशंसकों के लिए यह अच्छा होता। इस तरह से मुकाबला खत्म होना ठीक नहीं है। किसी पहलवान के चोटिल होने से बहुत बुरा लगता है। हम सब कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। प्रतिभाशाली संदीप तोमर और उत्कर्ष काले सहित सात पहलवान 57 किग्रा वर्ग में शामिल थे। हालांकि पिछले साल अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रवि ने इसमें बाजी मार कर कजाखस्तान का टिकट कटाया। कोच विरेंद्र की देख रेख में छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले रवि ने फाइनल मुकाबले में राहुल को 12-2 से हराया।

राहुल ने इससे पहले 2016 के एशियाई चैंपियन संदीप तोमर को हराया था जबकि रवि ने काले को शिकस्त दी थी। हरियाणा के 22 साल के रवि ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में काफी कड़ा मुकाबला होगा। एशिया कुश्ती का गढ़ है। वहां जापान, ईरान, मंगोलिया और कजाखस्तान के पहलवानों से कड़ी टक्कर मिलेगी।

बजरंग की निगाहें ओलंपिक पर

भारत के शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया की निगाहें कजाखस्तान में 14 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के जरिए ओलंपिक टिकट हासिल करने पर है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चयन ट्रायल में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हरफूल सिंह को शिकस्त देने के बाद बजरंग ने कहा कि देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए विश्व चैंपियनशिप पहला क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है।

ट्रायल्स में यह बजरंग के दबदबे का असर था कि उन्हें चुनौती देने के लिए हरफूल के अलावा दूसरे पहलवानों ने खुद को अलग रखा। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले टूर्नामेंट से ही ओलंपिक का टिकट हासिल कर सकूं क्योंकि इससे मुझे बेहतर तैयारी के लिए एक साल से अधिक का समय मिलेगा। इसमें मैं अपनी खामियों को दूर कर सकूंगा। उन्होंने कहा कि बेहतर तैयारियों के लिए मेरी योजना रूस जाने की है लेकिन उससे पहले मुझे बेलारूस और जॉर्जिया में होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेना है। बजरंग का ध्यान इस दौरान चोट से बचने पर भी है। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में हार का सामना करने के बाद हर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले इस खिलाड़ी ने कहा कि खिलाड़ी के लिए चोट से बचे रहना जरूरी है। मेरा ध्यान चोट से बचकर अच्छा प्रशिक्षण लेने पर है।

हाल के दिनों में यासर दोगू अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट सहित कई दूसरे टूर्नामेंटों में भाग नहीं लेने के बारे में पूछे जाने पर बजरंग ने कहा कि वह 70 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करना चाहते थे लेकिन देर से नाम भेजे जाने के कारण वह इसमें भाग नहीं ले सके।

आयरलैंड 38 रन पर ढेर, इंग्लैंड ने लाड्र्स टैस्ट जीता

लंदन, 26 जुलाई (एएफपी)।

क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड की घातक गेंदबाजी के सामने आयरलैंड की टीम 38 रन पर ढेर हो गई जिससे इंग्लैंड ने लाड्र्स पर खेले गए एकमात्र टैस्ट मैच को शुक्रवार को यहां 143 रन से जीता।

वोक्स ने 17 रन देकर छह जबकि ब्रॉड ने 19 रन देकर चार विकेट लिए। आयरलैंड की पारी केवल 15.4 ओवर में सिमट गई। इंग्लैंड ने आयरलैंड के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन तीसरे दिन एक सत्र के अंदर ही मैच समाप्त हो गया। आयरलैंड ने टैस्ट क्रिकेट में सातवां न्यूनतम स्कोर बनाया। यह 1955 के बाद सबसे न्यूनतम स्कोर है।

आयरलैंड ने इंग्लैंड को पहली पारी में 85 रन पर आउट कर दिया था। आयरलैंड ने इसके जवाब में 207 रन बनाकर 122 रन की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 303 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी नौ विकेट पर 303 रन से आगे बढ़ाई लेकिन स्टुअर्ट थाम्पसन ने दिन की पहली गेंद पर ही अपना पहला टैस्ट खेल रहे ओली स्टोन को बोल्ड कर दिया। बारिश के कारण खेल देरी से शुरू हुआ लेकिन थाम्पसन की इनस्विंगर ने इंग्लैंड को अपने स्कोर में इजाफा नहीं करने दिया। विश्व चैंपियन इंग्लैंड की तरफ से नाइटवाचमैन जैक लीच ने 92 और अपना पहला टैस्ट खेल रहे जैसन रॉय ने 72 रन बनाए। लीच को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बारिश के बाद आयरलैंड ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अनुकूल परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। आयरलैंड की तरफ से जेम्स मैकलुम (11) ही दोहरे अंक में पहुंचे। आयरलैंड का यह तीसरा टैस्ट मैच था। उसे अब तक तीनों मैच में हार मिली है। उसे इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था।

अरुण का बने रहना तय, बांगड़ की हो सकती है छुट्टी

कपिल की अगुआई वाली समिति चुनेगी टीम का अगला कोच

विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव की अगुआई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति को भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए साक्षात्कार अगस्त में होने की संभावना है। प्रशासकों की समिति ने शुक्रवार को बैठक के दौरान यह फैसला लिया। कपिल के अलावा समिति में महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी और पुरुष टीम के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ शामिल हैं।

कोलकाता, 26 जुलाई (भाषा)।

भारत के मौजूदा गेंदबाजी कोच भरत अरुण का पद पर बने रहना लगभग तय लग रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी धुरंधर जोंटी रोड्स समेत कई दावेदारों के होने के बावजूद आर श्रीधर को तरजीह दिए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय चयनकर्ता जब भारतीय टीम के लिए सहयोगी स्टाफ चुनेंगे तो बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ की छुट्टी हो सकती है। तीनों को मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के आखिर तक कार्यकाल में विस्तार मिला है। इसके बाद नए सिरे से साक्षात्कार होंगे और सभी पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी।

कपिल देव की अध्यक्षता वाली नई क्रिकेट सलाहकार समिति मुख्य कोच के बारे में फैसला लेगी। करीबी सूत्रों की मानें तो अरुण का रहना तय है क्योंकि सभी प्रारूपों में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पिछले 18 से 20 महीने से अरुण ने बहुत अच्छा काम किया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 251, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।